करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवंबर भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) कानून से छूट 7
- स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये विश्व बैंक ऋण: मेघालय 8
- एससी/एसटी एक्ट: सर्वोच्च न्यायालय 9
- गंगा उत्सव 2021- द रिवर फेस्टिवल 10
- व्हिसल ब्लोअर पोर्टल: IREDA 12
- खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021 13
- वन्नियाकुला आरक्षण असंवैधानिक: मद्रास उच्च न्यायालय 15
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) 16
- ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 18
- राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 19
- चारधाम परियोजना 20
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 21
- खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 22
- खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 24
- डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 25
- विशेषाधिकार प्रस्ताव 26
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 28
- CBI और ED निदेशकों का कार्यकाल विस्तार 29

नोट :

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम 31

- विश्व की विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाना 31
- संशोधित PCA ढाँचा 32
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर RBI समिति 33
- तेल और खाद्य कीमतें 35
- LEADS रिपोर्ट 2021 36
- तकनीकी वस्त्रों का बढ़ता निर्यात 37
- सेवा-निर्यात को बढ़ाना 39
- विधिक माप विज्ञान (पैक किये गए उत्पाद) नियम 2011 41
- इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक के संबंध में CBIC के दिशा-निर्देश 42
- बढ़ता चालू खाता घाटा 43
- भू-प्रजातियों का संरक्षण 44
- आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना 46
- अमेरिकी मुद्रास्फीति और भारत पर प्रभाव 47
- आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 49

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 51

- ऊर्जा ट्रांज़िशन हेतु इटली-भारत रणनीतिक साझेदारी 51
- 18वाँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 52
- 16वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 54
- भारत की डी-हाईफेनेशन नीति : इज़रायल और फिलिस्तीन 55
- ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार 57
- भारत-फ्राँस रक्षा साझेदारी 58
- पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की स्वतंत्रता का उल्लंघन 59
- अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता: दिल्ली 60

नोट :

➢ अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा 62

➢ भारत-स्वीडन इनोवेशन समिट 63

➢ चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा युद्धपोत: पीएनएस तुगरिल 65

➢ बेलारूस-पोलैंड सीमा संकट 66

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 68

➢ डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट: नासा 68

➢ कामो-ओलेवा 69

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 71

➢ विश्व धरोहर स्थल और जलवायु परिवर्तन 71

➢ ग्लासगो ग्लेशियर: अंटार्कटिका 72

➢ वर्ष 2070 तक 'कार्बन तटस्थता' का लक्ष्य: भारत 73

➢ G20 शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन 74

➢ CoP26 शिखर सम्मेलन में नया संकल्प 76

➢ वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा 78

➢ तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा 79

➢ कमेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु 80

➢ सामूहिक विलुप्ति 81

➢ ग्लोबल रेज़िलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव 83

➢ जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों का पर्याक्रमण 84

➢ नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी 85

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 87

➢ लियोनिड उल्का बौछार 87

➢ फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग 88

➢ सबसे पुराने महाद्वीपीय भूभाग का उदय 89

नोट :

इतिहास 91

- पसुंपोन मुथुरामलिंगा थेवार 91
- अबुल कलाम आज़ाद: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 92

सामाजिक न्याय 94

- स्वास्थ्य बीमा: आवश्यकता और परिदृश्य 94
- नव तस्करी को रोकने के लिये प्रोटोकॉल: एससीओ 95
- ग्रीवा कैंसर को कम करने वाली HPV वैक्सीन 96
- श्वसन प्रणाली पर पराली जलाने का प्रभाव 98
- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 100
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे 101
- पोषण स्मार्ट गाँव कार्यक्रम 103
- सुगम्यता मानकों के लिये नए मसौदा दिशा-निर्देश 104

आंतरिक सुरक्षा 106

- प्रोजेक्ट-15बी श्रेणी विध्वंसक युद्धपोत : विशाखापत्तनम 106
- पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें 107
- नई सेना विमानन ब्रिगेड: LAC 108
- भारत की पनडुब्बी क्षमता 109

चर्चा में 112

- भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुशील: P1135.6 श्रेणी 112
- महासागर अनुसंधान पोत- 'सागर निधि' 112
- गुरुपर्व को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव 114
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 116
- मोल्नुपिरवीर : कोविड -19 हेतु एक औषधि 117

नोट :

दृष्टि The Vision

- आदि शंकराचार्य 118
- भारतीय फ्लैपशेल कछुए 119
- बौद्धिक संपदा के रूप में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का लोगो 119
- 'काहो' गाँव: अरुणाचल प्रदेश 120
- देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति 121
- स्वर्ण जयंती फैलोशिप 122
- पद्म पुरस्कार 2020 122
- यमुना में झाग 123
- श्रीनगर: यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क 124
- आईएनएस 'वेला' 125
- कार्मिकों को तनावमुक्त करने के लिये CRPF ने लॉन्च किया चौपाल 125
- ओनाके ओबाव्वा 126
- जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर 127
- आचार्य कृपलानी 128
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ अमेरिका 128
- सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण 129
- पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास: यूएस, यूएई, बहरीन और इज़रायल 130
- 'इंडिया-थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल' (कॉर्पेट) का 32वाँ संस्करण 130
- कैसर-ए-हिंद 131
- नोरोवायरस 132

विविध **133**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) कानून से छूट

चर्चा में क्यों?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection-PDP) कानून (डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019) से छूट की मांग की है।

प्रमुख बिंदु

- गोपनीयता कानून: इसे आमतौर पर "गोपनीयता विधेयक" के रूप में जाना जाता है और यह डेटा के संग्रह, संचालन एवं प्रसंस्करण को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का वादा करता है जिसके द्वारा व्यक्ति की पहचान किया जा सकता है।
    - यह सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विगत में तैयार किये गए मसौदे से प्रेरित है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी फैसले (2017) में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- प्रावधान:
    - यह विधेयक सरकार को विदेशों से कुछ प्रकार के व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को अधिकृत करने की शक्ति देता है और सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है।
    - विधेयक, डेटा को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है तथा प्रकार के आधार पर उनके संग्रहण को अनिवार्य करता है।
        - व्यक्तिगत डेटा: वह डेटा जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जैसे नाम, पता आदि।
        - संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा: कुछ प्रकार के व्यक्तिगत डेटा जैसे- वित्तीय, स्वास्थ्य, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिक, ट्रांसजेंडर स्थिति, जाति, धार्मिक विश्वास और अन्य श्रेणी इसमें शामिल हैं।
        - महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा: कोई भी वस्तु जिसे सरकार किसी भी समय महत्त्वपूर्ण मान सकती है, जैसे- सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा।
    - यह विधियेक डेटा न्यासियों को मांग किये जाने पर सरकार को कोई भी गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने के लिये अनिवार्य करता है।
        - डेटा न्यासी (Fiduciary) एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के दौरान डेटा को एकत्र एवं भंडारित करके उसका उपयोग करता है।
        - गैर-व्यक्तिगत डेटा अज्ञात डेटा को संदर्भित करता है, जैसे ट्रैफिक पैटर्न या जनसांख्यिकीय डेटा।
    - कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है।
    - इसमें 'भूलने के अधिकार' का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि 'डेटा प्रिंसिपल' (जिस व्यक्ति से डेटा संबंधित है) को 'डेटा फिड्यूशरी' द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा।
- समाहित मुद्दे:
    - यदि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) कानून को वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है, तो यह दो अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र बना सकता है।
        - एक सरकारी एजेंसियों के साथ जो पूरी तरह से कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगी, उन्हें व्यक्तिगत डेटा से निपटने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।
        - दूसरे नंबर पर निजी 'फिड्यूशियरी' होंगे जिन्हें कानून के हर प्रावधान से निपटना होगा।
    - धारा 35: यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा का आह्वान करता है ताकि सरकारी एजेंसियों के लिये केंद्र सरकार को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की जा सके।

नोट :

- धारा 12: यह UIDAI को विधेयक की कठोरता से कुछ छूट देता है क्योंकि यह 'डेटा प्रिंसिपल' को सेवा या लाभ के प्रावधान के लिये डेटा को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि इसके बाद भी पूर्व सूचना देनी होगी।
  - UIDAI प्राधिकरण पहले से ही आधार अधिनियम द्वारा शासित है और कानूनों का दोहरापन नहीं हो सकता है।
- डेटा स्थानीयकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI):

- यह आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- UIDAI को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करना अनिवार्य है।
- UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।

स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये विश्व बैंक ऋण: मेघालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिये 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- परिचय:
  - संक्रमण से रोकथाम: यह परियोजना भविष्य के विभिन्न प्रकोपों, महामारियों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिये अधिक लचीली प्रतिक्रिया हेतु संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में निवेश करेगी।
  - जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन: परियोजना जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और तरल अपशिष्ट दोनों) के लिये समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने हेतु निवेश करेगी।
    - इसमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए अलगाव (Segregation), कीटाणुशोधन और संग्रह शामिल होगा तथा स्वास्थ्य सेवा एवं रोगी की सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  - प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण प्रणाली: यह परियोजना एक प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण प्रणाली की ओर बढ़ेगी जहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा इसकी सहायक कंपनियों के बीच आंतरिक प्रदर्शन समझौते (IPA) के सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
    - आंतरिक प्रदर्शन समझौते विशिष्ट व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के लिये जवाबदेही को परिभाषित करते हैं। यह प्रणाली परिणाम-उन्मुख लक्ष्य स्थापित करता है जो समग्र उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तथा यह समझौते के लिये औपचारिक हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता के पूर्ण होने के साथ समाप्त होता है।
  - तालमेल को बढ़ावा देना: यह विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और राज्य बीमा एजेंसी की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- महत्त्व:
  - शासन क्षमताओं को बढ़ाता है:
    - यह राज्य और इसकी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन और शासन क्षमताओं को बढ़ाएगा; राज्य के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के डिज़ाइन व कवरेज़ का विस्तार; प्रमाणन तथा बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार; दवाओं एवं निदान के लिये कुशल पहुँच प्रदान करने में सक्षम है।
  - स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना:
    - यह मेघालय के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मज़बूत करने में मदद करेगा जिसे मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएचआईएस) के रूप में जाना जाता है जो वर्तमान में 56% परिवारों को कवर करती है।

- महिला सशक्तीकरण:
  - यह महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

विश्व बैंक

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी।
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है।
  - विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
- सदस्य:
  - 189 देश इसके सदस्य हैं।
  - भारत भी एक सदस्य देश है।
- प्रमुख रिपोर्ट:
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (हाल ही में प्रकाशन बंद कर दिया गया)।
  - ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स।
  - वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
- पाँच प्रमुख संस्थान
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।

एससी/एसटी एक्ट: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास एससी/एसटी अधिनियम सहित विभिन्न 'विशेष क़ानूनों' के तहत दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 या उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियाँ हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'विशेष कानून' के तहत मामलों को रद्द करने की स्थिति:
  - जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, भले ही एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या कानूनी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
  - जब दोनों पक्षों के बीच समझौता/निपटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही विवादित अपराध के लिये दंडित न किया जाए।

- अनुच्छेद 142:
    - परिचय: यह सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
    - रचनात्मक अनुप्रयोग: अनुच्छेद 142 के विकास के प्रारंभिक वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
        - सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था। यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को संसद या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि पूर्ण न्याय करने के लिये यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी समाप्त कर सकता है।
        - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय 'बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिये नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है|
    - न्यायिक अतिरेक के मामले: हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय दिये हैं जिनमें उसने उन क्षेत्रों में प्रवेश किया है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लिये 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत के कारण निषिद्ध थे, जो कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। उदाहरण :
        - राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करके राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर प्रतिबंध लगा दिया।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482:
    - यह धारा उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिये कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देती है। यह अदालत को निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने या FIR रद्द करने की शक्ति भी देता है।
- एससी/एसटी अधिनियम:
    - एससी/एसटी अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिये संसद द्वारा अधिनियमित का एक अधिनियम है।
    - यह अधिनियम निराशाजनक वास्तविकता को भी संदर्भित करती है क्योंकि कई उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों के अधीन हैं।
    - अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) तथा 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं। यह कमज़ोर समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है।
    - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम (2018) में प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिये जाँच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है।

गंगा उत्सव 2021- द रिवर फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गंगा उत्सव-द रिवर फेस्टिवल 2021 का 5वाँ संस्करण शुरू हुआ है जो राष्ट्रीय नदी गंगा की महिमा का जश्न मनाता है।

- 4 नवंबर, 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।
- इस कार्यक्रम में गंगा तरंग पोर्टल एवं गंगा ज्ञान पोर्टल के शुभारंभ के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCG) सार्वजनिक नदी कनेक्शन को मज़बूत करने के लिये हर साल त्योहार मनाता है।
    - NMCG 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NRGBA) को स्थानांतरित किया था।
    - NMCG को गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, जो एक घंटे में फेसबुक पर अपलोड किये गए सबसे अधिक हस्तलिखित नोट हैं।
  - उत्सव के तहत कहानी, लोककथाओं, प्रख्यात हस्तियों के साथ संवाद, प्रश्नोत्तरी, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा नृत्य तथा संगीत प्रदर्शन, फोटो दीर्घाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से रहस्यमय व सांस्कृतिक नदी गंगा का जश्न मनाया जाता है।
  - यह गंगा के पुनरुद्धार में जनभागीदारी (लोगों की भागीदारी) के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिये हितधारकों की भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- महोत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रम:
  - सतत् अधिगम और गतिविधि पोर्टल:
    - सतत् अधिगम और गतिविधि पोर्टल (CLAP) एक अधिगम पोर्टल है जो बच्चों को साल भर व्यस्त रखने के लिये गतिविधियों, क्विज़, क्रॉसवर्ड, चर्चा मंचों का आयोजन करेगा।
    - सभी गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को हमारी नदियों की रक्षा तथा उन्हें बहाल करने के लिये कार्रवाई हेतु संवेदनशील बनाना एवं प्रेरित करना है।
  - गंगा मशाल:
    - यह गंगा टास्क फोर्स (GTF) के नेतृत्व में एक अभियान है जो गंगा नदी के किनारे 23 स्टेशनों सहित मार्ग की यात्रा करेगा जो स्थानीय लोगों और नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे निकायों तथा गंगा मित्र, गंगा प्रहरी, गंगा दूत जैसे स्वयंसेवी समूहों को संवेदनशील बनाने में मदद करेगा।
    - गंगा मित्र, गंगा प्रहरी, गंगा दूत ज़मीनी स्तर पर गठित समर्पित स्वैच्छिक समूह हैं, जिनके संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग समुदाय और जनता को जोड़ने के लिये किया जाता है।
    - GTF दिसंबर 2020 तक चार साल की अवधि के लिये रक्षा मंत्रालय की मंज़ूरी के साथ गंगा की सेवाओं में तैनात पूर्व सैनिकों की बटालियन की एक इकाई है।
  - गंगा क्वेस्ट:
    - यह गंगा, नदियों और पर्यावरण पर एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है जिसे पहली बार वर्ष 2019 में नमामि गंगे कार्यक्रम को मज़बूत करने के लिये बच्चों व युवाओं को गंगा नदी के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया था।
- गंगा नदी के संरक्षण हेतु सरकारी कार्यक्रम:
  - गंगा एक्शन प्लान: घरेलू सीवेज के अवरोधन और उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिये यह पहला 'रिवर एक्शन प्लान' था
    - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना इस योजना का विस्तार है, जिसका उद्देश्य गंगा कार्य योजना चरण-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
  - राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण: इसका गठन वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
  - स्वच्छ गंगा कोष: इसे वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये बनाया गया था।
  - भुवन-गंगा वेब एप: यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
  - अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंगा में किसी भीप्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया।

नोट :

गंगा नदी:

- यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2,510 किमी. तक पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है और हिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजनीय है।
- यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्रों में भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और अलकनंदा, यमुना, सोन, गुमटी, कोसी तथा घाघरा जैसी अन्य नदियाँ इसमें मिलती हैं।
- गंगा नदी का बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जो 1,000,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- गंगा नदी डॉल्फिन एक लुप्तप्राय जानवर है जो विशेष रूप से इस नदी में निवास करती है।
- बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह बांग्लादेश के सुंदरबन में गंगा डेल्टा का निर्माण करती है।

व्हिसल ब्लोअर पोर्टल: IREDA

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) ने 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' के एक भाग के रूप में 'व्हिसल ब्लोअर पोर्टल' लॉन्च किया है।

- यह भ्रष्टाचार के प्रति IREDA की "ज़ीरो टॉलरेंस" का एक हिस्सा है। इस पोर्टल के माध्यम से IREDA के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं।
- IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) उद्यम है।

प्रमुख बिंदु

- व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing):
  - कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, व्हिसलब्लोइंग एक ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य किसी संगठन में अनैतिक प्रथाओं की ओर हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना है।
  - एक व्हिसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है जो गलत प्रथाओं को उजागर करता है और आरोपों का समर्थन करने के लिये सबूत रखता है।
  - वे या तो संगठन के भीतर या बाहर से हो सकते हैं, जैसे कि वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, शेयरधारक, बाहरी लेखापरीक्षक एवं वकील।
  - भारत में व्हिसल ब्लोअर्स को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 द्वारा संरक्षित किया जाता है।
  - जनवरी 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिये व्हिसल ब्लोअर और अन्य मुखबिरों को पुरस्कृत करने हेतु एक नया तंत्र स्थापित किया।
    - इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाज़ार में एक अनुचित और अवैध प्रथा है, जिसमें किसी कंपनी के बारे में महत्त्वपूर्ण अंदरूनी गैर-सार्वजनिक जानकारी का खुलासा कर दिया जाता है जिसके कारण अन्य निवेशकों को काफी नुकसान होता है।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह:
  - परिचय:
    - यह प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जिन्हें अक्सर 'भारत का बिस्मार्क' कहा जाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाया जाता है।
    - राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है।
    - इस वर्ष 26 अक्तूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है।

- थीम:
  - 'स्वतंत्र भारत @ 75: आत्मनिर्भरता और अखंडता'।
- उद्देश्य:
  - सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की बुराई को पहचानना और व्यक्तिगत एवं प्रणालीगत स्तर पर इससे निपटने के तरीकों को बढ़ावा देना है।

भारत में भ्रष्टाचार

- प्रसार:
  - ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर (GCB)- एशिया 2020 में पाया गया कि रिश्वत देने वालों में से लगभग 50 लोगों से ऐसा करने को कहा गया था, जबकि व्यक्तिगत कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों में से 32% ने कहा कि उन्हें यह सेवा बिना रिश्वत दिये नहीं मिल सकती थी।
  - वर्ष 2020 तक भारत 180 देशों की सूची में 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स' में 86वंय स्थान पर है। ज्ञात हो कि यह स्थिति वर्ष 2019 से भी बदतर है, जब भारत 80वें स्थान पर था।
- कारण:
  - भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में खराब नियामक ढाँचा, आधिकारिक गोपनीयता, निर्णयन प्रक्रिया में बहिष्करणवादी नीति; कठोर नौकरशाही संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव आदि शामिल हैं।
- प्रभाव:
  - यह संसाधनों के उपयोग में अक्षमताओं को बढ़ावा देता है, बाज़ारों को विकृत करता है, गुणवत्ता से समझौता करता है, पर्यावरण को नष्ट करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- संबंधित पहलें
  - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
  - कंपनी अधिनियम, 2013
  - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
  - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) ने घोषणा की है कि वह 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021' पेश करेगी। इस बिल का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का "समान वितरण" करना है।

- यदि प्रस्तावित विधेयक लागू होता है, तो यह मातृवंशीय खासी जनजाति की विरासत की सदियों पुरानी प्रथा को संशोधित करेगा।

नोट:

- खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक निकाय है।
- इसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
- छठी अनुसूची का अनुच्छेद 12A राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने का अंतिम अधिकार देता है।
- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।

- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत किया गया है।
- यह स्वायत्त ज़िला परिषदों ((ADCs) के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करता है, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

प्रमुख बिंदु:

- विरासत की मातृवंशीय प्रणाली के बारे में:
  - मेघालय की तीन जनजातियाँ- खासी, जयंतिया और गारो, विरासत की एक मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास करती हैं।
    - इस प्रणाली में वंश और वंश का पता माता के वंश से चलता है।
  - दूसरे शब्दों में बच्चे माँ का उपनाम लेते हैं, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता है और परिवार की सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा सौंपा जाता है।
    - खतदुह भूमि की "संरक्षक" बन जाती है और भूमि से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारी लेती है, जिसमें वृद्ध माता-पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई-बहनों की देखभाल करना शामिल है।
  - यह विरासत परंपरा केवल पैतृक या कबीले/सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है, जो वर्षों से परिवार के साथ हैं। इसके अलावा स्व-अर्जित संपत्ति भाई-बहनों के बीच समान रूप से वितरित की जा सकती है।
  - इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर किसी दंपति की कोई बेटी नहीं है, तो संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटियों को सौंप दी जाती है।
  - यदि पत्नी की बहन नहीं है, तो आमतौर पर कबीला संपत्ति पर कब्जा कर लेता है।
- महिला सशक्तीकरण पर इस प्रणाली का प्रभाव: महिला कार्यकर्ताओं ने अक्सर बताया है कि मेघालय में मातृवंशीय व्यवस्था शायद ही कभी महिलाओं को सशक्त बनाती है।
  - संरक्षकता संबंधी समस्या : संरक्षकता को अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि इसमें स्वामित्व केवल एक व्यक्ति में निहित होता है, जो कि सबसे छोटी बेटी होती है।
    - यह संरक्षकता वृद्ध माता-पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई-बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी के साथ आती है।
    - इसके अलावा संरक्षक अपने मामा की अनुमति के बिना ज़मीन खरीद या बेच नहीं सकती है।
  - मातृसत्तात्मक: लोग अक्सर मातृसत्तात्मक शब्द यानी जहाँ महिलाएँ प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं, को लेकर भ्रमित होते हैं।
    - जहाँ महिलाएँ प्रमुख रूप से कार्य करती हैं, वहाँ महिलाओं को गतिशीलता की स्वतंत्रता और शिक्षा तक आसान पहुँच होती है, लेकिन मेघालय में महिलाएँ निर्णय लेने की भूमिका में नहीं हैं।
    - राजनीति या प्रमुख संस्थानों जैसे सत्ता के पदों पर मुश्किल से कोई महिला है।
- विधेयक के बारे में:
  - प्रावधान:
    - प्रस्तावित विधेयक में पुरुष और महिला दोनों भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का 'समान वितरण करने की परिकल्पना की गई है।
    - विधेयक माता-पिता को यह तय करने का अधिकार देगा कि वे अपनी संपत्ति किसके नाम करना चाहते हैं।
    - यह विधेयक एक गैर-खासी से शादी, जीवनसाथी के रीति-रिवाजों तथा संस्कृति को स्वीकार करने पर भाई-बहन को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने से रोकता है।
  - कानून का उद्देश्य संपत्ति के समान वितरण के सिद्धांत पर आधारित आर्थिक सशक्तीकरण है।
  - विधेयक की आवश्यकता: कुछ समूहों ने वर्षों से लागू संपत्ति विरासत की व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा है कि यह पुरुषों को 'विघटित' करती है और परिवार में सभी बच्चों के बीच समान संपत्ति वितरण के लिये दबाव डालती है।
  - प्रभाव: यह मातृवंशीय खासी जनजाति की विरासत की सदियों पुरानी प्रथा को संशोधित करेगा।

वन्नियाकुला आरक्षण असंवैधानिक: मद्रास उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया है।

- इस विधेयक में शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में सबसे पिछड़े वर्गों (MBC) के लिये निर्धारित 20% के भीतर वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- वन्नियाकुला क्षत्रिय आरक्षण के बारे में:
  - यह आरक्षण राज्य के तहत अति पिछड़ा वर्ग और विमुक्त समुदाय अधिनियम, 2021 के लिये प्रदान किया गया था।
  - इसमें वन्नियाकुला क्षत्रिय (वन्नियार, वनिया, वन्निया गौंडर, गौंडर या कंदर, पडायाची, पल्ली और अग्निकुल क्षत्रिय सहित) समुदाय को शामिल किया गया था।
  - वर्ष 1983 में दूसरे तमिलनाडु पिछड़ा आयोग ने माना कि वन्नियाकुला क्षत्रियों की आबादी राज्य की कुल आबादी का 13.01% थी।
  - इसलिये 13.01% की आबादी वाले समुदाय को 10.5% आरक्षण के प्रावधान को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है।
- विधेयक को चुनौती देने के लिये आधार:
  - फरवरी 2021 में राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से कुछ घंटे पहले विधेयक पारित होने के कारण इसको चुनौती दी गई थी।
  - इसके अलावा याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम राजनीति से प्रेरित था और कानून जल्दबाजी में पारित किया गया था।
- तमिलनाडु सरकार का तर्क:
  - लोकतांत्रिक राजनीति में एक निर्वाचित सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विधेयक को कानून बनाने की नीति बनाने की उसकी शक्ति के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता है। राज्य सरकार के पास अंतिम समय तक जनता की राय को पूरा करने की शक्ति होती है।
  - वर्ष 2020 में राज्य में जातियों, समुदायों और जनजातियों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिये छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए. कुलशेखरन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी।
    - तमिलनाडु सरकार ने माना कि आयोग ने अपने कार्यकाल की अवधि में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
  - इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 2007 के एक अधिनियम का उल्लेख किया जिसके माध्यम से राज्य में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को अलग आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके आधार पर भी राज्य सरकार को इस तरह के विधेयक को पारित करने का अधिकार था।

आदर्श आचार संहिता

- आदर्श आचार संहिता (MCC) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।
- नियमों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।
- विकास:
  - आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक भागीदारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी।
  - इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

चुनाव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
- चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।
- संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।

चुनाव से संबंधित अनुच्छेद

324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना।

325 किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करना।

326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

327 विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।

328 ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के विधानमंडल की शक्ति।

329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार केंद्रीय सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को नए सिरे से स्थापित करने की तैयारी कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - AIJS सभी राज्यों के लिये अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीशों और ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने हेतु एक सुधार है।
  - जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों के संवर्गों का आवंटन करता है, उसी प्रकार से निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केंद्रीय रूप से भर्ती करने और राज्यों का आवंटन करने का प्रस्ताव रखता है।
- विगत प्रस्ताव:
  - AIJS को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
    - न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिये एक मानक, केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिये यूपीएससी जैसे वैधानिक या संवैधानिक निकाय पर चर्चा की गई।
  - विधि आयोग की 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से प्रस्तावित किया गया था, जिसमें निचली अदालतों में मामलों की देरी और एरियर पर चर्चा की गई थी।
  - वर्ष 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया।
- सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
  - वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया।
  - वर्ष 1993 में फैसले की समीक्षा की गई, हालाँकि अदालत ने इस मुद्दे पर पहल करने के लिये केंद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया।
  - वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया और एक केंद्रीय चयन तंत्र का प्रस्ताव रखा।

- वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जिन्हें अदालत द्वारा न्याय मित्र (अदालत का मित्र) नियुक्त किया गया था, ने सभी राज्यों के लिये एक अवधारणा नोट परिचालित किया जिसमें उन्होंने अलग राज्य परीक्षा के बजाय एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की।
- योग्यता सूची के आधार पर उच्च न्यायालय साक्षात्कार के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। दातार ने कहा कि यह संवैधानिक ढाँचे को न तो परिवर्तित करेगा और न ही राज्यों या उच्च न्यायालयों की शक्तियों को प्रभावित करेगा।

- AIJS के लाभ:
  - कुशल न्यायपालिका: यह राज्यों में अलग-अलग वेतन और पारिश्रमिक जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने, रिक्तियों को तेज़ी से भरने और राज्यों में मानक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक कुशल अधीनस्थ न्यायपालिका सुनिश्चित करेगी।
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: सरकार ने भारत की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में सुधार के अपने प्रयास में निचली न्यायपालिका में सुधार का लक्ष्य रखा है, क्योंकि कुशल विवाद समाधान रैंक निर्धारित करने में प्रमुख सूचकांकों में से एक है।
  - जनसंख्या अनुपात में न्यायाधीशों को नियुक्त करना: एक विधि आयोग की रिपोर्ट (1987) ने सिफारिश की है कि भारत में 10.50 न्यायाधीशों (तत्कालीन) की तुलना में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिये।
    - अब स्वीकृत संख्या के मामले में यह आँकड़ा 20 न्यायाधीशों को पार कर गया है, लेकिन यह अमेरिका या यूके की तुलना में क्रमश: 107 और 51 न्यायाधीश प्रति मिलियन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है।
  - समाज के सीमांत वर्गों का उच्च प्रतिनिधित्व: सरकार के अनुसार, AIJS समाज में हाशिये पर जीवन यापन कर रहे लोगों और वंचित वर्गों के समान प्रतिनिधित्व के लिये एक आदर्श समाधान है।
  - प्रतिभाशाली समूह को आकर्षित करना: सरकार का मानना है कि अगर ऐसी कोई सेवा स्थापित होती है, तो इससे प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाने में मदद मिलेगी जो बाद में उच्च न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं।
  - बॉटम-अप अप्रोच: भर्ती में बॉटम-अप अप्रोच निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद जैसे मुद्दों का भी समाधान करेगा।
- आलोचना:
  - राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण: केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया को संघवाद की भावना के विरुद्ध और संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यों की शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है।
  - यह 'राज्य-विशिष्ट' को संबोधित नहीं करेगा: कई राज्यों का तर्क है कि केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया उन राज्य-विशिष्ट चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं होगी जो अलग-अलग राज्यों में मौजूद हैं।
    - उदाहरण के लिये भाषा और प्रतिनिधित्व इस संबंध में प्रमुख चिंताएँ हैं।
    - न्यायिक कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होते हैं, जो केंद्रीय भर्ती से प्रभावित हो सकते हैं।
  - 'स्थानीय आरक्षण' के लिये प्रतिकूल: इसके अलावा यह व्यवस्था जाति के आधार पर आरक्षण और राज्य में ग्रामीण उम्मीदवारों या भाषायी अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
  - 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत के विरुद्ध: 'शक्तियों के पृथक्करण' की संवैधानिक अवधारणा के आधार पर भी इसका विरोध किया जा रहा है। एक केंद्रीय परीक्षण, ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करेगा और इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालयों का पक्ष कमज़ोर हो सकता है।
  - संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं करेगी: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के निर्माण से निचली न्यायपालिका के समक्ष मौजूद संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं होगा।
    - वर्ष 1993 के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में राज्यों मं एकरूपता लाकर विभिन्न वेतनमानों और पारिश्रमिक के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया है।
    - विशेषज्ञों का तर्क है कि सभी स्तरों पर वेतन बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अंश निचली न्यायपालिका से चुना जाए, गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिये केंद्रीय परीक्षा से बेहतर विकल्प हो सकता है।

नियुक्ति की वर्तमान विधि

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं तथा इस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं।
- चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिये उनका चयन करते हैं।
- निचली न्यायपालिका के ज़िला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

परिवर्तन लाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 312 (1) में संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया, जिसमें 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' भी शामिल है, जो संघ और राज्यों के लिये समान है।
- अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसके बाद संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण हेतु एक कानून बनाना होगा।
- इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिये किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

आगे की राह

- लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए एक ऐसी भर्ती प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक है, जो मामलों के त्वरित निपटान हेतु बड़ी संख्या में कुशल न्यायाधीशों की भर्ती करने में सक्षम हो।
- हालाँकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को कानूनी रूप देने से पूर्व सर्वसम्मति बनाने और इस दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है।

ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम' द्वारा 'ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स' का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया।

- यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक 'डेटा-संचालित वैश्विक विश्लेषण' है जो ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है।
- 'हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम' नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से 'वॉर ऑन ड्रग्स' को चुनौती देना, नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिये संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है।

प्रमुख बिंदु

- सूचकांक के बारे में: यह एक अनूठा उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का दस्तावेज़ीकरण, माप और तुलना करता है।
  - यह प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग प्रदान करता है जो दर्शाता है कि उनकी दवा नीतियाँ और कार्यान्वयन मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और विकास के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के साथ कितना संरेखित है।
  - यह सूचकांक दवा नीति के क्षेत्र में एक आवश्यक जवाबदेही और मूल्यांकन तंत्र प्रदान करता है।
  - यह दुनिया के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
  - दमन और दंड आधारित दवा नीतियों के आधार पर वैश्विक नेतृत्व ने कुल मिलाकर बहुत कम (केवल 48/100) औसत स्कोर के साथ अंक प्राप्त किये हैं और केवल शीर्ष रैंकिंग वाला देश (नॉर्वे) 74/100 तक पहुँच गया है।

नोट :

- दवा नीति के कार्यान्वयन पर नागरिक समाज के विशेषज्ञों के मानक और अपेक्षाएँ हर देश में अलग-अलग होती हैं।
- असमानता वैश्विक दवा नीतियों में गहराई तक व्याप्त है, शीर्ष क्रम के 5 देशों ने सबसे निचले क्रम के 5 देशों की तुलना में 3 गुना अधिक अंक प्राप्त किये हैं।
  - यह आंशिक रूप से 'वॉर ऑन ड्रग्स' दृष्टिकोण की औपनिवेशिक विरासत के कारण है।
- नशीली दवाओं से संबंधित नीतियाँ सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हाशिये पर पड़े लोगों को उनके लिंग, जातीयता, यौन अभिविन्यास के आधार पर असमान रूप से प्रभावित करती हैं।
- राज्य की नीतियों और उन्हें ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है, के बीच व्यापक असमानताएँ हैं।
- कुछ अपवादों को छोड़कर औषधि नीति प्रक्रियाओं में नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों की सार्थक भागीदारी अत्यंत सीमित है।

- भारत का प्रदर्शन:
  - रैंकिंग:
    - 30 देशों में भारत का स्थान 18वाँ है। इसका कुल स्कोर 46/100 है।
  - स्कोर:
    - अत्यधिक सज़ा और प्रतिक्रियाओं के प्रावधान के आधार पर इसका स्कोर 63/100 है।
    - स्वास्थ्य और हानि में कमी के मामले में 49/100 है।
    - आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आनुपातिकता में 38/100 है।
    - दर्द और पीड़ा से राहत के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुँच में 33/100 है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

चर्चा में क्यों?

सभी नागरिकों के लिये उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (National Legal Services Day- NLSD) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- NLSD के बारे में:
  - वर्ष 1995 में पहली बार NLSD को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
  - सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने वाली किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - इस दिवस को देश के नागरिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों से अवगत कराने हेतु मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक कानूनी क्षेत्राधिकार में सहायता शिविर, लोक अदालत और कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - अनुच्छेद 39A कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
  - अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये कानून के समक्ष समानता और सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

- कानूनी सेवा प्राधिकरणों के उद्देश्य:
  - मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
  - कानूनी जागरूकता फैलाना।
  - लोक अदालतों का आयोजन करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता शामिल है।
  - अपराध पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना।
- मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये कानूनी सेवा संस्थान:
  - राष्ट्रीय स्तर:
    - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)- इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं।
  - राज्य स्तर:
    - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण- इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं।
  - ज़िला स्तर:
    - ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण: ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
  - तालुका/उप-मंडल स्तर:
    - तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति: इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं।
  - उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति
  - सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
- नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति:
  - महिलाएँ और बच्चे
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
  - औद्योगिक कामगार
  - सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
  - दिव्यांग व्यक्तियों
  - हिरासत में उपस्थित व्यक्ति
  - वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है, यदि मामला 5 लाख रुपए से कम का है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा।
  - मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग।

चारधाम परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत-चीन सीमा की ओर जाने वाली 'चारधाम परियोजना' (CDP) के तहत सड़कों के विस्तार के सेना के अनुरोध के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता की बात कही है।

- यह अनुरोध चीन द्वारा सीमा पार किये जा रहे निर्माण के संदर्भ में आया है। हालाँकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा सड़कों के विस्तार का विरोध किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- चारधाम परियोजना के विषय में:
  - उद्देश्य: चारधाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चारधाम तीर्थस्थलों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) के लिये कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे इन केंद्रों की यात्रा सुरक्षित, तीव्र और अधिक सुविधाजनक हो सके।
    - यह परियोजना तीर्थ स्थलों और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-125) के टनकपुर-पिथौरागढ़ खंड को जोड़ने वाले लगभग 900 किलोमीटर के राजमार्गों को चौड़ा करेगी।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका: यह परियोजना रणनीतिक सड़कों के रूप में कार्य कर सकती है, जो भारत-चीन सीमा को देहरादून और मेरठ में सेना के शिविरों से जोड़ती है, जहाँ मिसाइल बेस और भारी मशीनरी मौजूद हैं।
  - कार्यान्वयन एजेंसियाँ: उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL)।
    - 'राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- परियोजना के विषय में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:
  - यह परियोजना 55,000 पेड़ों के साथ लगभग 690 हेक्टेयर वनों को नष्ट कर सकती है और अनुमानित 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी को प्रभावित कर सकती है।
  - सड़कों के विस्तार में पेड़ों की निर्मम कटाई या वनस्पति को उखाड़ना जैव विविधता और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिये भी खतरनाक साबित हो सकता है।
    - कलिज तीतर (लोफुरा ल्यूकोमेलानोस, अनुसूची-I), ट्रैगोपैन (ट्रैगोपन मेलानोसेफालस तथा ट्रैगोपन सत्यरा, अनुसूची-I) और गिद्धों की विभिन्न प्रजातियाँ (अनुसूची- I) जैसी प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं।
  - यद्यपि चारधाम परियोजना और हाल ही में चमोली की ग्लेशियर त्रासदी के बीच कोई संबंध नहीं है, किंतु सड़क निर्माण के दौरान अंधाधुंध विस्फोट से मिट्टी और चट्टानों में दरारें आ जाती हैं जो भविष्य में अचानक बाढ़ की संभावना को बढ़ा सकती हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि से वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) की बहाली को मंज़ूरी प्रदान की है।

- यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होगी।
- इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिये निलंबित कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- MPLADS के बारे में:
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
- उद्देश्य:
  - इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।
    - जून 2016 से MPLADS फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन के लिये भी किया जा सकता है।

- कार्यान्वयन:
  - MPLADS की प्रक्रिया संसद सदस्यों द्वारा नोडल ज़िला प्राधिकरण को कार्यों की सिफारिश करने के साथ शुरू होती है।
  - संबंधित नोडल ज़िला, संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को लागू करने तथा योजना के तहत निष्पादित कार्यों और खर्च की गई राशि के विवरण हेतु ज़िम्मेदार है।
- कार्य पद्धति:
  - प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट वार्षिक MPLADS राशि 5 करोड़ रुपए है, जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी की जाती है। MPLADS के तहत जारी वित्त गैर-व्यपगत (Non-Lapsable) है।
  - लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, जबकि राज्यसभा सांसदों को इसे उस राज्य में खर्च करना होता है जिसने उन्हें सदन के लिये चुना है।
  - राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- योजना की बहाली का महत्त्व:
  - यह स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण फिर से शुरू करेगा, जो कि MPLADS का प्राथमिक उद्देश्य है।
  - यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा।
- MPLADS संबंधी मुद्दे:
  - कार्यान्वयन चूक: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय कुप्रबंधन और खर्च की गई राशि की कृत्रिम मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को उठाया है।
  - कोई वैधानिक समर्थन नहीं: यह योजना किसी भी वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं है और यह उस समय की सरकार की मर्जी और कल्पनाओं के अधीन प्रारंभ की गई थी।
  - निगरानी और विनियमन: यह योजना विकास भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई थी लेकिन भागीदारी के स्तर को मापने हेतु कोई संकेतक उपलब्ध नहीं है।
  - संघवाद का उल्लंघन: MPLADS स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार संविधान के भाग IX और IX-A का उल्लंघन करता है।
  - शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ संघर्ष: सांसद कार्यकारी कार्यों में शामिल हो रहे हैं।

खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खान मंत्रालय ने खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अतिरिक्त) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- यह खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत नियम, 2016 [MCR, 2016] में संशोधन करेगा।

प्रमुख बिंदु

- संशोधन:
  - कैप्टिव पट्टों से बिक्री:
    - कैप्टिव पट्टों से उत्पादित 50% खनिजों की बिक्री के तरीके प्रदान करने के लिये नए नियम जोड़े गए।
    - इस संशोधन से कैप्टिव खानों की खनन क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करके अतिरिक्त खनिजों को बाज़ार में जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- कैप्टिव खदानें वे हैं जिनका खदानों के स्वामित्व कंपनी द्वारा विशेष उपयोग हेतु कोयले या खनिज का उत्पादन किया जाता है, जबकि गैर-कैप्टिव खदानें वे हैं जो ईंधन का उत्पादन और बिक्री करती हैं।

- अधिभार का निपटान (OB):
  - अधिभार/अपशिष्ट चट्टान/थ्रेशोल्ड मूल्य से नीचे के खनिज जो खनन या खनिज को लाभकारी बनाने के दौरान उत्पन्न होते हैं, के निपटान की अनुमति देने के लिये प्रावधान जोड़ा गया।
  - इससे खनिकों को व्यापार करने में सुगमता होगी।
- खनन पट्टा प्रदान करने के लिये क्षेत्र:
  - खनन पट्टा प्रदान करने के लिये न्यूनतम क्षेत्र 5 हेक्टेयर से संशोधित कर यानी घटाकर 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। वैसे क्षेत्र जहाँ खनिज की विशेष उपलब्धता हो वहाँ खनन पट्टा प्रदान करने हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर कर दिया गया है।
- सभी मामलों हेतु आंशिक समर्पण:
  - सभी मामलों में खनन पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण की अनुमति है।
  - पहले आंशिक समर्पण की अनुमति केवल वन मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में ही दी जाती थी।
- समग्र लाइसेंस का हस्तांतरण:
  - सभी प्रकार की खदानों के समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिये नियमों में संशोधन किया गया।

- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में रोज़गार एवं निवेश में वृद्धि, राज्यों के राजस्व में वृद्धि, खदानों के उत्पादन एवं समयबद्ध संचालन में वृद्धि, खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं नीलामी की गति में वृद्धि आदि है।

भारत में खनन क्षेत्र:

- परिचय:
  - स्टील और एल्युमिनियम के उत्पादन और रूपांतरण लागत में भारत शुद्ध लाभ की स्थिति में है। इसकी रणनीतिक स्थिति निर्यात के अवसरों को विकसित करने के साथ-साथ तेज़ी से विकासशील एशियाई बाज़ारों को सक्षम बनाती है।
  - भारत वर्ष 2021 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है।
  - भारत 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक था।
  - भारत की खनिज क्षमता दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समान है। भारत वर्तमान में 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है, लेकिन इस वृहद् खनिज क्षमता के बावजूद भारत का खनन क्षेत्र अभी भी अस्पष्ट है।
  - भारत के खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में केवल 1.75% का योगदान है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 से 7.5% तक है।
  - संचालित खानों की कुल संख्या का 90% हिस्सा इन 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) में है।
- खनन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संविधान की सूची-II (राज्य सूची) के क्रम संख्या-23 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
  - सूची-I (केंद्रीय सूची) के क्रमांक-54 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
  - सभी अपतटीय खनिजों (भारतीय समुद्री क्षेत्र में स्थित समुद्र या समुद्र तल से निकाले गए खनिज जैसे- प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र) पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है।
- संबंधित योजनाएँ:
  - राष्ट्रीय खनिज नीति 2019

- नीलाम किये गए ग्रीनफील्ड खनिज ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने हेतु पहल की जा रही है।
- खनन क्षेत्र में करों को युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
- आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार लाने की घोषणा की गई है।
- ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास नियम (MCDR), 2017 में संशोधन करने के लिये अधिसूचित किया है।

- MCDR को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [MMDR Act] की धारा 18 के तहत तैयार किया गया है।
- ये नियम खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन, देश में खनिजों के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये नियम प्रदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण:
  - ये नियम निर्धारित करते हैं कि भारतीय खान ब्यूरो (IBM Nagpur) द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के संबंध में डिजिटल 'ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम' (DGPS) या 'टोटल स्टेशन' या 'ड्रोन सर्वेक्षण' के संयोजन से खान संबंधित सभी योजनाएँ और अनुभाग तैयार किये जाएंगे।
    - 'टोटल स्टेशन' एक ऑप्टिकल उपकरण है जो आमतौर पर निर्माण, सर्वेक्षण और सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। यह क्षैतिज कोणों, लंबवत कोणों तथा दूरी को मापने के लिये उपयोगी है।
- डिजिटल इमेज सबमिशन:
  - पट्टेदारों और आशय पत्र धारकों द्वारा खनन क्षेत्रों की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करने के लिये नया नियम लाया गया है।
  - 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना वाले या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले क्षेत्र के पट्टेदारों को हर वर्ष पट्टे की सीमा के बाहर और 100 मीटर तक के पट्टे वाले क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण छवियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
    - अन्य पट्टेदार उच्च विभेदन उपग्रह चित्र प्रस्तुत करते हैं।
  - इस कदम से न केवल खान नियोजन प्रथाओं, खानों में सुरक्षा और बचाव में सुधार होगा बल्कि खनन कार्यों का बेहतर पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित होगा।
- अनुपालन बोझ में कमी:
  - अनुपालन बोझ को कम करने के लिये दैनिक रिटर्न में छूट का प्रावधान।
  - राज्य सरकार के अलावा आईबीएम को दी गई मासिक या वार्षिक रिटर्न में अधूरी या गलत जानकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति।
- दंड प्रावधान:
  - नियमों में दंड संबंधी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। नियमों में संशोधन निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के तहत नियमों के उल्लंघन को वर्गीकृत करता है:
    - बड़े उल्लंघन: कारावास की सज़ा, जुर्माना या दोनों।
    - मामूली उल्लंघन: जुर्माने को कम किया गया, ऐसे उल्लंघनों के लिये केवल जुर्माने का दंड निर्धारित किया गया है।

- नियमों को अपराध की श्रेणी से हटाना: अन्य नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इन नियमों में रियायत पाने वाले या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई विशिष्ट बाध्यता को आरोपित नहीं किया गया है।

- वित्तीय आश्वासन:
  - निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत न करने की स्थिति में पट्टाधारक के वित्तीय बीमा या परफॉरमेंस सिक्योरिटी को जब्त करने के प्रावधान को जोड़ा गया है।
- रोज़गार के अवसर बढ़ाना:
  - छोटी खदानों के लिये एक अंशकालिक खनन इंजीनियर या एक अंशकालिक भूविज्ञानी की नियुक्ति की अनुमति है जो छोटे खनिकों के अनुपालन बोझ को कम करेगा।
  - खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी पात्रता के एक द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान की ओर से दिया गया खनन और खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा को पूर्णकालिक खनन इंजीनियर के लिये तय पात्रता में जोड़ा गया है।
    - इसके अलावा अंशकालिक खनन इंजीनियर के लिये भी पात्रता जोड़ी गई है।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के तहत आज़ादी के 75 वर्ष के जश्न के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर का सात दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 'डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट', राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में संपन्न हुआ।

- इसके अंतर्गत 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय' और 'उत्तर-पूर्वी परिषद' (NEC) की पहल "डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया" के तहत उत्तर-पूर्व भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: शेष भारत को उत्तर-पूर्व से जोड़ना।
  - इसमें आठ पूर्वोत्तर राज्यों की कला और शिल्प, वस्त्र, जनजातीय उत्पाद, पर्यटन एवं इसके प्रचार आदि की विशेष प्रस्तुति दर्शाई है।
- शामिल संगठन:
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय।
  - उत्तर पूर्वी परिषद (NEC): यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नोडल एजेंसी है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आठ राज्य शामिल हैं। इसका गठन वर्ष 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
  - राष्ट्रीय संग्रहालय: दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का खाका 'मौरिस ग्वायर समिति' द्वारा मई 1946 में तैयार किया गया था।
    - अपनी शुरुआत में वर्ष 1957 तक यह पुरातत्त्व महानिदेशक के अंतर्गत कार्यरत था, बाद में शिक्षा मंत्रालय ने इसे एक अलग संस्थान घोषित किया और अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा।
    - वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्त्व:

- सामरिक स्थान: NER रणनीतिक रूप से पूर्वी भारत के पारंपरिक घरेलू बाज़ार तक पहुँच के साथ-साथ पूर्व के पड़ोसी देशों, जैसे- बांग्लादेश और म्याँमार के साथ निकटता से जुड़ा है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध: आसियान के साथ जुड़ाव भारत की विदेश नीति की दिशा का केंद्रीय स्तंभ होने के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच भौतिक सेतु के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्वी देशों से जुड़ाव की क्षेत्रीय सीमा से संबंधित करती है।

- आर्थिक महत्त्व: NER में विशाल प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जो देश के जल संसाधनों का लगभग 34% और भारत की जलविद्युत क्षमता का लगभग 40% हैं।
- सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है।
- पर्यटन क्षमता: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं, जैसे- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिये प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरंग, असम में डिब्रू सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मेघालय में बालपक्रम, मणिपुर में केबुल लामजाओ, नागालैंड में इटांकी, सिक्किम में कंचनजंगा।
- सांस्कृतिक महत्त्व: NER में जनजातियों की अपनी संस्कृति है। लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का 'पांग ल्हाबसोल' आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये सरकारी पहल:

- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER): वर्ष 2001 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग (Ministry of Development of North Eastern Region- DoNER) की स्थापना हुई। वर्ष 2004 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
- अवसंरचना संबंधी पहल:
  - भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana- BMP) के तहत पूर्वोत्तर में लगभग 5,301 किलोमीटर सड़क के विस्तार व सुधार के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया है।
  - उत्तर-पूर्व को आरसीएस-उड़ान (उड़ान को और अधिक किफायती बनाने हेतु) के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (म्याँमार) और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (Bangladesh-China-India-Myanmar- BCIM) कॉरिडोर।
- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में पूर्वोत्तर के लिये 140.03 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
- मिशन पूर्वोदय: पूर्वोदय का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना है।
  - एकीकृत स्टील हब, जिसमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश शामिल हैं, पूर्वी भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा।
- पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NEIDS): पूर्वोत्तर राज्यों में रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु सरकार मुख्य रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है।
- पूर्वोत्तर के लिये राष्ट्रीय बाँस मिशन का विशेष महत्त्व है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विज़न 2020: यह दस्तावेज़ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है ताकि इस क्षेत्र को अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके जिसके तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं।
- डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विज़न 2022: यह पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने और उसे आसान बनाने हेतु डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने पर ज़ोर देता है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा में कॉन्ग्रेस के मुख्य सचेतक ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की।

- NMA के वर्तमान अध्यक्ष की शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि मार्च 2010 में संसद द्वारा पारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA):

- स्थापना: NMA की स्थापना 'प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम' (AMASR) के प्रावधानों के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई है, जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था।
- कार्य: केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये NMA को कई कार्य सौंपे गए हैं।
  - NMA प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिये आवेदकों को अनुमति देने पर भी विचार करता है।
- अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये योग्यता: AMASR अधिनियम कहता है कि NMA के अध्यक्ष के पास "पुरातत्त्व, देश और नगर नियोजन, वास्तुकला, विरासत, संरक्षण वास्तुकला या कानून के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता होनी चाहिये।"

प्रमुख बिंदु

- परिचय: यह एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।
- संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन: संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे 'प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन' कर सकें।
  - जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
  - किसी भी सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है।
  - इसका मकसद संबंधित मंत्री की निंदा करना है।
- स्पीकर/राज्यसभा (RS) अध्यक्ष की भूमिका:
  - स्पीकर/राज्यसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की जाँच का पहला स्तर है।
  - स्पीकर/अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकता है या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकता है।
    - यदि स्पीकर/सभापति प्रासंगिक नियमों के तहत सहमति देता है, तो संबंधित सदस्य को एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।
- विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम:
  - लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है।
  - नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष या चेयरपर्सन की सहमति से किसी सदस्य या सदन या उससे संबंधित समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में प्रश्न उठा सकता है।

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट प्रदान करना है।
- संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।
- संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते जो संसद का अभिन्न अंग भी है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात् संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।

- संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान और उसके प्रारंभ होने से 40 दिन पहले तथा इसके समापन के 40 दिन बाद तक सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों को गिरफ्तारी व हिरासत से मुक्ति प्रदान कर सकती है।
- ध्यातव्य है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने हेतु कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।

विशेषाधिकार समिति

- यह एक स्थायी समिति है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करती है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।
- लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey) किया है, जिसमें 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 733 ज़िलों के 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों का आकलन किया गया।

- सर्वेक्षण को आखिरी बार वर्ष 2017 में किया गया था और वर्ष 2020 में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे वर्ष 2021 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण:
  - यह शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है।
    - यह पूरे भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा, राष्ट्रव्यापी, नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है।
  - यह सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
    - यह सर्वेक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित किया गया है।
    - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2021 के लिये एक मूल्यांकन ढाँचा और उपकरण तैयार किये हैं ।
  - यह स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक प्रणाली-स्तरीय प्रतिबिंब प्रदान करता है।
    - यह प्रासंगिक पृष्ठभूमि के कारकों जैसे- स्कूल का वातावरण, शिक्षण प्रक्रियाओं, छात्रों के परिवार एवं वातावरण के बारे में जानकारी एकत्र करता है।
  - यह भारत के सरकारी स्कूलों (राज्य और केंद्र सरकार दोनों), सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा निजी स्कूलों सहित स्कूलों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है।
- माध्यम और ग्रेड:
  - सर्वेक्षण को शिक्षा के 22 माध्यमों में आयोजित किया गया जिसमें अंग्रेज़ी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मिज़ो, पंजाबी, ओडिया, तेलुगू, तमिल, बोडो, उर्दू, गारो, कोंकणी, खासी, भूटिया, नेपाली और लेप्चा शामिल हैं।
  - यह अलग-अलग ग्रेड के लिये अलग-अलग विषयों में आयोजित किया गया है। विषय और ग्रेड का विवरण निम्नलिखित है:
    - ग्रेड 3 और 5: भाषा, ईवीएस (EVS) और गणित
    - ग्रेड 8: भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान
    - ग्रेड 10: भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेज़ी
- उद्देश्य:
  - ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु नीति नियोजन, योजना निर्माण व सिखने सिखाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

- महत्त्व:
    - यह कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने में उत्पन्न रुकावट और छात्रों के सिखने की प्रक्रिया का आकलन करने में मदद करेगा जो बदले में उपचारात्मक उपायों को बढ़ावा देगा।
    - सर्वेक्षण के निष्कर्ष छात्रों के सामाजिक-भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कूलों के बंद होने का छात्रों की शिक्षा पर असर का मुल्यांकन करने के लिये लॉकडाउन से पहले और बाद में शिक्षा व्यवस्था का आकलन करने में मदद करेगा।
    - यह छात्रों के सीखने के अंतराल का समाधान करने, शिक्षा नीतियों, सीखने तथा शिक्षण प्रथाओं को तैयार करने में मदद करेगा।
    - सर्वेक्षण के निष्कर्ष अपने नैदानिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षा के विस्तार में शामिल अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण में मदद करते हैं।

भारत में शिक्षा:

- संवैधानिक प्रावधान:
    - भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
    - वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
    - वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया।
- संबंधित कानून:
    - शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
        - यह समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है।
- सरकार की पहल:
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
    - समग्र शिक्षा (एसएस) 2.0
    - निपुण भारत मिशन
    - पीएम पोषण योजना
    - शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली ((UDISE)
    - परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक

CBI और ED निदेशकों का कार्यकाल विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश जारी किये हैं, जो केंद्र सरकार को 'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) और 'प्रवर्तन निदेशालय' (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने की अनुमति देते हैं।

- अध्यादेशों के माध्यम से 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946' और 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' में संशोधन किया गया है, ताकि सरकार को दोनों संस्थानों के प्रमुखों को उनके दो वर्ष पूरे करने के बाद एक वर्ष के लिये अपने पदों पर रखने की शक्ति मिल सके।
- केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में निश्चित दो साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अब उन्हें तीन वार्षिक विस्तार दिये जा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम' में संशोधन:
    - सार्वजनिक हित में संबंधित समिति (प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्त्व वाली समिति) की सिफारिश के आधार पर निदेशक के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

- 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम' में संशोधन:
  - सार्वजनिक हित में संबंधित समिति (जिसमें सीवीसी प्रमुख, राजस्व और गृह सचिव शामिल हैं) की सिफारिश के आधार पर निदेशक के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
    - बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो':

- इसकी स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - वर्तमान में यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- यह केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
  - यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
  - यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
- इसका नेतृत्व एक निदेशक करता है।
- CBI के पास आईपीसी के तहत शामिल 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत जाँच करने का क्षेत्र है।

प्रवर्तन निदेशालय:

- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है।
- 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
  - वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।
- ED निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

आर्थिक घटनाक्रम

विश्व की विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोध किये गए दस्तावेज़ों के अनुसार, "इंटर क्रॉपिंग के साथ एकीकृत खेती पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हुए खाद्य उत्पादन को बढ़ाती है", भारत में छोटे भूमि धारक अधिक अनाज पैदा कर सकते हैं और पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:
  - "रिले प्लांटेशन" उपज बढ़ाता है:
    - रिले प्लांटेशन का अर्थ है एक ही खेत में एक ही मौसम में विभिन्न फसलों का रोपण।
    - उदाहरण: तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में छोटे किसान रिले खेती से पैसा कमा रहे हैं। वे प्याज, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन और यहाँ तक कि कुछ देशी फल भी लगाते हैं, इस प्रकार इस बीच के समय के दौरान लाभ कमाते हैं।
    - इसमें श्रम का बेहतर प्रयोग होता है, कीड़े कम फैलते हैं और फलियाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रसार करती हैं।
    - हालाँकि रिले क्रॉपिंग में कठिनाइयाँ होती हैं, अर्थात् इसके लिये मशीनीकरण और प्रबंधन की अधिक आवश्यकता है।
  - स्ट्रिप क्रॉपिंग अधिक लाभकारी:
    - स्ट्रिप क्रॉपिंग का उपयोग अमेरिका में किया गया है (जहाँ खेत भारत की तुलना में बड़े हैं), वहाँ किसान वैकल्पिक तरीके से एक ही खेत में मकई और सोयाबीन के साथ गेहूँ उगाते हैं। हालाँकि इसके लिये बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है।
    - भारत में जहाँ बड़े खेत हैं (जैसे कि शहरों और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले), भूमि को पट्टियों में विभाजित किया जाता है तथा फसलों के बीच घास की पट्टियों को उगने के लिये छोड़ दिया जाता है।
    - वृक्षारोपण से पश्चिमी भारत में रेगिस्तान को स्थिर करने में मदद मिली है।
  - साइल मल्चिंग और नो टिल:
    - "सॉइल मल्चिंग", यानी उपलब्ध साधन जैसे- गेहूँ या चावल के भूसे के प्रयोग से मृदा में सुधार करना सॉइल मल्चिंग कहलाता है।
    - पारंपरिक मोनोकल्चर फसल की तुलना में 'नो-टिल' या कम जुताई वार्षिक फसल की उपज को 15.6% से 49.9% तक बढ़ा देती है और पर्यावरण के पदचिह्न को 17.3% तक कम कर देती है।
    - हालाँकि भारत में छोटे किसानों के लिये ये तरीके आसान नहीं हैं, लेकिन कम-से-कम बड़े खेतों में इनका अभ्यास किया जा सकता है।
    - मिट्टी की मल्चिंग के लिये आवश्यक है कि सभी खुली मिट्टी को पुआल, पत्तियों और इसी तरह से ढक दिया जाए, तब भी जब भूमि उपयोग में हो।
    - कटाव को कम कर नमी बरकरार रखी जाती है और लाभकारी जीवों, जैसे केंचुआ का प्रयोग किया जाता है, इससे मिट्टी की जुताई न करने पर भी वही लाभ मिलता है।
- भारत के लिये महत्त्व:
  - वर्तमान आँकड़े के अनुसार, देश में छोटे किसानों की एक बड़ी आबादी है, जिनमें से कई के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।
  - भारत के लगभग 70% ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, जिसमें 82% किसान छोटे और सीमांत हैं।
  - कुछ स्रोतों के अनुसार सभी किसानों में से केवल 30% औपचारिक स्रोतों से उधार लेते हैं।
    - राज्य सरकारों की ओर से कृषि ऋण माफी इस संबंध में मददगार रही है।

संशोधित PCA ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) ने एक संशोधित 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (PCA) ढाँचे की घोषणा की है।

- ज्ञात हो कि PCA ढाँचा बैंकों पर रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और प्रभावी बाज़ार अनुशासन सुनिश्चित करता है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित ढाँचा
  - प्रयोज्यता
    - यह ढाँचा भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होता है, जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं।
    - हालाँकि भुगतान बैंकों और 'छोटे वित्त बैंकों' (SFBs) को उन ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है, जहाँ रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
    - नए प्रावधान जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।
  - निगरानी क्षेत्र:
    - पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR), NPA अनुपात, टियर I लिवरेज अनुपात इस संशोधित ढाँचे में निगरानी हेतु प्रमुख क्षेत्र होंगे।
    - हालाँकि इस संशोधित ढाँचे में परिसंपत्तियों पर रिटर्न को एक पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
  - PCA का क्रियान्वयन
    - किसी भी जोखिम सीमा के उल्लंघन के परिणामस्वरूप PCA को लागू किया जा सकता है। दबावग्रस्त बैंकों को ऋण/निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    - हालाँकि उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों/अन्य उच्च गुणवत्ता वाले तरल निवेशों में निवेश करने की अनुमति है।
    - अपने जमाकर्त्ताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करने में बैंक की ओर से चूक के मामले में PCA मैट्रिक्स के बिना संभावित समाधान प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है।
  - रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ
    - शासन-संबंधी कार्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949' की धारा 36ACA के तहत बोर्ड का स्थान ले सकता है।
    - बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 में संशोधन, रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की मंज़ूरी के साथ किसी स्थगन को लागू करने या उसके बिना किसी बैंक के पुनर्निर्माण या समामेलन करने में सक्षम बनाता है।
    - रिज़र्व बैंक अपनी अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में संशोधित PCA के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
  - PCA प्रतिबंधों को समाप्त करना:
    - अधिरोपित प्रतिबंधों को वापस लेने पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब चार निरंतर तिमाही वित्तीय विवरणों के अनुसार किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा में कोई उल्लंघन नहीं देखा गया हो।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई:
  - पृष्ठभूमि: PCA एक ढाँचा है, जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी में रखा जाता है।
    - रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2002 में PCA ढाँचे को ऐसे बैंकों के लिये एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया था, जो खराब संपत्ति की गुणवत्ता के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे थे या लाभप्रदता के नुकसान के कारण कमज़ोर हो गए थे।
    - वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इस ढाँचे को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था।

- उद्देश्य: PCA ढाँचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना और पर्यवेक्षित इकाई के लिये समयबद्ध ढंग से उपचारात्मक उपायों को लागू करना अनिवार्य बनाना है, ताकि उनके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके।
  - इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटना है।
  - इसका उद्देश्य नियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्त्ताओं को भी सतर्क करना है।
  - इसका मुख्य लक्ष्य समय के गंभीर रूप धारण करने से पूर्व ही उसका मुकाबला करना है।
- लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम: एक बैंक को आमतौर पर लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर PCA ढाँचे के तहत रखा जाएगा।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

- जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है।
- प्राय: बैंकों द्वारा 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों' को 'सब-स्टैंडर्ड', 'डाउटफुल' और 'लॉस एसेट' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR):

- CAR एक बैंक की उपलब्ध पूंजी को मापने का उपाय है, जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे 'कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट रेशियो' (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्त्ताओं की रक्षा और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

टियर-1 लिवरेज अनुपात:

- यह एक बैंकिंग संगठन की कोर पूंजी एवं उसकी कुल संपत्ति के बीच के संबंध को व्यक्त करता है।
- टियर-1 लीवरेज अनुपात की गणना टियर-1 पूंजी को बैंक की औसत कुल समेकित संपत्ति और बैलेंस शीट से अलग एक्सपोज़र से विभाजित करके की जाती है।
  - लीवरेज अनुपात ऐसे कई वित्तीय मापों में से एक है, जो किसी कंपनी के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करता है। कुछ उदाहरण हैं:
    - इक्विटी अनुपात: यह अनुपात कंपनी में मालिक के कुल योगदान को दर्शाता है।
    - ऋण अनुपात: यह अनुपात कंपनी में उपयोग किये गए कुल लीवरेज को दर्शाता है।
    - 'डेब्ट टू इक्विटी' अनुपात: यह अनुपात इक्विटी की तुलना में व्यवसाय में उपयोग किये गए कुल ऋण को दर्शाता है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर RBI समिति

चर्चा में क्यों?

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के कामकाज को कारगर बनाने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक समिति ने व्यापक सुझाव दिये हैं।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)

- यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित संपत्ति (Non Performing Assets- NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को सुस्पष्ट रख सकें।
  - NPA एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिये मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिये अतिदेय है।
  - आमतौर पर ARC के एक हिस्से को नकद अग्रिम (RBI द्वारा अनिवार्य रूप से 15%) के रूप में भुगतान करके बैंकों के NPA खरीदते हैं, और शेष राशि (85%) के लिये प्रतिभूति 'रसीद' (Security Receipts) जारी करते हैं।

- यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
- सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट'(SARFAESI), 2002 भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
  - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पदनकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया।
- RBI को ARCs को विनियमित करने की शक्ति मिली है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - रिकवरी सुनिश्चित करने और व्यवसायों के पुनरुद्धार दोनों में, ARC का प्रदर्शन अब तक कमज़ोर रहा है।
  - ऋणदाता 2004-2013 की अवधि में ARC को बेची गई तनावग्रस्त आस्तियों के संबंध में उधारकर्त्ताओं पर बकाया कुल राशि का केवल 14.29% ही वसूल कर पाए हैं।
  - ARC के प्रदर्शन में सुधार के लिये RBI ने मुद्दों की जाँच करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ARC को सक्षम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिये एक समिति (सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में) नियुक्त की थी।
- सुझाव:
  - तनावग्रस्त संपत्तियों की बिक्री के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:
    - तनावग्रस्त संपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता और प्रक्रियाओं की एकरूपता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समिति का मानना है कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है।
  - 'सरफेसी अधिनियम' के दायरे का विस्तार:
    - सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार किया जा सकता है ताकि ARCs को न केवल बैंकों और 'वित्तीय संस्थानों' से, बल्कि ऐसी संस्थाओं से भीपुनर्निर्माण के उद्देश्य से 'वित्तीय संपत्ति' हासिल करने की अनुमति दी जा सके, जिन्हेंरिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया है।
    - इन प्रस्तावित शक्तियों के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक को ARCs को वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs), परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMCs) सहित सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय संपत्ति हासिल करने की अनुमति देने भी पर विचार कर सकता है।
  - अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना:
    - ARCs को उनके द्वारा खरीदे गए अशोध्य ऋणों के पुनर्गठन की सुविधा के लिये संसाधन जुटाने हेतु सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष को प्रायोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
  - IBC का उपयोग:
    - दबावग्रस्त/तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु ARCs को एक प्रमुख माध्यम के रूप में परिकल्पित करते हुए ARCs को इस उद्देश्य हेतु दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) ढाँचे का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
  - ARCs को बिक्री के लिये 'बड़े ऋण':
    - 'बड़े ऋण' और ऐसे ऋण, जो दो वर्षों से अधिक समय से डिफॉल्ट हैं, बैंकों द्वारा ARCs को बिक्री के लिये दिये जा सकते हैं। आरक्षित मूल्य की अंतिम स्वीकृति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जानी चाहिये।
    - दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री के लिये आयोजित नीलामियों में वास्तविक मूल्य सुनिश्चित करने में आरक्षित मूल्य एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - ऋण एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के लिये:
    - समिति ने सिफारिश की है कि यदि 66% ऋणदाता (मूल्य के आधार पर) किसी ARC द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, तो यह शेष ऋणदाताओं पर बाध्यकारी हो सकता है और इसे बहुसंख्यक ऋणदाताओं (66%) द्वाराअनुमोदन के 60 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिये।

नोट :

- कुल ऋण का अर्थ है कुल मूलधन और ब्याज जो ऋणी द्वारा ऋण निपटान समझौते के निष्पादन के समय लेनदारों पर बकाया है।
- यदि कोई ऋणदाता सहमत होने में विफल रहता है, तो यह बकाया ऋण पर 100% प्रोविजनिंग के अधीन होगा।
- ऋण की प्रोविजनिंग: एक प्रोविजनिंग बुकिंग का तात्पर्य है कि बैंक ऋण पर होने वाले नुकसान को समय से पहले पहचान लेता है।

- NARCL के लिये:
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की बैलेंस शीट को संतुलित करने के लिये भारत द्वारा प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के संबंध में, RBI को बाज़ार के माध्यम से वास्तविक मूल्य खोज के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये NARCL और निजी ARC तंत्र के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिये।

- अपेक्षित लाभ:
  - तनावग्रस्त ऋण से छुटकारा:
    - समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों का उद्देश्य बैंकों को डिफॉल्ट के शुरुआती चरण में तनावग्रस्त ऋण से छुटकारा पाने में सक्षम बनाना और अनिच्छुक अल्पसंख्यक ऋणदाताओं को बिक्री में शामिल होने के लिये प्रेरित करना है। मापदंड बेचे जाने वाले बड़े मूल्य के ऋणों के लिये मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करने का भी प्रयास करते हैं।
  - ARCs को संसाधन जुटाने में मदद:
    - सिफारिशें समयोचित हैं और प्रतिभूति रसीद में निवेश के लिये पात्र बाज़ार सहभागियों की विभिन्न श्रेणियों का दोहन कर ARCs को संसाधन जुटाने में मदद करेंगी।
    - बैंकों को दो साल की प्रोविजनिंग (समय से ऋण की भरपाई) की शर्त के साथ NPA (गैर-निष्पादित संपत्ति) की शीघ्र बिक्री के लिये भी प्रोत्साहन दिया गया है।

तेल और खाद्य कीमतें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक (FPI) जारी किया है, जो कि जुलाई 2011 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।

- खाद्य आपूर्ति और कीमतें, चरम मौसमी घटनाओं, खराब आपूर्ति शृंखला, श्रमिकों की कमी और बढ़ती लागत के कारण दबाव में है।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य और ईंधन में एक साथ वृद्धि:
  - जैव-ईंधन संबंध के कारण पेट्रोलियम और कृषि-वस्तुओं की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी हो रही है।
  - जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो गन्ने या मक्का से इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाना या बायोडीज़ल उत्पादन के लिये ताड़ या सोयाबीन के तेल का अधिक उपयोग किया जाता है।
  - इसी तरह कपास पेट्रोकेमिकल्स-आधारित सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है।
  - इसके अलावा चूँकि मकई मुख्य रूप से एक पशु चारा है और इथेनॉल के लिये इसके प्रयोग से पशुधन में उपयोग हेतु गेहूँ सहित अन्य अनाजों का प्रतिस्थापन होता है।
    - इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में भी वृद्धि होती है।
  - चीनी के साथ भी ऐसा ही होता है, जब चीनी मिलें शराब में किण्वन के लिये गन्ने के अनुपात को बढ़ाती हैं।
  - लेकिन यह केवल जैव-ईंधन का प्रभाव ही नहीं है, बड़ी कीमतों में वृद्धि का सकारात्मक भावना के निर्माण के माध्यम से अन्य कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ता है।

- आर्थिक गतिविधि और प्रोत्साहन:
  - बाज़ार की सकारात्मक भावना दो कारकों से जुड़ी है:
    - महामारी के घटते मामलों और बढ़ती टीकाकरण दरों के बीच दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार के साथ मांग पूर्ववर्ती स्तर पर लौट रही है।
    - दूसरा कारण, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व और अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तरलता है, जिसने कोविड-19 से हुई आर्थिक क्षति को सीमित किया है।
    - यह सारा पैसा, नीति-प्रेरित अति-निम्न वैश्विक ब्याज़ दरों के साथ, शेयर बाज़ारों और स्टार्टअप निवेश के माध्यम से बाज़ार में पहुँच जाता है।
  - हालाँकि चूँकि आपूर्ति शृंखलाओं की बहाली, मांग की रिकवरी के साथ संतुलित नहीं है- शिपिंग कंटेनरों/जहाज़ों और मज़दूरों की कमी अभी तक पूरी तरह से अपने पूर्ववर्ती स्तर पर नहीं लौटी है - कुल मिलाकर इस सब का परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया है।
- किसानों पर प्रभाव:
  - कपास और सोयाबीन जैसे कुछ उत्पाद सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी अधिक कीमतों पर बिक रहे हैं।
  - दूसरी ओर किसानों को ईंधन एवं उर्वरकों के लिये अधिक भुगतान करने हेतु मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं।
- उर्वरक:
  - उर्वरकों की स्थिति और भी बदतर है, डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) वर्तमान में भारत में 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की दर से आयात किया जा रहा है, जिसमें लागत और समुद्री भाड़ा भी शामिल है। 'म्यूरेट ऑफ पोटाश' (MOP) कम-से-कम 450 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पर उपलब्ध है।
    - यह वर्ष 2007-08 के विश्व खाद्य संकट के दौरान प्रचलित कीमतों के करीब हैं।
    - DAP और MOP गैर-यूरिया उर्वरक हैं।
  - उर्वरकों के साथ, उनके मध्यवर्ती और कच्चे माल जैसे- रॉक फॉस्फेट, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड तथा अमोनिया की कीमतें भी डिमांड-पुल (उच्च फसल रोपण से) और कॉस्ट-शॉक (तेल और गैस से) के संयोजन के कारण आसमान छू गई हैं।

खाद्य मूल्य सूचकांक:

- इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाज़ार के विकास की निगरानी में मदद के लिये सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था।
- FAO फूड प्राइस इंडेक्स (FFPI) खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है।
- यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी की टोकरी के मूल्यों में हुए परिवर्तनों को मापता है।
- इसका आधार वर्ष 2014-16 है।

LEADS रिपोर्ट 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट (सूचकांक) 2021 जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - LEADS रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ वे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
    - इसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
  - राज्यों को सड़क, रेल और वेयरहाउसिंग जैसे प्रमुख बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और क्षमता के साथ-साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति तथा नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक्स के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है।

- रिपोर्ट की संरचना तीन आयामों के साथ की गई है जो सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक्स सुविधा को प्रभावित करते हैं- अवसंरचना, सेवाएँ और संचालन तथा नियामक इकोसिस्टम जिन्हें 17 मापदंडों में वर्गीकृत किया गया है।

- आवश्यकता:
  - विकसित देशों के 7-8% की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13-14% है।
  - सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक्स लागत में 5% की कमी लाना है।
    - भारत में अनुमानित लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में लगभग 14% है, जो विश्व स्तर पर 8-10% की तुलना में काफी अधिक है।
  - व्यवसायों के साथ-साथ नागरिकों के लिये आसान और सशक्तीकरण लाने हेतु कुशल लॉजिस्टिक्स महत्त्वपूर्ण था।
    - दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में तरल मेडिकल ऑक्सीजन सहित आवश्यक आपूर्ति करके कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में लॉजिस्टिक्स ने बहुत योगदान दिया।
- राज्यों की रैंकिंग:
  - शीर्ष प्रदर्शक:
    - गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमशः LEADS 2021 इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं।
    - यह लगातार तीसरा साल है जब गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है।
    - केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है।
  - उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र:
    - जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम तथा मेघालय हैं।
- सुझाव:
  - राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीति और लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार करना, लॉजिस्टिक्स के लिये सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का उपयोग करना, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और स्टेट स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में स्किलिंग को सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- संबंधित पहलें:
  - PM गतिशक्ति मास्टर प्लान
  - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)
  - सागरमाला
  - भारतमाला परियोजना
  - RFID, फास्टैग के साथ ई-वे बिल इंटीग्रेशन

तकनीकी वस्त्रों का बढ़ता निर्यात

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने तीन वर्षों में तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) के निर्यात में मौजूदा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पाँच गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बिंदु

- तकनीकी वस्त्र:
  - तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
    - तकनीकी वस्त्र उत्पाद की मांग किसी देश के विकास और औद्योगीकरण पर निर्भर करती है।

- प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र खंड हैं: एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिल्टेक, क्लोथेक, ओईटेक, जियोटेक, पैकटेक, हॉमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक।
    - उदाहरण: मोबिलटेक (Mobiltech) वाहनों में सीट बेल्ट और एयरबैग, हवाई जहाज़ की सीट जैसे उत्पादों को संदर्भित करता है। जियोटेक (Geotech) जो कि संयोगवश सबसे तेज़ी से उभरता हुआ खंड है, का उपयोग मृदा आदि को जोड़े रखने में किया जाता है।

- तकनीकी वस्त्र परिदृश्य:
    - भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने विगत पाँच वर्षों में गति प्राप्त की है, जो वर्तमान में प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ रहा है।
        - आगामी पाँच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% के दायरे में लाने का लक्ष्य है।
    - मौजूदा विश्व बाज़ार 250 अरब अमेरिकी डॉलर (18 लाख करोड़ रुपए) का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब अमेरिकी डॉलर है।
    - भारत इस बाज़ार (8% शेयर) में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक महत्त्वाकांक्षी भागीदार है।
        - सबसे बड़े भागीदारों में यूएसए, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान (20-40%) हैं।
- चुनौतियाँ:
    - जागरूकता की कमी:
        - तकनीकी वस्त्रों के लाभ के संदर्भ में अभी भी देश की अधिकांश आबादी में जागरूकता की कमी है।
    - कुशल कार्यबल का विकास:
        - तकनीकी वस्त्रों को श्रमिकों से अलग और उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में घरेलू उद्योग में अनुपस्थित है।
    - अनुसंधान एवं विकास की कमी:
        - भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग जिन प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहा है उनमें से एक उत्पाद विविधीकरण की कमी है।
    - तकनीकी वस्त्रों का आयात:
        - भारत चीन से सस्ते उत्पादों और अमेरिका व यूरोप से हाई-टेक उपकरणों से युक्त तकनीकी वस्त्रों की एक महत्त्वपूर्ण मात्रा का आयात करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग में उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण के पैमाने और क्षमता का अभाव है।
- अवसर:
    - विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि:
        - तकनीकी वस्त्र मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, निर्माण, विमानन आदि जैसे विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
        - विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये विकास का एक स्तंभ रहा है, जिसमें कई उद्योगों ने पिछले एक दशक में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है।
        - आगामी दशक में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के 12% की दर से बढ़ने की संभावना है और वर्ष 2025 में अनुमानित 75 मिलियन वाहनों के उत्पादन की उम्मीद है।
    - स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता का बढ़ता महत्त्व:
        - देश में प्रदूषण और बीमारियों के लगातार बढ़ते खतरे के साथ लोग धीरे-धीरे अधिक स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें वाइप्स, फेस मास्क, डायपर, डेंटल फ्लॉस, ईयरबड्स, सैनिटरी नैपकिन आदि जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल है।
        - विभिन्न तकनीकी वस्त्र से संबंधित उत्पादों का अलग- अलग रूपों में उपयोग किया जाता है।
    - खेलों पर बढ़ता केंद्रण:
        - खेल उपकरण, कृत्रिम टर्फ और कंपोज़िट, खेल वस्त्र एवं सक्रिय वस्त्र, खेल के जूते आदि के रूप में तकनीकी वस्त्रों का उपभोग होता है।
        - बढ़ती फिटनेस और खेलों का आयोजन तकनीकी वस्त्रों के लिये एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं।

- रक्षा और सुरक्षा खर्च में वृद्धि:
  - रक्षा और सुरक्षा पर सरकार के बढ़ते केंद्रण के कारण तकनीकी वस्त्र उपकरण जैसे- बुलेटप्रूफ जैकेट, हाई एल्टीट्यूड (High Altitudes) वाले वस्त्र, दस्ताने, जूते आदि की मांग में वृद्धि हुई है।
- तकनीकी वस्त्र से संबंधित पहलें:
  - राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:
    - इसे फरवरी 2020 में 194 मिलियनअमेरिकी डॉलर के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था ताकि भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थान दिया जा सके।
  - वस्त्र उद्योग के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:
    - इसका उद्देश्य उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों (Man-Made Fibre-MMF) से बने कपड़े, परिधानों और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  - तकनीकी वस्त्र के लिये हार्मोनाइज़्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड:
    - वर्ष 2019 में भारत सरकार ने निर्माताओं को वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर आयात एवं निर्यात डेटा की निगरानी में मदद करने के लिये तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के 207 उत्पादों को हार्मोनाइज़्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (Harmonised System of Nomenclature-HSN) कोड प्रदान किया।
  - स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI:
    - भारत सरकार स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निर्माताओं जैसे- अहलस्ट्रॉम, जॉनसन एंड जॉनसन आदि ने पहले ही भारत में परिचालन शुरू कर दिया है।
  - टेक्नोटेक्स इंडिया:
    - यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की/FICCI) के सहयोग से आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसमें वैश्विक तकनीकी वस्त्र मूल्य श्रृंखला के हितधारकों की भागीदारी के साथ प्रदर्शनियाँ, सम्मेलन एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।
  - संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS):
    - इसका उद्देश्य निर्यात में सुधार करना और अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
    - ATUFS के तहत तकनीकी सलाहकार निगरानी समिति (TAMC) के मार्गदर्शन में कपड़ा और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण से संबंधित संस्थाओं को प्रौद्योगिकी उन्नयन और CIS की पेशकश की जाती है।

आगे की राह

- लोगों को तकनीकी वस्त्रों के बारे में शिक्षित करने के लिये सरकार और उद्योग को एक ठोस बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में तकनीकी वस्त्रों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना, रोड शो और सेमिनार जैसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है।
- सरकार तकनीकी वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिये अपनी जनशक्ति विकास योजनाओं को संशोधित कर सकती है।
- युवा और महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और तकनीकी वस्त्रों के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के साथ-साथ आगामी वर्षों में इसका लाभ उठाना चाहिये।

सेवा-निर्यात को बढ़ाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहा है। यह लक्ष्य भारत द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष (FY 2020) के निर्यात का लगभग पाँच गुना है।

प्रमुख बिंदु

- भारत का सेवा क्षेत्र:
  - डेटा विश्लेषण: भारत दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है।
    - वित्त वर्ष 2011 में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कुल सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) का 54% था।
    - सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है, जो लगभग 26 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और भारत के कुल वैश्विक निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है।
    - सेवा क्षेत्र भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है, जो वर्ष 2000 और वर्ष 2021 के बीच कुल प्रवाह का 53% है।
  - विस्तार: भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तराँ, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तपोषण, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएँ, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ और निर्माण से जुड़ी सेवाओं जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।
- महत्त्व:
  - सेवा व्यापार में अधिशेष ने लंबे समय से भारत के व्यापारिक 'शिपमेंट' में भारी घाटे को कम कर दिया है।
    - नवीनीकृत गतिविधियों के केंद्रण और लक्षित सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से सेवा व्यापार अधिशेष वित्तीय वर्ष 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ सकता है और व्यापारिक निर्यात के कारण होने वाले घाटे को लगभग समाप्त कर सकता है।
  - यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 'असेंबली अर्थव्यवस्था' से 'ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था' में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है।
    - स्किल इंडिया कार्यक्रम में वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक युवाओं को बाज़ार से संबंधित कौशल में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।
- सेवाओं के निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ:
  - विविधीकरण सेवा क्षेत्र: प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाओं (ITeS) से बाहर उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण:
    - घरेलू कानूनी सेवा क्षेत्र की शुरुआत से भारतीय वकीलों का लाभ होगा क्योंकि उन्हें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में बड़े अवसर मिलेंगे।.
    - इसके अलावा, उच्च शिक्षा, आतिथ्य और चिकित्सा पर्यटन जैसे संभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - सेवाओं में FTA: सेवा क्षेत्र का समर्थन करने हेतु सरकार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित) के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से बाज़ार पहुँच के अवसरों का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रही है।
  - फाइन ट्यूनिंग एसईआईएस योजना: सरकार एक ऐसे कार्यक्रम पर कार्यरत है जो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS) को उसके मौजूदा स्वरूप में बदल सकता है।
    - सरकार के अनुसार, सेवा उद्योग को सरकारी सब्सिडी जैसे सहारे से दूर रहने की आवश्यकता है।
    - यह कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
    - साथ ही सब्सिडी राशि का उपयोग उन लोगों के लिये किया जा सकता है जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है।

सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम

- इसे भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत अप्रैल 2015 में 5 वर्षों के लिये पेश किया गया था।
  - इससे पहले, इस योजना को वित्तीय वर्ष 2009-2014 के लिये भारत योजना (SFIS योजना) से सेवा के रूप में नामित किया गया था।
- इस योजना के तहत सरकार 'ड्यूटी-क्रेडिट स्क्रिप' के रूप में अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा पर 3-5% प्रोत्साहन देती है। स्क्रिप का उपयोग आयतित माल पर मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान के लिये किया जा सकता है।

नोट :

आगे की राह:

- सेवाओं में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: सरकार को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अनुरूप सेवा क्षेत्र के विकास हेतु कुछ विचार करना चाहिये।
- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का हिस्सा बनना: भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में खुद को एम्बेड करने का प्रयास करना चाहिये।
    - यदि भारत एक प्रमुख निर्यातक बनना चाहता है, तो उसे अपने तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिये और महत्वपूर्ण मात्रा में विस्तार हासिल करना चाहिये।
- B2B मॉडल: एक गतिशील बिज़नेस 2 बिज़नेस (B2B) पोर्टल विकसित करना, जिसका इस्तेमाल सेवा प्रदाता विदेशों के बाज़ारों तक पहुंचने के लिये कर सकते हैं।
- विदेश व्यापार नीति (FTP): जब तक सरकार योजना-आधारित निर्यात प्रोत्साहनों की घोषणा करके आगामी विदेश व्यापार नीति (FTP) में इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है और अल्पावधि में मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए अंतरिम राहत प्रदान नहीं करती है, तब तक यह क्षेत्र गति खो देगा। 2021-22 के पहले पाँच महीनों में इसने गति पकड़ी है।

विधिक माप विज्ञान (पैक किये गए उत्पाद) नियम 2011

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये 'विधिक माप विज्ञान (पैक किये गए उत्पाद) नियम 2011' के नियम-5 को समाप्त कर दिया है।

- यह नियम 5 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करते हुए अनुसूची-II को परिभाषित करता है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधन के विषय में
    - 'अधिकतम खुदरा मूल्य' की घोषणा:
        - भारतीय मुद्रा में 'अधिकतम खुदरा मूल्य' (MRP) की घोषणा पूर्व-पैक वस्तुओं और निर्माण की तारीख पर सभी करों सहित अनिवार्य कर दी गई है।
    - यूनिट बिक्री मूल्य का नया प्रावधान:
        - अब मात्रा को संख्या या इकाई या टुकड़े या जोड़ी या सेट या ऐसे किसी अन्य शब्द के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो पैकेज में मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है।
        - यह खरीद के समय वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान बनाएगा।
        - इससे पूर्व संख्या के आधार पर बेची जाने वाली वस्तुओं के लिये 'U' और 'N' प्रतीक का प्रयोग किया जाता था।
- विधिक माप विज्ञान (पैक किये गए उत्पाद) नियम 2011:
    - यह भारत में पहले से पैकिंग की गई वस्तुओं को नियंत्रित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है।
    - विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) का मुख्य उद्देश्य वज़न एवं माप के मानकों को स्थापित करना और लागू करना, वज़न, माप एवं अन्य वस्तुओं में व्यापार तथा वाणिज्य जिन्हें तौल, माप या संख्या में बेचा या वितरित किया जाता है और कोई अन्य मामला जो इनसे संबंधित हो को विनियमित करना है।
        - अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है।
        - राज्य सरकार अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

- संबंधित पहलें:
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
  - मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक के संबंध में CBIC के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBIC) ने 'वस्तु एवं सेवा' कर के फील्ड अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस तरह का अवरोध 'भौतिक साक्ष्य' के आधार पर होना चाहिये, न कि केवल 'संदेह' के आधार पर।

प्रमुख बिंदु

- इनपुट टैक्स क्रेडिट:
  - इसका अभिप्राय ऐसे कर से है, जिसका भुगतान एक व्यवसाय द्वारा खरीद के समय किया जाता है और जब वह बिक्री करता है तो वह अपनी कर देयता को कम करने के लिये इसका उपयोग कर सकता है।
  - इसका अर्थ है कि आउटपुट पर टैक्स का भुगतान करते समय इनपुट पर पहले से चुकाए गए टैक्स को कम किया जा सकता है और शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है।
  - अपवाद: 'कंपोज़िशन स्कीम' के तहत शामिल व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिये या छूट प्राप्त सामानों के लिये भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।
    - 'कंपोज़िशन स्कीम' वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक योजना है, जिसे जटिल औपचारिकताओं से छुटकारा पाने के लिये चुना जा सकता है। इसे कोई भी करदाता चुन सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है।
- 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' का दावा करने संबंधी प्रावधान:
  - CGST (केंद्रीय जीएसटी) नियम, 2017 के संशोधित नियम 36 (4) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब माल आपूर्तिकर्त्ता प्रत्येक बिल के माध्यम से आपूर्ति का विवरण ऑनलाइन अपडेट और अपलोड करता है।
- नए दिशा-निर्देश:
  - इसने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को निर्धारित किया जिसमें इस तरह के ITC को एक वरिष्ठ कर अधिकारी द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।
  - इनमें बिना किसी चालान या किसी वैध दस्तावेज़ के क्रेडिट प्राप्त करना या ऐसे चालान पर खरीदारों द्वारा क्रेडिट प्राप्त करना शामिल है, जिस पर विक्रेताओं द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है।
  - आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, को मामले के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अपने विवेक के आधार पर ITC को अवरुद्ध करने संबंधी निर्णय लेना चाहिये।
    - सरकार ने दिसंबर 2019 में जीएसटी नियमों में नियम 86A पेश किया था, जिससे करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध आईटीसी को ब्लॉक करने का प्रावधान किया गया था, यद्यपि अधिकारी के पास मज़बूत कारण उपलब्ध थे कि आईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ उठाया गया था।
  - यह निर्णय 86A के उप-नियम (1) के तहत शर्तों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के कपटपूर्ण लाभ के संबंध में उपलब्ध या एकत्र किये गए भौतिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिये।
  - इन दिशा-निर्देशों ने टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध करने पर आयोगों, संयुक्त आयुक्तों और सहायक आयुक्तों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिये मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है।
    - एक डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर 1 करोड़ रुपए तक, अतिरिक्त या ज्वाइंट कमिश्नर 1 करोड़ रुपए से ऊपर लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम और प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर 5 करोड़ रुपए से ऊपर ITC को ब्लॉक कर सकता है।

नोट :

- यदि कोई अधिकारी उचित प्रक्रिया के तहत आईटीसी को अवरुद्ध करता है, तो करदाता को जीएसटी पोर्टल पर कार्रवाई के साथ-साथ उस अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा जिसने इसे अवरुद्ध किया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC):

- यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में 'केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया था।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधिरोपित करने एवं संग्रह करने से संबंधित नीति तैयार करने के कार्य में संलग्न है।
  - जीएसटी कानून में शामिल हैं- (i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (ii) राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (iii) केंद्रशासित प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (iv) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (v) माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम, 2017।

बढ़ता चालू खाता घाटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2021 से भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) लगातार बढ़ रहा है। इस चालू खाता घाटा (Current Account Deficit- CAD) का कारण कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से कमोडिटी/जिंसों की कीमतों में हुई वृद्धि है।

- मार्च 2021 तक CAD के 45 अरब डॉलर या जीडीपी के 1.4% तक पहुँचने की संभावना थी। यह कमज़ोर आर्थिक सुधार पर दबाव डालेगा।

प्रमुख बिंदु

- परिभाषा: चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है।
  - माल के निर्यात और आयात संतुलन को 'व्यापार संतुलन' (Trade Balance) कहा जाता है। व्यापार संतुलन 'करंट अकाउंट बैलेंस' का एक हिस्सा है।
- भारत के चालू खाता घाटे के कारक:
  - उच्च तेल आयात: भारत में तेल की मांग का लगभग 85% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
    - इसके कारण यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की वृद्धि से व्यापार घाटा 12 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के 35 बेसिस पॉइंट (Basis Points-bps) तक बढ़ जाएगा।
  - सोने का अधिक मात्रा में आयात: विदेशी मुद्रा को कम करने वाला एक और कारक सोने का अधिक मात्रा में आयात करना है।
    - घरेलू मांग में सुधार और मौजूदा त्योहारी सीज़न के कारण सोने का आयात बढ़ रहा है।
    - विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) के अनुसार, इस वर्ष सोने की मांग वर्ष 2020 के स्तर को पार कर जाएगी और उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बढ़ते धन के प्रवाह और आय को देखते हुए सोने की मांग उच्च बनी रहेगी।
  - सेवाओं का सकारात्मक पक्ष: रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में मासिक सेवाओं का अधिशेष वर्ष 2019 के औसतन 6.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2021 के पहले नौ महीनों में 8 बिलियन डॉलर हो गया है।
- समग्र प्रभाव: रिपोर्ट में किसी भी नकारात्मक स्थिति के उत्पन्न होने से इनकार किया गया है और बताया गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर मैक्रो स्टेबिलिटी (Macro Stability) या भुगतान संतुलन के समक्ष कोई बड़ा जोखिम उत्पन्न नहीं करता है।

नोट :

- हालाँकि मांग में सुधार के समुच्चय/संयोजन के रूप में घाटे की बढ़ती प्रवृत्ति कुछ समय के लिये जारी रह सकती है तथा कमोडिटी की बढ़ती कीमतों से व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ेगा।

भुगतान संतुलन:

- परिभाषा:
  - भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- BoP की गणना का उद्देश्य:
  - यह निर्धारित करने के लिये इसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि देश में मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है या मूल्यह्रास हो रहा है।
  - यह राजकोषीय और व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में सरकार की मदद करता है।
  - किसी देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण और उसे समझने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- BoP के घटक:
  - एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में परिवर्तन को भी दर्शाता है।
  - चालू खाता: यह दृश्यमान (जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है- व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है) और अदृश्यमान वस्तुओं (गैर-व्यापारिक माल भी कहा जाता है) के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है।
    - अदृश्यमान में सेवाएँ, विप्रेषण और आय शामिल हैं।
  - पूंजी खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है।
    - यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है।
  - बाहरी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment) आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं।
  - त्रुटियाँ और चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण इस असंतुलन को BoP में त्रुटियों और चूक (Errors and Omissions) के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है।
  - विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन: मुद्रा भंडार में होने वाले उतार-चढ़ाव में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन और विशेष आहरण अधिकार (SDR) परिवर्तन शामिल है।
  - कुल मिलाकर BoP खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है। यदि कोई घाटा है तो उसे विदेशी मुद्रा (Forex) खाते से पैसे लेकर पूरा किया जा सकता है।
    - यदि विदेशी मुद्रा खाते का भंडार कम हो रहा है तो इस परिदृश्य को BoP संकट कहा जाता है।

भू-प्रजातियों का संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर के अकोले तालुका की निवासी राहीबाई पोपेरे (Rahibai Popere) को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, जिन्हें सीडमदर (Seedmother) के नाम से जाना जाता है।

- उन्हें उनके काम की पहचान के लिये सम्मानित किया गया, उन्होंने गाँव स्तर पर सैकड़ों भू-प्रजातियों (आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों) को संरक्षित करने में मदद की है।
- वर्तमान में किसान मुख्यत: संकर फसलें (Hybrid Crops) उगाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- संकर फसलें (Hybrid Crops):
  - परिचय: हाइब्रिड क्रॉप या संकर फसल वह है जो दो या अधिक पौधों के क्रॉस-परागण/संकरण (Cross-Pollinated) द्वारा उत्पन्न होती है जो एक ऑफ-स्प्रिंग या हाइब्रिड बनाने के लिये प्रयोग होती है जिसमें प्रत्येक प्रजाति के सर्वोत्तम लक्षण होते हैं।
    - उदाहरण: हाइब्रिड चावल और गेहूँ को एक समयावधि में चयनात्मक प्रजनन द्वारा वैज्ञानिकों को उच्च उपज या अन्य वांछनीय लक्षणों वाली किस्मों को विकसित करने की अनुमति दी गई है।
    - कई वर्षों से कृषकों द्वारा इन किस्मों को अपनाया जा रहा है।
  - संबंधित मुद्दे: कई दशकों में चयन और प्रजनन के माध्यम से फसल सुधार ने अधिकांश फसलों के आनुवंशिक आधार को संकुचित कर दिया है।
    - जैव विविधता फसलों के लिये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने हेतु लक्षण विकसित करने के लिये एक प्राकृतिक तंत्र की अनुमति देती है।
    - हालाँकि फसल चयन में बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण अधिकांश व्यावसायिक फसलों में यह क्षमता अब लुप्त हो गई है।
- भू-प्रजातियाँ:
  - परिचय: भू-प्रजातियाँ (Landraces) आमतौर पर खेती की जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रकारों को संदर्भित करती हैं।
    - ये व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के विपरीत हैं, जिन्हें चयनात्मक प्रजनन (संकर) या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरी प्रजातियों पर एक निश्चित विशेषता व्यक्त करने के लिये विकसित किया जाता है।
  - भू-प्रजातियों की उपयोगिता: जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने ऐसी किस्मों को विकसित करना एक चुनौती है जो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के खतरों का सामना कर सकें।
    - समृद्ध जीन पूल: प्राकृतिक रूप उगने वाली भू-प्रजातियों में अभी भी अप्रयुक्त आनुवांशिक गुणों का एक बड़ा पूल या संयोजक है, जो इनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है।
    - जीन पूल जितना व्यापक होगा, प्रजातियों में एक लक्षण को विकसित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी जो चरम जलवायु घटनाओं से संरक्षण प्रदान करने में मदद कर सकता है।
    - उचित प्रक्रिया के माध्यम से उच्च उपज: यह सामान्य रूप से एक अनुचित धारणा है कि हाइब्रिड की तुलना में भू-प्रजातियों की पैदावार कम होती है। हालाँकि उचित कृषि पद्धतियों के ज़रिये भू-प्रजातियों की फसलें कम लागत के साथ बेहतर उपज प्रदान कर सकती हैं।
    - उच्च पोषक गुण: व्यावसायिक रूप से विकसित किस्मों की तुलना में कई भू-प्रजातियाँ पोषक तत्त्वों से भरपूर होती हैं।
  - भू-प्रजातियों के उदाहरण: कालभात (Kalbhat), सुगंधित चावल की एक अनूठी भू-प्रजातियों में से एक है।
    - पिछले कुछ वर्षों में यह किस्म काश्तकारों के खेतों से लगभग लुप्त हो गई थी क्योंकि हाइब्रिड किस्मों का उपयोग अधिक होने लगा था।
    - यह लोकप्रिय रूप से उगाए गए चावल की तुलना में उत्तम जलवायु अनुकूलन प्रजाति है और बाढ़ या सूखे की स्थिति को बेहतर ढंग से झेल सकती है।

आगे की राह

- भू-प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता: वर्तमान में भू-प्रजातियाँ कुछ ही ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जीवित हैं, लेकिन वे भी उचित संरक्षण के अभाव में समाप्त हो रही हैं।
  - इन्हें किस तरह से उगाया जाना चाहिये या बीजों को कैसे बचाया जाए, इस बारे में पारंपरिक ज्ञान भी लुप्त होता जा रहा है।
- सामुदायिक नेतृत्व कार्यक्रम: BAIF समुदाय के नेतृत्व वाला कार्यक्रम अन्य राज्यों में अनुकरण करने योग्य है।
  - BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन महाराष्ट्र में पुणे के पास उरली कंचन में स्थित एक धर्मार्थ संगठन है, जो कृषि के विकास में कार्यरत है। इसका उद्देश्य उपलब्ध जर्मप्लाज़्म की पहचान करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बीज बैंक निर्मित करना है।

- भू-प्रजातियों के क्षेत्र में अनुसंधान: भू-प्रजातियों के जर्मप्लाज़्म (Germplasms) के बारे में अभी बहुत कुछ समझा जाना बाकी है।
  - यह समझना आवश्यक है कि ये भू-प्रजातियाँ जलवायु लचीली कृषि (Climate-Resilient Agriculture) में किस प्रकार अपना योगदान दे सकती हैं, पोषण संबंधी रूपरेखा भी कमियों से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है।

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुदरा निवेशकों के लिये सरकारी बॉण्ड बाज़ार (Government bond market) खोलने के लिये 'भारतीय रिज़र्व बैंक- खुदरा प्रत्यक्ष योजना' (Reserve Bank of India (RBI)- Retail Direct Scheme) शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- खुदरा प्रत्यक्ष योजना:
  - फरवरी 2021 में RBI द्वारा खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (Government securities- G-secs) में सीधे निवेश करने हेतु केंद्रीय बैंक के साथ गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा।
  - इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को RBI के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (Retail Direct Gilt Account) खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी।
    - खुदरा निवेशक एक गैर-पेशेवर निवेशक है जो प्रतिभूतियों या फंडों को खरीदता और बेचता है जिसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Exchange Traded Funds- ETFs) जैसी प्रतिभूतियों का एक समूह होता है।
    - एक गिल्ट खाते की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है, इनमें अंतर इस बात का होता है कि खाते से पैसे के बजाय ट्रेज़री बिल या सरकारी प्रतिभूतियों के साथ डेबिट या क्रेडिट किया जाता है।
  - यह योजना भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जो इस प्रकार सुविधा प्रदान करते हैं।
- उद्देश्य:
  - इस कदम का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में विविधता लाना है जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व है।
    - जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को समग्र बाज़ार में उनकी हिस्सेदारी के लगभग 2-3% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति थी।
- क्षेत्र/विस्तार:
  - यह केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेज़री बिल, राज्य विकास ऋण और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के लिये एक पोर्टल एवेन्यू (Portal Avenue) प्रदान करता है।
  - वे प्राथमिक और साथ ही द्वितीयक बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं।
    - नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट (Negotiated Dealing System-Order Matching Segment- NDS-OM) का मतलब द्वितीयक बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिये RBI की स्क्रीन आधारित, एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (Anonymous Electronic Order Matching System) है।
- महत्त्व:
  - एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण:
    - अभी तक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में छोटे निवेशक वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, छोटे व्यापारियों को बैंकों और म्यूचुअल फंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करना पड़ता था।
  - बेहतर पहुँच हेतु सुगमता:
    - यह छोटे निवेशकों हेतु जी-सेक ट्रेडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, इसलिये यह जी-सेक में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देगा तथा आसान पहुँच प्रदान करेगा।

नोट :

- सरकारी ऋण की सुविधा:
  - यह उपाय मेंडेडरी होल्ड टू मेच्योरिटी (प्रतिभूतियाँ जो परिपक्वता तक स्वामित्व हेतु खरीदी जाती हैं) प्रावधानों में छूट के साथ वर्ष 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- घरेलू बचत का वित्तीयकरण:
  - जी-सेक बाज़ार में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी की अनुमति देने से घरेलू बचत के एक विशाल पूल के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा और यह भारत के निवेश बाज़ार में निर्णायक साबित हो सकता है।

- सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश बढ़ाने हेतु किये गए अन्य उपाय:
  - प्राथमिक नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाना।
    - गैर-प्रतिस्पर्द्धी बोली का अर्थ है कि बोलीदाता बोली में प्रतिफल या मूल्य उद्धृत किये बिना दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में भाग ले सकेगा।
  - स्टॉक एक्सचेंज खुदरा बोलियों के एग्रीगेटर और फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे।
  - द्वितीयक बाज़ार में एक विशिष्ट खुदरा खंड (Specific Retail Segment) को अनुमति देना।
    - द्वितीयक बाज़ार वह है जहाँ निवेशक पहले से ही अपनी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं।
    - प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है।

सरकारी प्रतिभूति (Government Security)

- सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं।
- ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिये इन्हें जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड उपकरण भी कहा जाता है।
  - गिल्ट-एज्ड प्रतिभूतियाँ सरकार और बड़े निगमों द्वारा उधार ली गई निधि के साधन के रूप में जारी किये जाने वाले उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं।

अमेरिकी मुद्रास्फीति और भारत पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

विगत कुछ दिनों में अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.2% हो गई है, जो 3 दशकों में साल-दर-साल सबसे अधिक उछाल पर है। इन बढ़ती कीमतों ने विश्व स्तर पर और भारत दोनों के प्रति बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है।

प्रमुख बिंदु

- मुद्रास्फीति के बारे में:
  - क्रियाविधि: यह वह दर है जिस पर एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि होती है। सामान्यत: भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना साल-दर-साल के आधार पर की जाती है।
    - दूसरे शब्दों में यदि किसी विशेष माह की मुद्रास्फीति दर 10% है, तो इसका आशय है कि उस महीने की कीमतें एक वर्ष पहले उसी महीने की कीमतों की तुलना में 10% अधिक थीं।

- भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक एवं खुदरा स्तर पर मूल्य में परिवर्तन को मापते हैं।
- भारत द्वारा 4 (+/- 2) प्रतिशत को लक्षित करते हुए एक लचीली मुद्रास्फीति नीति को अपनाया गया है।

- लोगों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव: एक उच्च मुद्रास्फीति दर लोगों की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है। चूँकि गरीबों के पास तेज़ी से बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिये कम पैसा है, अतः उच्च मुद्रास्फीति उन्हें सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है।
  - हालाँकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुद्रास्फीति का एक मध्यम स्तर बनाए रखना आवश्यक होता है।

- अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति का कारण:
  - अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपने फेडरल रिज़र्व में केवल 2% की मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित है। इस संदर्भ के आधार पर 6.2% मुद्रास्फीति दर कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि है।
  - सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति स्पाइक्स को मांग में वृद्धि या आपूर्ति में कमी के लिये सौंपा जा सकता है।
    - अमेरिका में दोनों कारक शामिल हैं।
    - आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की तुलना में आर्थिक सुधार की गति बहुत तीव्र रही है और इसने मांग व आपूर्ति के बीच असंतुलन और बढ़ा दिया है, जिससे निरंतर मूल्य वृद्धि हुई है।
  - मांग आधारित मुद्रास्फीति: कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तेज़ी से रोलआउट गतिविधियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार किया।
    - मुद्रास्फीति की वृद्धि का एक हिस्सा उपभोक्ताओं की चौतरफा मांग में अप्रत्याशित रूप से तेज़ी से सुधार से आया है।
    - सरकार द्वारा न केवल उपभोक्ताओं और अपनी नौकरी गँवाने वालों को राहत प्रदान करने के लिये बल्कि मांग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा संग्रहित किये गए अरबों डॉलर से इस रिकवरी को और बढ़ावा मिला।
  - आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति: वर्ष 2020 में महामारी ने न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में व्यापक तालाबंदी और व्यवधान पैदा किया।
    - कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या को कम किया और उत्पादन में तेज़ी से कटौती की।
    - संक्षेप में उत्पादन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ने महामारी के पूर्व स्तरों पर पुनः उत्पादन शुरू नहीं किया है।
  - विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति: जबकि अमेरिका ने कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि देखी है, मुद्रास्फीति ने अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीति निर्माताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है यहाँ तक की जर्मनी, चीन या जापान को भी।

- मुद्रास्फीति (भारतीय परिप्रेक्ष्य):
  - महामारी-पूर्व मुद्रास्फीति: जबकि अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाएँ महामारी के मद्देनज़र मुद्रास्फीति में वृद्धि से हैरान थीं, भारत उन दुर्लभ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था जहाँ उच्च मुद्रास्फीति महामारी से पहले मौजूद थी।
    - महामारी ने आपूर्ति की कमी के कारण और भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी, फिर भी भारत में मांग अभी तक पूर्व-कोविड स्तरों तक नहीं पहुँची है।
    - इसके परिणामस्वरूप भारत में "तकनीकी" आर्थिक मंदी में प्रवेश करने के बावजूद आरबीआई ने मई 2020 के बाद से अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों (रेपो दर) को एक बार भी कम नहीं किया है।
    - आरबीआई ने टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिये जब तक आवश्यक हो, तब तक एक समायोजन रुख जारी रखने का फैसला किया है, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
  - कोर मुद्रास्फीति एक चिंताजनक कारक: जबकि समग्र मुद्रास्फीति औसत वर्तमान में काफी प्रबंधनीय प्रतीत होता है, यह "कोर" मुद्रास्फीति है जो चिंताजनक है।
    - जब हम खाद्य और ईंधन की कीमतों की उपेक्षा करते हैं तो कोर मुद्रास्फीति दर मुद्रास्फीति की दर होती है।
    - यह दर उच्च है और अब आरबीआई के सुविधा क्षेत्र को भंग करने का खतरा उत्पन्न करता है।
    - कीमतों में वैश्विक वृद्धि के आलोक में भारत की मुद्रास्फीति और गंभीर हो सकती है।

- भारत पर अमेरिकी मुद्रास्फीति का प्रभाव:
  - जब वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे उच्च आयातित मुद्रास्फीति होगी। दूसरे शब्दों में भारत और भारतीय जो कुछ भी आयात करते हैं वे सभी वस्तुएँ महँगी हो जाएगी।
  - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति, संभवत: उनके केंद्रीय बैंकों को अपनी ढीली मौद्रिक नीति को त्यागने के लिये मजबूर करेगी।
  - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में एक सख्त मुद्रा नीति उच्च ब्याज दरों का संकेत देगी।
    - एक सख्त मौद्रिक नीति में ऋण लेने को बाध्य करने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज दरों में वृद्धि शामिल है।
  - यह भारतीय अर्थव्यवस्था को दो व्यापक तरीकों से प्रभावित करेगा।
    - भारत के बाहर धन का सृजन करने की कोशिश कर रही भारतीय फर्मों को ऐसा करना महँगा पड़ेगा।
    - आरबीआई को घरेलू स्तर पर ब्याज दरें बढ़ाकर अपनी मौद्रिक नीति को घरेलू स्तर पर संरेखित करना होगा। यह बदले में मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की है।

- वर्ष 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेवाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिये शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) शुरू की थी।
- पीएम ने आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी लॉन्च की है।

लोकपाल:

- यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है। लोकपाल (ओम्बड्समैन) का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया है।
- लोकपाल किसी सेवा या प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
- भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान के लिये लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
  - बीमा लोकपाल
  - आयकर लोकपाल
  - बैंकिंग लोकपाल

प्रमुख बिंदु

- एकीकृत लोकपाल योजना:
  - यह आरबीआई (RBI) की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसी (NBFCs) के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।
  - एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है।
  - इसमें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है।

- आवश्यकता:
  - पहली लोकपाल योजना वर्ष 1990 के दशक में शुरू की गई थी। इस प्रणाली को हमेशा उपभोक्ताओं द्वारा एक मुद्दे के रूप में देखा जाता था।
  - इसकी प्राथमिक चिंताओं में से एक रखरखाव योग्य आधारों की कमी थी जिस पर उपभोक्ता लोकपाल में एक विनियमित इकाई के कार्यों को चुनौती दे सकता था या तकनीकी आधार पर शिकायत को अस्वीकार कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप निवारण के लिये विस्तारित समय सीमा के अलावा उपभोक्ता न्यायालय को वरीयता दी गई।
  - सिस्टम (बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल भुगतान) को एकीकृत करने तथा शिकायतों के आधार का विस्तार करने के कदम से उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखे जाने की उम्मीद है।
- विशेषताएँ:
  - यह योजना अपवर्जनों की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी' को परिभाषित करती है।
    - अत: शिकायतों को अब केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं" होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा।
  - यह योजना क्षेत्राधिकार तटस्थ है और किसी भी भाषा में शिकायतों के प्रारंभिक निपटान के लिये चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है।
  - आरबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के इस्तेमाल के लिये एक प्रावधान किया था ताकि बैंक और जाँच एजेंसियाँ तीव्रता के साथ बेहतर तरीके से समन्वय कर सकें।
  - बैंक ग्राहक शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, वर्तमान स्थिति को ट्रैक करने और एक ईमेल के माध्यम से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे।
  - इसके लिये एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी होगा जो शिकायत निवारण संबंधी सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।
  - विनियमित संस्था को उन मामलों में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा जहाँ लोकपाल द्वारा उसके विरूद्ध संतोषजनक और समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिये नोटिस जारी किया गया हो।
- अपीलीय प्राधिकरण:
  - एकीकृत योजना के तहत उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
- महत्त्व:
  - इससे आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिये शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने में मदद मिलेगी।
  - साथ ही यह एकरूपता सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल तंत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा तथा ग्राहकों की संतुष्टि एवं वित्तीय समावेशन बढ़ावा देगा।
  - 44 करोड़ ऋण खाताधारकों और 220 करोड़ जमा खाताधारकों को लोकपाल योजना से सीधे लाभ होगा, वे अब एक ही मंच पर शिकायत दर्ज करने तथा अपनी शिकायतों की वर्तमान स्थिति जानने में सक्षम होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ऊर्जा ट्रांज़िशन हेतु इटली-भारत रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक में भारत और इटली ने ऊर्जा ट्रांज़िशन के क्षेत्र में 'इटली-भारत रणनीतिक साझेदारी' पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

- नवंबर 2020 में भारत और इटली (2020-2024) के बीच साझेदारी हेतु कार्य योजना को अपनाने के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त कार्य समूह:
  - सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने हेतु संयुक्त कार्य समूह निम्नलिखित पर विचार करेगा:
    - स्मार्ट सिटीज़; गतिशीलता; स्मार्ट-ग्रिड, बिजली वितरण और भंडारण समाधान।
    - गैस परिवहन और प्राकृतिक गैस।
    - एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट-टू-वेल्थ)।
    - हरित ऊर्जा (हरित हाइड्रोजन; संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) और तरल प्राकृतिक गैस (LNG); जैव-मीथेन; जैव-रिफाइनरी; सेकंड-जनरेशन जैव-इथेनॉल; अरंडी का तेल; जैव-तेल-अपशिष्ट से ईंधन)।
  - संयुक्त कार्य समूह की स्थापना अक्तूबर 2017 में दिल्ली में हस्ताक्षरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन द्वारा की गई थी।
- 'ग्रीन कॉरिडोर' परियोजना:
  - वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत में एक बड़ी 'ग्रीन कॉरिडोर' परियोजना शुरू करने के लिये दोनों देशों द्वारा विचार किया जा रहा है।
    - 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' परियोजनाओं का उद्देश्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे- सौर और पवन से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज़ करना है।
- निवेश:
  - ऊर्जा संक्रमण से संबंधित क्षेत्रों में भारतीय और इतालवी कंपनियों के संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना।
- सूचना साझाकरण:
  - दोनों देश विशेष रूप से नीति और नियामक ढाँचे के क्षेत्र में उपयोगी जानकारी और अनुभव साझा करेंगे।
  - दोनों देशों के सहयोग में स्वच्छ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ईंधन/प्रौद्योगिकियों के प्रति ट्रांज़िशन को सुविधाजनक बनाने के लिये संभावित साधनों को शामिल करना, दीर्घकालिक ग्रिड योजना बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता उपायों के लिये योजनाओं को प्रोत्साहित करना, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा ट्रांज़िशन में तेज़ी लाने हेतु वित्तीय साधनों की व्यवस्था करना शामिल है।

भारत के लिये इटली का महत्त्व:

- वर्ष 2021 भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों की 73वीं वर्षगाँठ का वर्ष है।
- भारत को हाल ही में इटली ने व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये शीर्ष पाँच प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है।
- इटली भारत के भू-राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के महत्त्व को स्वीकार करता है तथा अच्छे राजनयिक संबंधों एवं आर्थिक आदान-प्रदान के आधार पर अपने संबंधों को एक नई ऊँचाई पर ले जाने के लिये सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।

नोट :

- संबंधों के आर्थिक महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इटली विश्व की आठवीं सबसे बड़ी और यूरोज़ोन में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
  - यह विश्व का छठा सबसे बड़ा विनिर्माणकर्त्ता देश भी है, जिसमें विभिन्न औद्योगिक विशिष्टता वाले छोटे और मध्यम उद्यमों का वर्चस्व है।
  - दूसरी ओर, भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में काम कर रही 600 से अधिक इतालवी कंपनियों के लिये एक बड़ा बाज़ार भी है।
- इटली ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह जैसे निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के लिये भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
- ब्रिटेन और नीदरलैंड के बाद अनुमानित 1,80,000 लोगों के साथ इटली यूरोपीय संघ में तीसरे सबसे बड़े भारतीय समुदाय की मेज़बानी करता है। भारतीय श्रम विशेष रूप से कृषि और डेयरी उद्योग में संलग्न है।
- इटली, यूरोपीय संघ का हिस्सा होने के नाते ब्रेक्जिट के बाद यूरोप में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार साबित हो सकता है और भारतीय कंपनियों के लिये यूरोप में काम करने हेतु एक अनुकूल आधार प्रदान कर सकता है।
- इंडो-पैसिफिक, एक तरफ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिये अग्रणी मार्ग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर भूमध्य सागर एशिया से आने वाले कार्गो जहाज़ों के आगमन का प्राकृतिक बिंदु है।
  - दोनों क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने का अर्थ होगा- लोकतंत्र, मुक्त व्यापार, सुरक्षा और कानून के शासन जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना, जो भारत व इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है, जिसके परिणाम योजना और नीति निर्माण के रूप में सामने आते हैं।
- वर्ष 2021 और 2023 में इटली व भारत क्रमश: जी-20 की अध्यक्षता करेंगे, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतर-राज्य संबंधों को बहाल करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - हाल ही में इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हुआ है।

18वाँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के आमंत्रण पर 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को 'भारत-आसियान मैत्री वर्ष' के रूप में घोषित किया।
- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत व आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान:

  भारत की एक्ट ईस्ट नीति एवं व्यापक इंडो-पैसिफिक विज़न के लिये भारत के दृष्टिकोण में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया गया।
- 'हिंद-प्रशांत के लिये आसियान आउटलुक' और भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative:IPOI) के बीच सामंजस्य पर पूर्ण भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और आसियान के राजनेताओं ने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिये सहयोग पर 'भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य' के अनुमोदन का स्वागत किया।
  - हाल ही में भारत ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहाँ उसने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता आधारित भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' का स्वागत किया गया।
- भारत-आसियान कनेक्टिविटी:
  - आसियान देशों और भारत के बीच अधिक-से-अधिक लोगों तक भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया।

- भारत ने भारत-आसियान सांस्कृतिक संपर्क को और मज़बूत करने के लिये आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची की स्थापना हेतु अपने समर्थन की घोषणा की।
- व्यापार और निवेश:
  - कोविड के बाद आर्थिक सुधार के लिये आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण और लचीलेपन के महत्त्व के संबंध में भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को संशोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- नियम-आधारित आदेश:
  - दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित साझा हित और गंभीर चिंता वाले क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के प्रावधानों को बनाए रखने सहित इस क्षेत्र में नियम-आधारित आदेश को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
- कोविड-19:
  - इस क्षेत्र में महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया और साथ ही इस दिशा में आसियान की पहलों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने की बात कही।
    - भारत ने म्याँमार के लिये आसियान की मानवीय पहल हेतु 200,000 अमेरिकी डॉलर और आसियान के कोविड-19 रिस्पांस फंड हेतु 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा सामग्री का योगदान दिया है।

भारत-आसियान और चीन:

- परंपरागत रूप से भारत-आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों के कारण व्यापार एवं व्यक्तियों के बीच संबंध रहा है, अभिसरण का एक और हालिया व ज़रूरी क्षेत्र चीन के बढ़ते प्रभुत्त्व को संतुलित करना है।
  - भारत और आसियान दोनों का लक्ष्य चीन की आक्रामक नीतियों के विपरीत क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिये एक नियम-आधारित सुरक्षा ढाँचा स्थापित करना है।
- भारत की तरह वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे कई आसियान सदस्यों का चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है, जो कि चीन के साथ संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
  - भारत ने वर्ष 2014 में अपने पिछले दृष्टिकोण की तुलना में अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ न केवल दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बल्कि प्रशांत क्षेत्र में भी जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'पूर्व की ओर देखो' नीति को एक्ट ईस्ट में फिर से जीवंत कर दिया।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान)

- परिचय:
  - यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों, अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई।
  - इसके सदस्य राज्यों के अंग्रेज़ी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है।
  - आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- सदस्य:
  - आसियान दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का एक संगठन है।

हिंद-प्रशांत के लिये आसियान का दृष्टिकोण:

- यह इस क्षेत्र में सहयोग हेतु मार्गदर्शन करने एवं आसियान की सामुदायिक निर्माण प्रक्रिया को बढ़ाने तथा आसियान के नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे मौजूदा तंत्र को और अधिक मज़बूत करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिये एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करना, सामान्य चुनौतियों का समाधान करना, नियम-आधारित क्षेत्रीय संरचना को बनाए रखना व घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा इस प्रकार आपसी विश्वास को और अधिक मज़बूती प्रदान करना है।

भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)

- यह देशों के लिये एक खुली, गैर-संधि आधारित पहल है जो इस क्षेत्र में आम चुनौतियों के सहकारी व सहयोगी समाधान के लिये मिलकर काम करती है।
- IPOI निम्नलिखित सात स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मौजूदा क्षेत्रीय संरचना और तंत्र पर आधारित है:
  - समुद्री सुरक्षा
  - समुद्री पारिस्थितिकी
  - समुद्री संसाधन
  - क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग
  - व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन

16वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लिया।

16वें EAS में इंडो-पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS), आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्याँमार की स्थिति सहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- इंडो-पैसिफिक:
  - भारत के एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की गई।
  - इसमें इंडो-पैसिफिक (AOIP) और भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) पर आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया।
- लचीली वैश्विक मूल्य शृंखला:
  - एक लचीली वैश्विक मूल्य शृंखला के महत्त्व पर बल दिया गया और इंडो-पैसिफिक देशों को क्वाड-प्रायोजित वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
  - वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिये क्वाड देशों (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) की साझेदारी में भारत में वैक्सीन की कम-से-कम 1 अरब खुराक के उत्पादन में मदद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
  - आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड के लिये भारत के 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन का आभार व्यक्त किया।
- बहुपक्षवाद:
  - भारत बहुपक्षवाद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मज़बूत करने के लिये प्रतिबद्ध है।

- साइबर सुरक्षा:
  - साइबर सुरक्षा पर वैश्विक मानकों को विकसित करने के लिये विचार-विमर्श भी किया गया।
- अन्य:
  - EAS राजनेताओं ने मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और स्थायी सुधार पर तीन वक्तव्यों को अपनाया, जिन्हें भारत द्वारा सह-प्रायोजित किया गया है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- परिचय:
  - वर्ष 2005 में स्थापित यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं (देशों) का एक मंच है।
  - वर्ष 1991 में पहली बार पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा को तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री, महाथिर बिन मोहम्मद (Mahathir bin Mohamad) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  - EAS के ढाँचे में क्षेत्रीय सहयोग के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। जो इस प्रकार हैं- पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी।
- सदस्यता:
  - इसमें आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के दस सदस्य देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ 8 अन्य देश- ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
  - यह आसियान देशों पर केंद्रित एक मंच है, इसलिये इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकता है।
    - वर्ष 2021 के लिये इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई दारुस्सलाम (Brunei Darussalam) के पास है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और प्रक्रियाएँ:
  - पूर्वी एशिया शिखर (EAS) सम्मेलन की वार्षिक सूची नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होती है, जिसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक वर्ष की चौथी तिमाही में आसियान नेताओं की बैठकों के साथ किया जाता है।
  - EAS विदेश मंत्रियों और आर्थिक मंत्रियों (Economic Ministers) की बैठकें भी प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं।
- भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन:
  - भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
  - भारत ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन या अधिकार क्षेत्र के निर्माण के लिये भागीदार बनाना है।

भारत की डी-हाईफेनेशन नीति : इज़रायल और फिलिस्तीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में एक स्थायी भूमिका निभाने के लिये भारत के समर्थन का आह्वान किया।

- यह वक्तव्य भारत के विदेश मंत्री की इज़रायल यात्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र की यात्रा को शामिल नहीं किया था।
- भारत हाल के वर्षों में इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच एक डी-हाईफेनेशन नीति (De-Hyphenated Policy) का पालन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इज़रायल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति:
  - इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के अंत में हुई। यह यरुशलम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है।
    - वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प-181 को अपनाया गया जिसे विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है। इसने फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग की।
    - जिसके परिणामस्वरूप इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच अनसुलझे संघर्ष हुए।
  - परंपरागत रूप से, इज़रायल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति एक हाईफेनेशन विदेश नीति रही है।
    - हालाँकि इज़रायल के साथ संबंधों को फिलीस्तीनी प्राधिकरण के साथ जोड़ना अनिवार्य रूप से भारत को अपने सर्वोत्तम हित में एक व्यावहारिक नीति का पालन करने से रोकता है।
    - हाल के दिनों में भारत को नीति को डी-हाईफनेशन की ओर स्थानांतरित होते हुए देखा गया है।
- डी-हाईफनेशन (Dehyphenation) की नीति:
  - दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले चार दशकों के लिये स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर बाद के तीन दशक में इज़रायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ संतुलन बनाने वाली रही।
    - हाल के वर्षों में, भारत की स्थिति को भी इज़रायल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है।
  - वर्ष 2017 में एक अभूतपूर्व कदम के रूप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोनों देशों के बजाय केवल इज़रायल का दौरा किया गया।
    - फिर प्रधानमंत्री की हाल की फिलिस्तीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी नवीन नीति की ही निरंतरता है।
  - पहले की नीति से हटकर और इन दो प्रतिद्वंद्वियों के प्रति एक स्वतंत्र नीति का समर्थन करना भारत की विदेश नीति में डी-हाईफनेशन कहलाता है।
    - इसका मतलब है कि दोनों देशों के साथ हितों को देखते हुए भारत के संबंध इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ अलग-अलग होंगे।
    - डी-हाईफनेशन वास्तव में एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने वाला कार्य है, जिसमें भारत स्थिति की मांग के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है।
  - जैसे-जैसे भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहा है, इन पूर्व-मौजूदा नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता भी बढ़ रही है तथा इज़रायल व फिलिस्तीन को डी-हाईफनेशन करने की प्रक्रिया भी इन्हीं नीतियों के अंतर्गत आती है।
  - हाल के वर्षों में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने की परंपरा को तोड़ा है।
    - वर्ष 2019 में भारत ने ECOSOC (आर्थिक और सामाजिक परिषद) में इज़रायल के पक्ष में मतदान किया, ताकि शहीद नामक एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्ज़ा देने से इनकार किया जा सके।
    - इसके अलावा भारत ने मानवाधिकार परिषद में गाजा पट्टी में इज़रायल की कार्रवाइयों की जाँच के लिये बुलाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भाग नहीं लिया।
- भारत-फिलिस्तीन कॉल:
  - भारत में फिलीस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने की ऐतिहासिक परंपरा रही है। फिलिस्तीन चाहता है कि भारत का तकनीकी समर्थन "राजनीतिक समर्थन के समानांतर" हो।
  - यह चाहता है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और यरुशलम की राजधानी के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के समर्थन की पुष्टि करे।

आगे की राह

- बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका के लिये "मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में सुरक्षा एवं स्थिरता प्राप्त करने के लिये सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग में कड़े प्रयास" की आवश्यकता है।
- भारत वर्तमान में 2021-22 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है और 2022-24 के लिये मानवाधिकार परिषद के लिये फिर से निर्वाचित हुआ है। भारत को इन बहुपक्षीय मंचों का उपयोग इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे कोसुलझाने के लिये मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु करना चाहिये।

नोट :

ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान की परमाणु एजेंसी ने बताया कि उसके 20% यूरेनियम संवर्द्धन के साथ इसका भंडार लगभग 210 किलोग्राम से अधिक तक पहुँच गया है।

- अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा कि ईरान ने नत्ज़ान में स्थित एक सतही परमाणु संयंत्र में यूरेनियम को 60% विखंडनीय शुद्धता तक संवर्द्धित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ऐतिहासिक वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत, ईरान 3.67% से अधिक यूरेनियम को संवर्द्धित करने में सक्षम नहीं था। 90% से अधिक समृद्ध क्षमता वाले यूरेनियम का उपयोग परमाणु हथियारों के लिये किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- यूरेनियम संवर्द्धन:
  - प्राकृतिक यूरेनियम में दो अलग-अलग समस्थानिक विद्यमान होते हैं जिसमें लगभग 99%, U-238 तथा 0.7%, U-235 की मात्रा पाई जाती है।
    - U-235 एक विखंडनीय सामग्री (Fissile Material) है जो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने में सहायक है।
  - यूरेनियम संवर्द्धन में आइसोटोप सेपरेशन (Isotope Separation) प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम U-235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है (U-238 को U-235 से अलग किया जाता है)।
  - परमाणु हथियारों के निर्माण में 90% या उससे अधिक तक यूरेनियम संवर्द्धन की आवश्यकता होती है जिसे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम/हथियार-ग्रेड यूरेनियम (Highly Enriched Uranium/Weapons-Grade Uranium) के रूप में जाना जाता है।
  - परमाणु रिएक्टरों के लिये U-235 की 3-5% तक यूरेनियम संवर्द्धन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न संवर्द्धित यूरेनियम के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये ईंधन का उत्पादन करने हेतु किया जा सकता है।
  - अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की शुद्धता 20% या उससे अधिक होती है और इसका उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों में किया जाता है।
- संबंधित मुद्दे:
  - संवर्द्धन की जटिल प्रक्रिया इसके द्वारा अधिक आसान हो जाती है और उच्च शुद्धता की ओर बढ़ने पर कम सेंट्रीफ्यूज/अपकेंद्रक की आवश्यकता होती है।
  - दूसरे शब्दों में युरेनियम के संवर्द्धन की 90% शुद्धता प्राप्त करने हेतु इसकी 20% मात्रा से शुरू करना बहुत आसान है और 60% से शुरू करना अधिक स्थिर और सुगम होगा।
- वर्ष 2015 का परमाणु समझौता:
  - वर्ष 2015 में वैश्विक शक्तियों (P5 + 1) के समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल हैं, के साथ ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के लिये दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई।
    - इस समझौते को 'संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना' (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) तथा आम बोल-चाल की भाषा में ईरान परमाणु समझौते (Iran Nuclear Deal) के रूप में में नामित किया गया था।
    - इस समझौते के तहत ईरान द्वारा प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक व्यापार में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई।
    - समझौते के तहत ईरान को अपने शोध कार्यों के संचालन हेतु थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई परंतु उसके द्वारा यूरेनियम संवर्द्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु हथियार बनाने के लिये किया जाता है।

नोट :

- ईरान को एक भारी जल-रिएक्टर (Heavy-Water Reactor) के निर्माण की भी आवश्यकता थी, जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु भारी मात्रा में प्लूटोनियम (Plutonium) की आवश्यकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देना भी आवश्यक है।
- मई 2018 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए मसौदे से खुद को अलग कर लिया और प्रतिबंधों को बहाल करते हुए उन्हें और कड़ा कर दिया।
    - अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया क्योंकि ईरान लगातार शेष हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ विभिन्न समझौता करते हुए P+5 प्रतिबद्धताओं का उल्लघंन कर रहा था।
- हाल ही में यूरोपीय संघ, ईरान और अमेरिका ने घोषणा की है कि मसौदे को फिर से शुरू करने के लिये अप्रत्यक्ष वार्ता 29 नवंबर, 2021 को वियना में फिर से शुरू होगी।

भारत-फ्राँस रक्षा साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-फ्राँस रणनीतिक वार्ता के दौरान दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमताओं को बढ़ाने, सैन्य अभ्यासों का विस्तार करने और समुद्री, अंतरिक्ष तथा साइबर डोमेन में नई पहल के उद्देश्य से रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया।

प्रमुख बिंदु

- वार्ता की मुख्य विशेषताएँ:
    - आत्मनिर्भर भारत' को समर्थन: फ्राँस ने भारत के "आत्मनिर्भर भारत" (Atmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण तथा भारत में रक्षा औद्योगीकरण, संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिये उन्नत क्षमताओं की एक विस्तृत शृंखला हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
    - फ्राँस की इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी: फ्राँस ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिये एक "रेसीडेंस पावर" के तौर पर अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र हेतु अपनी रणनीति के 'प्रमुख स्तंभ' के रूप में भारत के साथ साझेदारी पर ज़ोर दिया।
        - इसके अलावा वर्ष 2022 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ (EU) की फ्राँसीसी प्रेसीडेंसी से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के जुड़ाव को आकार दिए जाने की उम्मीद है।
        - एक रेसीडेंस पावर वह है जिसके पास दुनिया के किसी विशेष स्थान में क्षेत्र या क्षेत्रीय उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शक्ति के रूप में स्थापित है।
    - बैठक का महत्त्व: भारत के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के लिये फ्राँस की पुनरावृत्ति ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस द्वारा एक नए सुरक्षा गठबंधन (AUKUS) के समझौते के बाद उजागर हुई है।
        - गठबंधन की अप्रत्याशित घोषणा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिये पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है, ने फ्राँस के साथ एक अलग पनडुब्बी समझौते से ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद फ्राँसीसी सरकार ने नाराज़गी व्यक्त की।
        - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी 'ऑकस' (AUKUS) की घोषणा की गई है।
- भारत-फ्राँस सामरिक संबंध:
    - पृष्ठभूमि:
        - जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्राँस उन पहले देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने 'रणनीतिक साझेदारी' पर हस्ताक्षर किये थे।
        - वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में से फ्राँस एक था।
    - रक्षा सहयोग: दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है।
        - तीनों सेनाओं द्वारा नियमित समयांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है; अर्थात्

- अभ्यास शक्ति (स्थल सेना)
- अभ्यास वरुण (नौसेना)
- अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)
- हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है।
- भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगाँव डॉकयार्ड में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिये एक फ्राँसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया।
- दोनों देशों ने पारस्परिक 'लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement- LSA) के प्रावधान के संबंध में समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।
- यह समझौता नियमित पोर्ट कॉल के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के अंतर्गत अन्य देशों के युद्धपोतों, सैन्य विमानों एवं सैनिकों के लिये ईंधन, राशन, उपकरणों तथा बर्थिंग व रखरखाव की पुन:पूर्ति की सुविधा में मदद करेगा।

- हिंद महासागर क्षेत्र: साझा सामरिक हित:
  - फ्राँस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे- रीयूनियन द्वीप और हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
  - हाल ही में फ्राँस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का 23वाँ सदस्य बन गया है।
  - यह पहली बार है कि कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर में नहीं है और उसे IORA की सदस्यता प्रदान की गई है।
- आतंकवाद विरोधी: फ्राँस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिये भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों देश एक नए 'नो मनी फॉर टेरर' - फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी समर्थन करते हैं।
- फ्राँस द्वारा भारत का समर्थन: फ्राँस भी कश्मीर को लेकर भारत का लगातार समर्थन कर रहा है जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में कमी देखी गई है और चीन का दृष्टिकोण संदेहास्पद रहा है।

आगे की राह

- फ्राँस, जिसने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के ढाँचे के भीतर रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की थी और भारत, जिसने स्वतंत्र विदेश नीति को महत्त्व दिया है, अनिश्चित काल के लिये नए गठबंधन के निर्माण में स्वाभाविक भागीदार हैं।
- फ्राँस वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का मार्ग भी खोलता है, विशेषकर ब्रेक्ज़िट (BREXIT) के कारण इस क्षेत्र में अनिश्चितता के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई।
- यह संभवना व्यक्त की गई कि फ्राँस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव के लिये कहीं अधिक परिणामी साबित होगी।

पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की स्वतंत्रता का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने बजट एयरलाइन गो फर्स्ट (जिसे पहले GoAir के नाम से जाना जाता था) द्वारा संचालित श्रीनगर और शारजाह (UAE) के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इस विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुज़रना था।

- हालाँकि उड़ान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और गंतव्य तक पहुँचने के लिये उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ा।
- इससे पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की प्राथमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की चिंता बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

- फ्रीडम ऑफ द एयर:
  - वायुमार्ग की स्वतंत्रता (The freedom of air) का अर्थ है कि कोई देश किसी विशेष देश की एयरलाइनों को दूसरे देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और/या वहाँ उतरने का विशेषाधिकार देता है।

- वायु मार्ग शासन की स्वतंत्रता वर्ष 1944 के शिकागो कन्वेंशन से निर्गत है।
- कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने ऐसे नियम निर्धारित करने का निर्णय लिया जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विमानन के लिये मौलिक निर्माण प्रक्रिया (Building Blocks) के रूप में कार्य करेंगे।
- यह कन्वेंशन नौ वायु मार्गों की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन केवल पहली पाँच स्वतंत्रताओं/फ्रीडम को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है।
  - पहला अधिकार: यह अधिकार एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को लैंडिंग किये बिना अपने क्षेत्र में उड़ान भरने के लिये दिया जाता है।
  - गो फर्स्ट (GoFirst) विमान (भारतीय वाहक) उड़ान के लिये पाकिस्तान (द्वितीयक देश) के हवाई क्षेत्र का उपयोग कर रही थी और इस विमान को संयुक्त अरब अमीरात (तीसरे देश) में उतरना था।
  - दूसरा अधिकार: गैर-यातायात उद्देश्यों के लिये एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में उतरने के लिये अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त है।
  - इसका आशय है कि नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट ब्रिटिश हवाई अड्डे पर उतर सकती है ताकि यात्रियों को सवार किये या उतारे बिना ईंधन भरा जा सके।
  - तीसरा अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में वाहक के गृह राष्ट्र से आने वाले यातायात को कम करना।
  - चौथा अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में मालवाहक के गृह राज्य हेतु नियत यातायात के तहत उड़ान भरना।
  - पाँचवाँ अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में तीसरे राष्ट्र से आने या जाने वाले यातायात को रोकना और उड़ान भरना।
- भारत के विकल्प:
  - पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से इनकार करना एक उल्लंघन है और शिकागो सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है।
    - इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश से इनकार किया है।
  - भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के समक्ष रख सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO):

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
  - शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
  - भारत इसके 193 सदस्यों में से है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता: दिल्ली

चर्चा में क्यों?

आने वाले दिनों में भारत 'अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता' की मेजबानी करेगा।

- बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSAs) के स्तर पर होगी और इसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

- बैठक के बारे में:
    - आमंत्रित प्रतिभागी: भारत के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने व्यक्तिगत बैठक आयोजित करने का बीड़ा उठाया है।
        - इसके लिये अफगानिस्तान के पड़ोसियों जैसे- पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान,उज़्बेकिस्तान, रूस और चीन सहित अन्य प्रमुख देशों को निमंत्रण भेजे गए थे।
    - बैठक की ज़रूरत: अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
    - उद्देश्य: इस संदर्भ में भारत ने देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण पर क्षेत्रीय हितधारकों एवं महत्त्वपूर्ण शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिये यह पहल की है।
    - भारत का हित: यह बैठक अफगानिस्तान पर भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिये भारत की कोशिश हो सकती है।
        - यह बैठक भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिये दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता को भी दर्शाती है।
    - प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया: मध्य एशियाई देशों के साथ-साथ रूस और ईरान ने भी भागीदारी की पुष्टि की है।
        - इस संबंध में उत्साहजनक प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय प्रयासों में भारत की भूमिका से जुड़े महत्त्व की अभिव्यक्ति है।
    - पाकिस्तान और चीन का इनकार: पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने माना है कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे।
        - चीन ने भी समय की कमी के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में भाग नही लेने का फैसला किया है, लेकिन द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से भारत के साथ चर्चा जारी रखने के लिये तैयार है।
        - भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा इस बैठक में भाग लेने से इनकार करना अफगानिस्तान को अपने संरक्षित देश के रूप में देखने की पाकिस्तान की मानसिकता को दिखाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:

- भारत ने 1999 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) का गठन किया, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर इसके द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है।
    - एनएससी(NSC) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- NSC में त्रि-स्तरीय संरचना शामिल है- रणनीतिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय।
- गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- अफगानिस्तान में भारत के हित:
    - सामरिक लाभ: अफगानिस्तान में भारत की रणनीति एक ऐसी सरकार को बनने से रोकने की है जो पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ और आतंकी समूहों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करे।
    - सॉफ्ट पावर रणनीति: भारत ने अफगानिस्तान में 'सॉफ्ट पावर' रणनीति को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है तथा रक्षा और सुरक्षा के बजाय नागरिक क्षेत्र में पर्याप्त योगदान देने को प्राथमिकता दी है।
    - विकासात्मक परियोजनाएँ: भारत निर्माण, बुनियादी ढाँचे, मानव पूंजी निर्माण और खनन क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय है।
        - इसके अलावा सहयोग के लिये दूरसंचार, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी संलग्न है।
    - आर्थिक सहायता: दो द्विपक्षीय समझौतों के ढाँचे के भीतर भारत ने अफगानिस्तान को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता देने का वादा किया है। वर्ष 2017 के अंत तक निवेश पहले ही 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है।
        - इस प्रकार भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।

- संपर्क परियोजनाएँ: भारत 600 किलोमीटर लंबे बामियान-हेरात रेल लिंक के निर्माण पर भी सहमत हो गया है जो हाजीगक खानों को हेरात से जोड़ेगा।
    - इसके अलावा भारत चाबहार के ईरानी बंदरगाह का विकास कर रहा है जो डेलाराम-ज़ारंज राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान से जुड़ेगा।
    - यदि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो जाती है, तो यह एशिया के मध्य में संपर्क गलियारे के रूप में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन सकता है।
- अफगानिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण:
    - भारत अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार से सीधे तौर पर निपटने के लिये तैयार नहीं है।
    - भारत ने दोहराया कि अफगानिस्तान को निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिये:
        - अपनी धरती को आतंक के लिये सुरक्षित पनाहगाह न बनने दें।
        - प्रशासन समावेशी होना चाहिये।
        - अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये।
        - अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया का नेतृत्व, स्वामित्व और नियंत्रण अफगान लोगों द्वारा किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- रूसी समर्थन: हाल के वर्षों में रूस ने तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह के सीधे जुड़ाव में भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- चीन के साथ संबंध: भारत को अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान और स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन के साथ बातचीत करनी चाहिये।
- तालिबान से जुड़ना: तालिबान से बात करने से भारत निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिज्ञाओं के बदले में विद्रोहियों से सुरक्षा गारंटी लेने के साथ-साथ पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता का पता लगाएगा।

अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता (Delhi Regional Security Dialogue) का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (National Security Advisors- NSA) ने हिस्सा लिया तथा इसकी अध्यक्षता भारतीय सुरक्षा सलाहकार (Indian NSA) द्वारा की गई।

- बैठक में अफगान लोगों को 'तत्काल मानवीय सहायता' (Urgent Humanitarian Assistance) का आह्वान किया गया और अफगान परिदृश्य पर क्षेत्रीय देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग एवं परामर्श का आग्रह किया गया।
- यह क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक है (इससे पहले की दो बैठकें वर्ष 2018 और 2019 में ईरान में संपन्न हुईं)।

प्रमुख बिंदु

- आमंत्रित प्रतिभागी: अफगानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे- पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस तथा चीन सहित अन्य प्रमुख प्रतिभागी देश।
- आवश्यकता: अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा कब्ज़ा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
- अफगानिस्तान के क्षेत्र से आतंकवाद फैलने की आशंका बनी हुई है।
- दिल्ली घोषणा की विशेषताएँ:
    - सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान: संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप पर ज़ोर देते हुए अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा व स्थिरता हेतु समर्थन को दोहराया गया।

- आतंकवाद की निंदा करना: आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिये प्रतिबद्धता की बात की गई।
  - क्षेत्रीय सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि अफगानिस्तान कभी भी वैश्विक आतंकवाद के लिये सुरक्षित स्थान नहीं बनेगा।
- मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना: इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
  - अफगान समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- सामूहिक सहयोग: क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका: अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के प्रासंगिक प्रस्तावों को दोहराते हुए कहा गया कि देश में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निरंतर उपस्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिये।
  - हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 2593 अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्त्व को दोहराता है, जिसमें वे व्यक्ति और संस्थाएँ शामिल हैं जिन्हें संकल्प 1267 के अनुसार नामित किया गया है।

- क्षेत्रीय देशों द्वारा प्रतिक्रिया:
  - रूस ने माना कि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में संवाद तंत्रों को जटिल नहीं होना चाहिये।
  - पाकिस्तान और चीन को भी परामर्श में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था लेकिन दोनों इससे दूर रहे।
  - इसके अलावा तत्कालीन अफगान सरकार या तालिबान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
  - उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA ने अपने शुरुआती बयानों में आतंकवाद शब्द का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया।
- अन्य अफगान शांति प्रक्रिया :
  - अफगानिस्तान पर 'ट्रोइका प्लस' बैठक: अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर यू.एस, रूस, चीन, पाकिस्तान समूह।
  - अफगानिस्तान पर 'मास्को फोरमैट': यह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिये वर्ष 2017 में रूस द्वारा स्थापित किया गया था।
    - यह छह-पक्षीय तंत्र है। इसमें रूस, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और पाकिस्तान शामिल थे।

आगे की राह:

- समावेशी सरकार: सभी जातीय समूहों की भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार के गठन के माध्यम से ही समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
- रूसी समर्थन: रूस ने हाल के वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह के सीधे जुड़ाव हेतु भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- चीन के साथ संबंध: भारत को अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान और स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन के साथ बातचीत करनी चाहिये।
- तालिबान से जुड़ना: तालिबान से बात करने से भारत उन्हें निरंतर विकास सहायता एवं पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता की संभावना का पता लगाने में समर्थ होगा।

भारत-स्वीडन इनोवेशन समिट

चर्चा में क्यों?

भारत और स्वीडन ने 26 अक्तूबर, 2021 को 8वाँ नवाचार दिवस (Innovation Day) मनाया।

- थीम: 'एक्सेलरेटिंग इंडिया-स्वीडन ग्रीन ट्रांज़िशन' (Accelerating India Sweden Green Transition)।

प्रमुख बिंदु

- ग्रीन ट्रांज़िशन:
  - भारत अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और इन प्रतिबद्धताओं से और अधिक बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है।
  - स्वीडन का उद्देश्य वर्ष 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् नकारात्मक शुद्ध उत्सर्जन हासिल करना है।
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) के नेतृत्व वाले इंडस्ट्री ट्रांज़िशन कार्यक्रम (लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन) में भारत और स्वीडन एक साथ हैं।
    - हाइब्रिड ग्रीन स्टील (कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ) के लॉन्च के साथ नवाचार का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 30% है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान व नवाचार:
  - भारत-स्वीडन नवाचार सहयोग, भारत-स्वीडन नवाचार भागीदारी और संयुक्त कार्य योजना (JAP) द्वारा निर्देशित है।
  - वर्ष 2018 में स्मार्ट शहरों, नवाचार और अगली पीढ़ी के परिवहन को शामिल करने के लिये संयुक्त कार्य योजना (JAP) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग पहले से ही इनक्यूबेटर कनेक्ट, डिजिटल हेल्थ केयर और ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रमों पर स्वीडिश भागीदारों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है।
- सर्कुलर इकॉनमी पर विचार:
  - दोनों देशों ने चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) पर एक नए संयुक्त कार्य योजना का आह्वान किया, जिसमें स्वास्थ्य विज्ञान और वेस्ट टू वेल्थ जैसे विषय शामिल थे।
    - सर्कुलर इकॉनमी में ऐसे बाज़ार शामिल हैं जो उत्पादों को स्क्रैप करने और फिर नए संसाधनों के उपयोग के बजाय पुन: उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन देते हैं।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्द्धन संगठन तथा बुजुर्गों की देखभाल के प्रावधान जैसे व्यापक विषयों पर 2021-2022 में नई योजना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत-स्वीडन संबंध

- राजनीतिक संबंध:
  - वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और दशकों से लगातार मज़बूत स्थिति में हैं।
  - पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क) वर्ष 2018 में स्वीडन में आयोजित किया गया था।
  - स्वीडन ने नवंबर 2020 में भारत की सह-अध्यक्षता में प्रथम भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक (एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया सहित) कॉन्क्लेव में भी भाग लिया।
- बहुपक्षीय जुड़ाव:
  - भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के सहयोग से लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (LeadIT) लॉन्च किया।
  - 1980 के दशक में भारत और स्वीडन ने 'सिक्स नेशन पीस समिट' (जिसमें अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको और तंजानिया भी शामिल थे) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक साथ काम किया।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और स्वीडन मानवीय मामलों पर एक वार्षिक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं।
  - वर्ष 2013 में स्वीडिश प्रेसीडेंसी के दौरान भारत किरुना मंत्रिस्तरीय बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ।

नोट :

- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत, स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (Trade Partner) है।
  - वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2016) से बढ़कर 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2019) हो गया है।
- रक्षा और एयरोस्पेस (स्वीडन-भारत संयुक्त कार्य योजना 2018): यह अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग पर प्रकाश डालता है।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते स्वीडन यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- सामरिक जुड़ाव, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश परिदृश्यों से पारस्परिक रूप से लाभकारी पद्धति के तहत साझा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- मार्च 2021 के शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली और स्टॉकहोम के बीच रणनीतिक हितों के समेकन की संचालित गतिविधियों से क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर विशेष रूप से कोविड-19 भू-राजनीतिक कूटनीति को परिभाषित करने में एक त्रुटिहीन प्रभाव पड़ने की संभावना है (विशेष रूप से वर्ष 2023 में जी-20 प्रेसीडेंसी हेतु भारत का बढ़ता प्रभुत्त्व)।

चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा युद्धपोत: पीएनएस तुगरिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054A/P फ्रिगेट (युद्धपोत) सौंपा। इसे पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril) नाम दिया गया है।

- चार प्रकार के 054A/P युद्धपोतों में पहला युद्धपोत पीएनएस तुगरिल है जिसका निर्माण पाकिस्तानी नौसेना के लिये किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- विशेषताएँ:
  - यह जहाज़ तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यधिक सक्षम है जिसमें सतह से सतह, सतह से हवा और व्यापक निगरानी क्षमता के अलावा पानी के नीचे मारक क्षमता हासिल की जा सकती है।
  - इस युद्धपोत में विश्व स्तरीय स्टील्थ क्षमता है और यह किसी भी रडार के संपर्क में आसानी से नहीं आएगा।
  - इसमें लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें और एक अत्याधुनिक तोप भी है जो एक मिनट में कई राउंड फायर करने में सक्षम है।
  - यह युद्धपोत अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली (BMS) से लैस है, जो पाकिस्तानी नौसेना की युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।
    - बीएमसी (BMS) मूल रूप से रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच संपर्क स्थापित करता है।
- भारत की चिंताएँ:
  - यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री रक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिये पाकिस्तानी नौसेना की क्षमता को मज़बूती प्रदान करेगा।
    - यह पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करते हुए पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े (Fleet) का मुख्य आधार बनेगा।
  - उन्नत नौसैनिक जहाज़ों के अलावा चीन ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान बनाने के लिये पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझेदारी की है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाने के अलावा चीन ने अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का नियंत्रण हासिल किया है जो चीन के झिंजियांग प्रांत से 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से संबंधित है।
    - चीन श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को भी 99 साल के लिये लीज पर हासिल कर उसका विकास कर रहा है।

- पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ नौसैनिक अड्डों का नियंत्रण हासिल होने से हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी नौसेना की व्यापक उपस्थिति की संभावना है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उभरती स्थिति

- समुद्र तटीय राष्ट्रों के साथ विभिन्न समझौते: भारत ने अपने सैन्य अड्डों तक पहुँच प्राप्त करने हेतु तटवर्ती हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में कई राष्ट्रों के साथ समझौतों पर बातचीत की है।
  - इंडोनेशिया के रणनीतिक दृष्टिकोण से गहरे समुद्र में स्थित सबांग बंदरगाह (Sabang Port) और ओमान के डुक्म बंदरगाह (Duqm Port) तक पहुँच स्थापित करने जैसे समझौते नई दिल्ली की भू-राजनीतिक स्थिति को मज़बूत करते हैं क्योंकि ये चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' का मुकाबला करने में सक्षम है।
- IOR के अतिरिक्त जुड़ाव: भारत ने IOR के बाहर के राष्ट्रों के साथ समझौता किया है तथा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के माध्यम से फ्राँस व संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग को और मज़बूत किया है।
  - यह भारत को अमेरिकी सीमांकन क्षेत्र के डिएगो गार्सिया (मध्य हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी सदस्य) और फ्राँसीसी सीमांकन क्षेत्र के रीयूनियन द्वीप पर बंदरगाह सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- चतुर्भुज वार्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ अनौपचारिक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या "क्वाड" के माध्यम से जुड़ा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं।
- पेरिस-दिल्ली-कैनबरा अक्ष (एक्सिस): फ्राँस ने हिंद-प्रशांत में "पेरिस-दिल्ली-कैनबरा अक्ष" (एक्सिस) के निर्माण का आह्वान किया है, जो IOR की भू-राजनीतिक स्थिति पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR): IFC-IOR की स्थापना इस क्षेत्र के लिये समुद्री सूचना केंद्र के रूप में कार्य करके क्षेत्र और उससे परे समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के दृष्टिकोण से की गई है।
- समुद्री अभ्यास: भारत ने अपने "मालाबार" नौसैनिक अभ्यास के एक संस्करण का समापन किया, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे।
  - वर्ष 2018 में भारत ने 16 अन्य देशों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'मिलन' (MILAN) नामक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास तथा ऑस्ट्रेलियाई, जापानी एवं अमेरिकी नौसेना बलों के साथ नौकायन के रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज़ (RIMPAC) का भी आयोजन किया।
- नौसनिक जहाज़: भारत में पहले से ही एक परिचालित वाहक, आईएनएस विक्रमादित्य है और एक दूसरे आईएनएस विक्रांत के परिचालन की योजना है, इसने विक्रांत का अनुसरण करने के लिये विमान वाहक के एक वर्ग को विकसित करने हेतु महत्त्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की है।
  - भारतीय नौसेना ने भविष्य में 57 वाहक-आधारित लड़ाकू जेट खरीदने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, साथ ही परमाणु शक्ति वाले आक्रामक जहाज़ों के एक नए अरिहंत-वर्ग के साथ अपने पनडुब्बी बेड़े का आधुनिकीकरण किया है।

बेलारूस-पोलैंड सीमा संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बेलारूस और रूस के पैराट्रूपर्स (Paratroopers) द्वारा पोलैंड और लिथुआनियाई सीमाओं के पास संयुक्त अभ्यास किया गया।

- यह अभ्यास उस समय संपन्न हुआ जब सीमावर्ती जंगलों में डेरा डाले हुए प्रवासियों को लेकर बेलारूस और यूरोपीय संघ (European Union- EU) के मध्य गतिरोध की स्थिति है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - अगस्त 2020 के चुनाव के बाद से बेलारूस में महीनों विरोध प्रदर्शन हुए, जिसने सत्तावादी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को छठा कार्यकाल प्रदान किया।

- विपक्ष और पश्चिम देशों ने परिणाम को दिखावा बताकर खारिज कर दिया।
- बेलारूस के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक भीषण कार्रवाई की गई, जिसमें 35,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा हज़ारों लोगों को पीटा गया।
- यूरोपीय संघ और अमेरिका ने बेलारूस सरकार पर प्रतिबंध लगाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- मई 2021 में बेलारूस द्वारा एक यात्री जेट को जबरन डायवर्ट किया गया तथा "स्टेट पाइरेसी" (जहाँ राज्य शामिल है) के रूप में पश्चिमी शक्तियों द्वारा निंदा किये गए एक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने हेतु एक विपक्षी पत्रकार से हाथापाई की गई जिसके बाद प्रतिबंधों को और मज़बूत कर दिया गया।
  - बेलारूस सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह अब अवैध प्रवासन को रोकने हेतु समझौते का पालन नहीं करेगा तथा तर्क दिया कि प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिये यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों द्वारा आवश्यक धन से उनकी सरकार को वंचित कर दिया।
  - यह अनिर्दिष्ट प्रवासियों और शरणार्थियों को यूरोपीय संघ तक पहुँचने की कोशिश से रोक देगा।
- बेलारूस में विपक्ष ने यूरोपीय संघ से और भी सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है, जिसमें व्यापार प्रतिबंध तथा बेलारूस के माध्यम से कार्गो के पारगमन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
  - हालाँकि बेलारूस सरकार ने बेलारूस से पाइपलाइनों के माध्यम से यूरोप को रूस से गैस की आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी है लेकिन रूस उस खतरे से खुद को दूर करता हुआ दिखाई दिया।

- वर्तमान संकट:
  - पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है।
    - पोलैंड पर दक्षिणपंथी लोकलुभावन लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) का शासन है जो अप्रवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखती है।
  - मध्य पूर्व से आने वाले हज़ारों लोग पोलैंड के साथ सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, ठंड की स्थिति को सहन करने वाले प्रवासियों में महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं।
    - पोलैंड में सरकार सहायता संगठनों को आपूर्ति प्रदान करने की अनुमति भी नहीं दे रही है। यह संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1951 या शरणार्थी अभिसमय का उल्लंघन करता है।
- रूस का समर्थन:
  - बेलारूस को अपने मुख्य सहयोगी रूस से मज़बूत समर्थन प्राप्त है, जिसने लुकाशेंको की सरकार को ऋण और राजनीतिक समर्थन के साथ मदद की है।
  - रूस ने कहा कि इराक और अफगानिस्तान में प्रवासियों का प्रवाह अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्धों और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी समर्थित अरब स्प्रिंग विद्रोह के परिणामस्वरूप हुआ।
  - बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर पोलैंड की सेना द्वारा किये गए निर्माण कार्य के जवाब में रूस ने सीमा क्षेत्र में गश्त के लिये दो रणनीतिक, लंबी दूरी के टीयू-22एम3 बमवर्षक भेजे।
  - रूस ने भी यह तर्क देते हुए प्रवासी संकट के लिये यूरोपीय संघ को पूरी तरह से दोषी ठहराया है कि यह संकट पैदा होने का मुख्य कारण शरणार्थियों को स्वीकार करने से यूरोपीय संघ का इनकार था।
- यूरोपियन संघ का पक्ष:
  - यूरोपीय संघ ने पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ एकजुटता का मज़बूत प्रदर्शन किया है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंधों के एक और दौर पर चर्चा किये जाने की उम्मीद है।
  - यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर हज़ारों प्रवासियों, मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से उड़ान भरने और पोलैंड में अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने से रोककर इस ब्लॉक पर "हाइब्रिड हमला" करने का आरोप लगाया है।
    - बेलारूस के पड़ोसियों ने चिंता व्यक्त की है कि यह संकट एक सैन्य टकराव के रूप में आगे बढ़ सकता है।
    - हालाँकि बेलारूस ने भी प्रवासियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने से इनकार किया है और कहा कि यूरोपीय संघ प्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन कर उन्हें सुरक्षित मार्ग से वंचित कर रहा है।

- वैश्विक प्रतिक्रिया:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पश्चिमी सदस्यों ने पोलैंड से लगी सीमा पर फँसे प्रवासियों के बढ़ते संकट के लिये बेलारूस की निंदा की है।
  - संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम) स्थिति के तत्काल समाधान तथा यूरोपीय संघ के लिये तत्काल एवं निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि मानवीय सहायता प्रदान की जा सके।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ के बेलारूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के साथ ही पोलैंड ने प्रवासियों को बाहर रखने का दृढ़ संकल्प किया, बेलारूस बिना भोजन या पानी के जंगलों में डेरा डाले हुए प्रवासियों की सहायता के लिये उपाय करने को तैयार नहीं है और हज़ारों प्रवासियों का भाग्य इस पर टिका हुआ है।
- यूरोपीय संघ को अपने हिस्से के लिये पोलैंड के साथ एकजुटता की अपनी अंधी घोषणाओं को रोकना चाहिये और सीमा पर मानवीय समाधान हेतु तुरंत काम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से सरकार पर दबाव डालना चाहिये।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट: नासा

चर्चा में क्यों?

नासा जल्द ही 'डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट' (DART) नाम से अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन लॉन्च करेगा।

- 'DART' अंतरिक्षयान को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मिशन का उद्देश्य:
  - यह मिशन भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्रग्रह/एस्ट्रॉयड के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करेगा।
  - इसका उद्देश्य नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है, जो एक अंतरिक्षयान को क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी दिशा को बदलने की अनुमति देगा।
    - अंतरिक्षयान के क्षुद्रग्रह से टकराने के बाद वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों से क्षुद्रग्रह के प्रक्षेपवक्र पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे।
    - 'DART' अंतरिक्ष में किसी क्षुद्रग्रह की गति को बदलने हेतु गतिज प्रभावकारी तकनीक का पहला परिक्षण होगा।
  - इस अंतरिक्षयान का लक्ष्य एक छोटा सा चंद्रमा है, जिसे 'डिमोर्फोस' (ग्रीक भाषा में 'दो रूपों वाला') कहा जाता है।
    - डिमोर्फोस, 'डिडिमोस' (ग्रीक भाषा में 'जुड़वाँ') नामक एक बड़े क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करता है।
  - यह एक आत्मघाती मिशन है और अंतरिक्षयान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
  - अंतरिक्षयान और क्षुद्रग्रह की टक्कर 26 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2022 के बीच होने की संभावना है।
- मिशन के विषय में
  - 'DART' एक कम लागत वाला अंतरिक्षयान है।
  - इसमें दो सोलर ऐरेज़ शामिल हैं और अंतरिक्षयान के संचालन के लिये ये हाइड्राज़ीन प्रणोदक का उपयोग करते हैं।
  - इसमें लगभग 10 किलोग्राम 'ज़ेनॉन' (Xenon) भी होता है जिसका उपयोग नए थ्रस्टर्स को प्रदर्शित करने के लिये किया जाएगा, जिसे 'नासा इवोल्यूशनरी ज़ेनॉन थ्रस्टर-कमर्शियल (NEXT-C)) कहा जाता है।

- NEXT-C ग्रेडेड आयन थ्रस्टर सिस्टम प्रदर्शन और अंतरिक्षयान एकीकरण क्षमताओं का एक संयोजन प्रदान करता है, जो इसे अंतरिक्ष रोबोट मिशन के लिये विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाता है।
- अंतरिक्षयान में एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजर होता है जिसे 'डिडिमोस रिकोनिसेंस एंड एस्ट्रॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन' (DRACO) कहा जाता है।
  - 'DRACO' से प्राप्त इमेज वास्तविक समय में पृथ्वी पर भेजी जाएंगी और डिमोर्फोस (लक्ष्य क्षुद्रग्रह) के प्रभाव स्थल और सतह का अध्ययन करने में मदद करेंगी।
- साथ ही यह मिशन 'LICIACube' (लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्ट्रॉयड) नामक एक छोटा उपग्रह या क्यूबसैट भी ले जाएगा।
  - 'LICIACube' से टक्कर के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रभाव और इससे निर्मित क्रेटर की छवियों को कैप्चर करेगा।
- 'डिमोर्फोस' के चयन का कारण:
  - डिडिमोस' परीक्षण मिशन के लिये एक आदर्श निकाय है, क्योंकि यह एक 'एक्लिप्सिंग बाइनरी' है जिसका अर्थ है कि इसमें एक चंद्रमा है जो नियमित रूप से क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करता है और जिसे मुख्य क्षुद्रग्रह के सामने से गुज़रने पर देखा जा सकता है।
  - पृथ्वी पर मौजूद दूरबीन यह समझने के लिये इसका अध्ययन कर सकते हैं कि डिमोर्फोस को डिडिमोस की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है।

कामो-ओलेवा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कामो-ओलेवा (Kamo`oalewa) नामक एक अर्द्ध-उपग्रह (Quasi-satellite) का पता लगाया है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करता है, यह चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है।

- कामो-ओलेवा के नमूने को एकत्र करने हेतु वर्ष 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना निर्धारित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- कामो-ओलेवा:
  - वर्ष 2016 में खोजा गया (हवाई में PanSTARRS टेलीस्कोप के माध्यम से) कमो-ओलेवा एक ऐसा शब्द है जो एक हवाईयान चैंट (गीत) का हिस्सा है अर्थात् एक घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा है।
  - यह पृथ्वी के अर्द्ध-उपग्रहों में से एक है, एक अंतरिक्ष चट्टान जो सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ग्रह के अपेक्षाकृत नज़दीक मौजूद होती है, अर्थात् लगभग 9 मिलियन मील दूर।
  - क्षुद्रग्रह सामान्यत: फेरिस व्हील के आकार के होते हैं जिनका व्यास 150 से 190 फीट के मध्य होता है।
  - इसके छोटे आकार (लगभग 50 मीटर चौड़े) के कारण इस अर्द्ध-उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिये कठिन रहा है और इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी।
- तीन परिणामी संभावनाएँ:
  - पृथ्वी के चंद्रमा का हिस्सा:
    - एक संभावित प्रभाव के कारण यह चंद्रमा से अलग हुआ होगा और पृथ्वी के बजाय सूर्य की कक्षा में चला गया, जैसा कि उसके स्रोत ग्रह या उपग्रह करते हैं।
    - कामो-ओलेवा से परावर्तित प्रकाश का स्पेक्ट्रम नासा के अपोलो मिशन द्वारा प्राप्त चंद्रमा के चट्टानों से काफी मिलता-जुलता है तथा यह संभावना है कि यह चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है।
    - यह एक असामान्य कक्षा में है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद क्षुद्रग्रह बेल्ट से वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आना असंभव होगा।

- शोधकर्त्ताओं द्वारा अभी यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि चंद्रमा का टुकड़ा आंशिक रूप से अंतरिक्ष में कैसे आया, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति के समय कोई अन्य ज्ञात क्षुद्रग्रह नहीं था। हालाँकि उन्होंने 1,00,000 से 500 वर्षों पहले हुई विध्वंशक घटना की समयसीमा को कम कर दिया है।

- नियर अर्थ ऑब्जेक्ट:
  - नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की समानता वाले क्षेत्र से पृथ्वी के समान कक्षा में कैप्चर किया गया।
- पृथ्वी के ट्रोजन क्षुद्रग्रह:
  - यह पृथ्वी के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की अभी तक अपरिभाषित एक अर्द्ध-स्थिर आबादी से उत्पन्न हुआ है (ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का एक समूह है जो एक बड़े ग्रह के साथ एक कक्षा (Orbit) साझा करते हैं)।

नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (NEOs)

- 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) का आशय ऐसे धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से है जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उनके ऑर्बिट/कक्षा में आ जाते हैं, यह उन्हें पृथ्वी के करीब आने की अनुमति देता है।
- ये क्षुद्रग्रह ज़्यादातर बर्फ और धूल के कण से मिलकर बने होते हैं।
- NEO कभी-कभी पृथ्वी के करीब पहुँचते हैं क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
- नासा का सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी (CNEOS) क्षुद्रग्रह वॉच विज़ेट के माध्यम से उस स्थिति में इन ऑब्जेक्ट्स के समय और दूरी को निर्धारित करता है, जब ये पृथ्वी के नज़दीक होते हैं।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

विश्व धरोहर स्थल और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध वनों (2001-2020) से उत्सर्जित और अवशोषित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा के पहले वैज्ञानिक आकलन में पाया गया है कि विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- जलवायु परिवर्तन को कम करना:
  - विश्व धरोहर स्थल प्रत्येक वर्ष वातावरण से 190 मिलियन टन CO_2 को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध वनों द्वारा लंबी अवधि में कार्बन संग्रहण से लगभग 13 बिलियन टन कार्बन का कुल कार्बन भंडारण हुआ है।
  - यदि यह संग्रहीत कार्बन वातावरण में CO_2 के रूप में छोड़ा जाता है तो यह जीवाश्म ईंधन दुनिया के कुल वार्षिक CO_2 उत्सर्जन का 1.3 गुना अधिक उत्सर्जन होगा।
  - हालाँकि मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण दस वनों से अधिक कार्बन छोड़ा गया था, जो कि खतरनाक है।
  - यूनेस्को अपने विश्व धरोहर समुद्री कार्यक्रम के तहत अद्वितीय समुद्री महत्त्व के लिये दुनिया भर में 50 स्थलों को सूचीबद्ध करता है। ये वैश्विक महासागर क्षेत्र के सिर्फ एक प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन वैश्विक ब्लू कार्बन परिसंपत्तियों का कम-से-कम 15% हिस्सा समायोजित करते हैं।
    - ब्लू कार्बन कार्बनिक कार्बन है जो मुख्य रूप से सड़ने वाले पौधों की पत्तियों, लकड़ी, जड़ों और जानवरों से प्राप्त होता है। यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा संग्रहीत किया जाता है।
  - भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (60 मिलियन टन कार्बन) उन पाँच स्थलों में शामिल है, जिनके पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक ब्लू कार्बन स्टॉक है।
- उच्च उत्सर्जन का कारण:
  - कुछ स्थलों पर कृषि के लिये भूमि की मंजूरी के कारण उत्सर्जन, संग्रहण से अधिक हो गया।
  - दावानल के बढ़ते पैमाने और गंभीरता अक्सर सूखे की गंभीर अवधि से जुड़ी होती है, यह भी कई मामलों में एक प्रमुख कारक है।
    - अन्य चरम मौसम की घटनाएँ, जैसे कि हरिकेन ने कुछ स्थलों पर योगदान दिया।
- सिफारिशें:
  - विरासत स्थलों का संरक्षण:
    - यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके आसपास के परिदृश्यों की मज़बूत और निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए जिससे वन भविष्य की पीढ़ियों हेतु मज़बूत कार्बन सिंक और स्टोर के रूप में कार्य करना जारी रख सकें।
  - शीघ्र प्रतिक्रिया:
    - जलवायु से संबंधित घटनाओं का तेज़ी से जवाब देना, साथ ही बेहतर परिदृश्य प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक संपर्क को बनाए रखना और मज़बूत करना।
  - एकीकृत संरक्षण:
    - अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय जलवायु, जैव विविधता तथा सतत् विकास रणनीतियों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की निरंतर सुरक्षा को एकीकृत करना।
    - यह पेरिस जलवायु समझौते, 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे और सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिये।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (Sundarban National Park)

- यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और गंगा डेल्टा का हिस्सा है।
- बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर सुंदरबन मैंग्रोव वन हैं।
- यह क्षेत्र जीवों की विस्तृत शृंखला के लिये जाना जाता है। यह कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों जैसे कि एश्चुरीयन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए का निवास है ।

विश्व विरासत समुद्री कार्यक्रम

- यह उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों तक फैले अद्वितीय समुद्री स्थानों का एक वैश्विक संग्रह है।
- अभी तक इस सूची में 37 देशों में 50 अद्वितीय महासागर स्थल शामिल हैं जिनको उनकी अद्वितीय समुद्री जैव विविधता, विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र, अद्वितीय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या अतुलनीय सुंदरता के लिये मान्यता दी गई है।
- इस कार्यक्रम के तहत भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र सूचीबद्ध स्थल है।

विश्व धरोहर स्थल

- विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के लिये सूचीबद्ध है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व विरासत कार्यक्रम' के तहत किया जाता है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है, जिसे 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था।
- भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। नवीनतम शामिल स्थल गुजरात में धोलावीरा है।

ग्लासगो ग्लेशियर: अंटार्कटिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंटार्कटिका में 100 किमी. लंबा बर्फ का पिंड जो तेज़ी से पिघल रहा है, को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया।

- यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के COP का 26वाँ सत्र ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- शोध: इंग्लैंड में लीड्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के गेट्ज़ बेसिन में ग्लेशियरों की एक शृंखला का अध्ययन किया है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 1994 और 2018 के बीच पश्चिम अंटार्कटिका के गेट्ज़ बेसिन में 14 ग्लेशियरों की मोटाई औसतन 25% कम हो गई है। पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र से 315 गीगाटन बर्फ पिघल गई जो वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान दे रही है।
- गेट्ज़ बेसिन अंटार्कटिका के सबसे बड़े आइस शेल्फ का हिस्सा है। शेल्फ अधिक परिवर्तनशील समुद्री बल के अधीन होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अन्य अंटार्कटिक शेल्फ की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म गहरे समुद्र का पानी ग्लेशियरों को पिघला देता है।
- अन्य ग्लेशियरों के नाम: आठ नए नामित ग्लेशियर निम्नलिखित पर आधारित हैं:
    - स्टॉकहोम सम्मेलन (1972): स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का निर्माण था।
    - विश्व जलवायु सम्मेलन, जिनेवा (1979): विश्व जलवायु सम्मेलन, जिसे अब आमतौर पर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहा जाता है, जिनेवा में आयोजित किया गया था।
    - रियो शिखर सम्मेलन (1992): इसने एजेंडा 21 नामक विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की। इसने सतत् विकास की अवधारणा को पारिस्थितिक ज़िम्मेदारी के साथ संयुक्त आर्थिक विकास से जोड़ा।

- COP-1 (बर्लिन, जर्मनी, 1995): जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP-1) के लिये COP-1 का आयोजन वर्ष 1995 में बर्लिन में किया गया।
- क्योटो प्रोटोकॉल (1997): क्योटो में विकसित देश वर्ष 2008 और 2012 के बीच वर्ष 1990 के स्तर से नीचे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 5.2% की कमी के सामूहिक लक्ष्य पर सहमत हुए।
- COP-13 (बाली, इंडोनेशिया, 2007): पार्टियों ने बाली रोडमैप और बाली कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणाम की ओर अग्रसर किया।
- COP-21 (पेरिस, 2015): वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 2.0C से नीचे रखना और उसे 1.5C तक और भी अधिक सीमित करने का प्रयास करना।
  - इसके लिये विकसित देशों को वर्ष 2020 के बाद भी वार्षिक रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग संबंधी प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है।
- इंचियोन: ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) दक्षिण कोरिया के इंचियोन में स्थित है।

- महत्त्व: पिछले 40 वर्षों में उपग्रहों द्वारा हिमशैल के आकार में वृद्धि होने की घटनाओं, ग्लेशियरों के प्रवाह में परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव के कारण बर्फ को तेज़ी से पिघलते देखा गया है।
  - प्रमुख जलवायु संधियों, सम्मेलनों और रिपोर्टों के अतिरिक्त ग्लेशियरों का नामकरण पिछले 42 वर्षों में 'जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' का जश्न मनाने का एक शानदार तरीका रहा है।

वर्ष 2070 तक 'कार्बन तटस्थता' का लक्ष्य: भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह अपने पाँच सूत्री कार्य योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2070 तक 'कार्बन तटस्थता' का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, जिसमें वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना भी शामिल है।

- भारत ने यह घोषणा ग्लासगो में आयोजित 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-26' जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की है, साथ ही भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण के अपने वादे को पूरा करने का भी आग्रह किया है।
- हालाँकि भारत ने अभी तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिये इन प्रतिबद्धताओं के साथ एक अद्यतित 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'नेट ज़ीरो' अथवा कार्बन तटस्थता का आशय ऐसी स्थिति से है, जिसमें किसी देश का कुल उत्सर्जन, वातावरण से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के समान होता है,इसमें पेड़ों अथवा जंगलों द्वारा या अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाना शामिल है।
  - 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक 'नेट ज़ीरो' लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर है, और इसे पूर्व-औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
  - भारत का वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' प्राप्त करने का लक्ष्य भारत के आलोचकों को चुप कराना है, साथ ही यह अपेक्षा के अनुरूप ही है।
    - यहाँ मुख्य बात स्वयं लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि भारत आखिरकार झुक गया और उसने लक्ष्य निर्धारण का फैसला किया है, जिसे वह काफी समय से रोक रहा था।
    - पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत अपनी जलवायु कार्य योजना में भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता या सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन को 33% से 35% तक कम करने का वादा किया था।

- भारत के उत्सर्जन को कम करना:
    - दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है - दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा होने के बावजूद कुल का 5% उत्सर्जन।
    - विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग 3.3 बिलियन टन था।
        - यह वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 4 बिलियन टन से अधिक हो सकता है।
    - इसका मतलब यह होगा कि वर्ष 2021 और वर्ष 2030 के बीच भारत 35 से 40 अरब टन के आसपास उत्सर्जन कर सकता है।
    - इस प्रकार 1 बिलियन टन की कटौती अगले नौ वर्षों में पूर्ण उत्सर्जन में 2.5% से 3% की ही कमी करेगी।
- भारत के नए नवीकरणीय लक्ष्य:
    - वर्ष 2019 में भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट (GW) तक प्रस्थापित करेगा।
        - इस घोषणा से पहले भारत का सार्वजनिक रूप से घोषित लक्ष्य वर्ष 2022 तक 175 GW था।
    - पिछले कुछ वर्षों में स्थापित अक्षय क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है और 450 गीगावाट से 500 गीगावाट तक की अपनी परिबद्धता के अनुसार इसकी वृद्धि अधिक चुनौतीपूर्ण होने की संभावना नहीं है।
    - ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनुपात में 50% की वृद्धि इसका एक स्वाभाविक परिणाम है।
    - ऊर्जा क्षेत्र में अधिकांश नई क्षमता वृद्धि नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में की जा रही है।
        - हालाँकि भारत पहले यह घोषणा कर चुका है कि उसकी वर्ष 2022 के पश्चात् नए कोयला बिजली संयंत्र शुरू करने की कोई योजना नहीं है।
        - भारत का वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है।
- जलवायु वित्त:
    - आवश्यक है कि विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के माध्यम से भारत के प्रयासों का समर्थन किया जाए। विदेशी पूंजी के बिना रियायती शर्तों पर यह स्थानांतरण जटिल साबित होगा।
    - भारत जल्द-से-जल्द 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त की मांग करता है और यह न केवल जलवायु कार्रवाई की निगरानी करेगा, बल्कि जलवायु वित्त भी प्रदान करेगा।
    - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने एक बार फिर जीवनशैली में बदलाव का आह्वान किया है।
- नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम:
    - काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर्स इंप्लीकेशंस ऑफ ए नेट-ज़ीरो टारगेट फॉर इंडियाज़ सेक्टोरल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी के अध्ययन के अनुसार, भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 5,600 गीगावाट से अधिक की आवश्यकता होगी।
    - भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिये विशेष रूप से बिजली उत्पादन हेतु कोयले के उपयोग को वर्ष 2060 तक 99% तक कम करना होगा।
    - सभी क्षेत्रों में कच्चे तेल की खपत को वर्ष 2050 तक चरम स्थिति पर पहुँचाने और वर्ष 2050 तथा वर्ष 2070 के बीच 90% तक कम करने की आवश्यकता होगी।
        - ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक क्षेत्र की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 19% योगदान कर सकता है।

G20 शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में राजनेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता के निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने की प्रतिबद्धता जताई।

- उन्होंने रोम घोषणा के प्रस्तावों को अपनाया है (G20 देशों की वर्तमान अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है)।
- एक अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिये 'सार्थक और प्रभावी' कार्रवाई का भी आह्वान किया। हालाँकि कोई समयबद्ध समझौता नहीं हुआ।
- इससे पहले G20 जलवायु जोखिम एटलस जारी किया गया था जो G20 देशों में जलवायु परिदृश्य, सूचना, डेटा और जलवायु में भविष्य में परिवर्तन प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- घोषणा की मुख्य विशेषताएँ:
  - कोयला आधारित संयंत्रों की सहायता को प्रतिबंधित करना: इसमें इस वर्ष (2021) के अंत तक विदेशी अनुसमर्थन प्राप्त कोल आधारित बिजली उत्पादन के वित्तपोषण को रोकने का संकल्प शामिल था।
  - COP 26 के लिये रोडमैप: इसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से वैश्विक जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिये अपनी कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।
    - यह ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP26) के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - वित्तपोषण हेतु पीपीपी मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने वाले स्वच्छ, सतत् ऊर्जा स्रोतों में ट्रांज़िशन हेतु आवश्यक वार्षिक निवेश के रूप में खरबों डॉलर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।
- भारत द्वारा की गई घोषणा:
  - वैक्सीन असमानता को संबोधित करना: दुनिया भर में वैक्सीन असमानता को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत अगले वर्ष (2022) के अंत तक 5 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने के लिये तैयार है।
    - भारत ने वैक्सीन अनुसंधान, निर्माण और नवाचार पर भी ज़ोर दिया।
  - 'वन अर्थ वन हेल्थ': 'वन अर्थ वन हेल्थ' किसी भी प्रकार की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सहयोगी दृष्टिकोण साबित हो सकता है।
  - लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखला: भारत ने लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और G20 देशों को भारत को आर्थिक सुधार व आपूर्ति शृंखला विविधीकरण में भागीदार बनाने हेतु आमंत्रित किया।
  - वैश्विक न्यूनतम कर के लिये समर्थन: भारत ने वैश्विक वित्तीय ढाँचे को 'अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष' बनाने के लिये 15 प्रतिशत न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के जी-20 के निर्णय की भी सराहना की।
  - भारत-प्रशांत रणनीति का स्वागत: भारत ने यूरोपीय संघ की इंडो-पैसिफिक रणनीति और उसमें फ्राँसीसी नेतृत्व का स्वागत किया।
- संबद्ध चिंताएँ:
  - आधे-अधूरे प्रयास: इस व्यक्तव्य में कुछ ठोस कार्रवाइयाँ की गई थीं और शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये 2050 की किसी विशेष तारीख का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।
    - इसके अलावा इस व्यक्तव्य में पिछले मसौदे में 'उत्सर्जन को काफी कम करने' के लक्ष्य के संदर्भों को हटा दिया गया।
  - कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं: इसने घरेलू स्तर पर कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, जो चीन और भारत जैसे शीर्ष कार्बन प्रदूषकों के लिये एक स्पष्ट मंज़ूरी है।
    - उदाहरण के लिये चीन ने घरेलू कोयला संयंत्रों के निर्माण की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है।
    - कोयला अभी भी चीन का बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है और चीन तथा भारत दोनों ने घरेलू कोयले की खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जी-20 घोषणा के प्रयासों का विरोध किया है।
  - वैक्सीन पेटेंट छूट को लेकर कोई संकल्प नहीं: इसमें वैक्सीन पेटेंट छूट को लेकर विवाद पर बात नहीं हुई।
  - भारत की विकासात्मक अनिवार्यता पर दबाव: अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के जलवायु वार्ताकारों ने पिछले कुछ महीनों में भारत के कई दौरे किये थे, जिसमें भारत के लिये अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' को वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को शामिल करने के लिये दबाव डाला गया था।

G20

- परिचय:
  - G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
  - G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है।
  - G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- सदस्य:
  - G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

CoP26 शिखर सम्मेलन में नया संकल्प

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लासगो में CoP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन में नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिये मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है।

- इससे पहले भारत ने घोषणा की थी कि वह पाँच सूत्री कार्य योजना के तहत 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुँच जाएगा, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- मीथेन प्लेज:
  - यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका ने शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिये एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है।
  - कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिये गठबंधन के सदस्य प्रयास करेंगे।
  - यूरोपीय संघ और अमेरिका के अलावा 103 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे प्रमुख मीथेन उत्सर्जक शामिल हैं।
    - ग्लोबल मीथेन प्लेज (यूएस), जिसे पहली बार सितंबर 2021 में घोषित किया गया था, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो-तिहाई उत्सर्जन करने वाले देशों को कवर करता है।
    - चीन, रूस और भारत ने साइन अप नहीं किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह इसका समर्थन नहीं करेगा।

मीथेन

- मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण में अधिक अल्पकालिक है लेकिन पृथ्वी को गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- गैर-लाभकारी विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, मानव जाति ने वनों को नुकसान पहुँचाकर वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को भी बढ़ावा दिया है जो लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित करते हैं।
- मीथेन के मानव स्रोतों में लैंडफिल, तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- निर्वनीकरण संकल्प:
  - 100 से अधिक देशों ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया, जो कि वनों की रक्षा एवं पुनर्स्थापना में निवेश करने के लिये सार्वजनिक और निजी फंड में 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करता है।

नोट :

- WRI की ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया में यूनाइटेड किंगडम से अधिक क्षेत्र वाले 258,000 वर्ग किमी. वनों का नुकसान हुआ है।
- यह समझौता 2014 के न्यूयॉर्क वन घोषणापत्र के हिस्से के रूप में 40 देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता का विस्तार करता है और अधिक संसाधनों के निवेश का वादा करता है।

- कॉल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस:
  - भारत के अनुसार, वर्ष 2009 में निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डालर के जलवायु वित्त स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता और भारत द्वारा इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कम-से-कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त होना चाहिये।
  - भारत ने UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) वार्ता में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) की एकता और ताकत को मौलिक रूप से रेखांकित किया।
    - जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हित को संरक्षित करने के लिये भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकासशील देशों के सामने मौजूदा चुनौतियों की पहचान करने के लिये तीव्र वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा व व्यापार युद्ध के बजाय गहन बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है।
  - भारत ने LMDC के सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) और उद्योग संक्रमण के लिये नेतृत्व समूह (LeadIT) सहित वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिये भारत के साथ सहयोग का अनुरोध किया।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स:
  - भारत ने CDRI के एक हिस्से के रूप में इस पहल की शुरुआत की, जो विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में पायलट परियोजनाओं के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों या SIDS को जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO उपग्रह के माध्यम से चक्रवात, प्रवाल-भित्ति निगरानी, तट-रेखा निगरानी आदि के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने हेतु उनके लिये एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगी।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ग्रुप (OSOWOG) का शुभारंभ:
  - यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने और सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचरण की एक पहल है।
  - इसमें सरकारों का एक समूह शामिल है जिसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (GGI) - वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ग्रुप कहा जाता है।
    - GGI का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को कम करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और बाज़ार संरचनाओं में सुधारों को गति प्रदान कर मानकों को प्राप्त करने में मदद करना है।
  - इसमें आधुनिक इंजीनियरिंग की सफलता की क्षमता है और नवीकरणीय बिजली उत्पादन के विस्तार के लिये उत्प्रेरक तथा अगले दशक में जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कम करने की क्षमता है।
  - OSOWOG पर ISA के कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार, वैश्विक सौर ग्रिड को तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
    - पहले चरण में 'इंडियन ग्रिड' मध्य-पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया ग्रिड से जुड़ेगा ताकि बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिये सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा किया जा सके, जिसमें पीक डिमांड भी शामिल है।
    - इसके बाद इसे दूसरे चरण में अफ्रीकी पावर पूल के साथ जोड़ा जाएगा।
    - तीसरे चरण में OSOWOG के विज़न को हासिल करने के लिये पावर ट्रांसमिशन ग्रिड के ग्लोबल इंटरकनेक्शन को कवर किया जाएगा।

नोट :

वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 2030 तक 'वनों की कटाई को रोकने' और भूमि क्षरण पर एक महत्त्वाकांक्षी घोषणा की गई।

- इसे वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।
- भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि उसने समझौते में जलवायु परिवर्तन और वन मुद्दों के संदर्भ में 'व्यापार' शब्द पर आपत्ति जताई थी।

प्रमुख बिंदु

- घोषणा के बारे में:
  - एकीकृत दृष्टिकोण: घोषणा में यह स्वीकार किया गया कि भूमि उपयोग, जलवायु, जैव विविधता और सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर जुड़े क्षेत्रों में परिवर्तनकारी आगे की कार्रवाई की आवश्यकता होगी:
    - सतत् उत्पादन और खपत।
    - बुनियादी ढाँचे का विकास; व्यापार; वित्त और निवेश।
    - छोटे जोतदारों, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिये सहायता, जो अपनी आजीविका हेतु जंगलों पर निर्भर हैं और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और सिंक द्वारा हटाने के बीच संतुलन; जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने के लिये।
  - हस्ताक्षरकर्त्ता: घोषणा में यूके, यूएस, रूस और चीन सहित 105 से अधिक हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
    - ये देश वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक वनों के 85% प्रमुख वस्तुओं जैसे- ताड़ का तेल, कोको और सोया का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उत्पादन वनों को खतरे में डाल सकता है।
    - उन्होंने 2021-25 तक सार्वजनिक धन में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीयन का भी वादा किया है।
  - बहुपक्षीय समझौते के लिये प्रतिबद्धता: इसने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, सतत् विकास लक्ष्यों के लिये संबंधित प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की।
- घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:
  - संरक्षण: वनों और अन्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण तथा उनकी बहाली में तेज़ी लाना।
  - सतत् विकास: अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर व्यापार तथा विकास नीतियों को सुगम बनाना, जो सतत् विकास एवं टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन व खपत को बढ़ावा देते हैं।
  - लचीलेपन का निर्माण: स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने सहित भेद्यता को कम करना, लचीलापन और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि करना।
  - स्वदेशी अधिकारों को मान्यता देना: स्वदेशी अधिकारों को मान्यता देते हुए लाभदायक, टिकाऊ कृषि का विकास और वनों के मूल्यों की मान्यता।
  - वित्तीय प्रतिबद्धताएँ: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबद्धताओं की पुष्टि और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक व निजी स्रोतों से वित्त एवं निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- भारत का पक्ष:
  - भारत, अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका ही ऐसे G20 देश हैं जिन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किये।
  - यह घोषणा व्यापार को जलवायु परिवर्तन और वन मुद्दों से जोड़ती है। व्यापार विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है और इसे जलवायु परिवर्तन घोषणाओं के तहत नहीं लाया जाना चाहिये।

- भारत और अन्य लोगों ने "व्यापार" शब्द को हटाने के लिये कहा था, लेकिन मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिये उन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किये।
  - भारत में वनों की कटाई का मुद्दा अहम है। सरकार ने बार-बार कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में वृक्षों का आवरण और वन आवरण बढ़ा है।
  - हालाँकि पर्यावरणविदों द्वारा लंबे समय से कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार पर्यावरण संरक्षण को खनन और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर वरीयता दे रही है जो जंगलों, वन्यजीवों और इनके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को हमेशा के लिये बदल देगी।

तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, रोडकिल यानि सड़क पर वाहनों द्वारा होने वाली मौतों के कारण उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा 83% बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:
  - यदि रोडकिल का वर्तमान स्तर ऐसे ही बना रहता है तो आगामी 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे चार जानवरों की आबादी में से उत्तर भारत में पाई जाने वाली तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक सुभेद्य होगी अर्थात् इन पर विलुप्ति का खतरा सबसे अधिक होगा।
    - सुभेद्य की स्थिति में तेंदुए के बाद क्रमश: मैंड भेड़िया (Maned Wolf) और लिटिल स्पॉटेड कैट (दोनों ब्राज़ील से) और दक्षिणी अफ्रीका के भूरे रंग के लकड़बग्घे का स्थान आता है।
  - 83% बढ़े हुए जोखिम के आधार पर, अध्ययन में उत्तर भारतीय तेंदुए की आबादी के 33 वर्षों में विलुप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
  - अत्यधिक असुरक्षित पाए गए अन्य जानवरों में दक्षिण भारत के लायन टेल मकाक (मकाका सिलेनस) और स्लॉथ बीयर (मेलुरस उर्सिनस) भी शामिल हैं।
  - यह अध्ययन उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर उन क्षेत्रों के रूप में ध्यान आकर्षित करता है जहाँ भविष्य में सडकों के विकास और सड़क शमन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे स्तनधारी जीवों की जैवविविधता को नुक्सान पहुँच सकता है।
- तेंदुआ:
  - वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा पार्डस
  - परिचय:
    - तेंदुआ, बिग कैट्स में सबसे छोटा है (पैंथेरा जीनस से संबंधित, अन्य नामों में टाइगर, शेर, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ आदि शामिल हैं) तथा विभिन्न प्रकार के आवासों में अपनी अनुकूलन क्षमता के लिये जाना जाता है।
    - तेंदुआ रात में शिकार करता है।
    - यह भोजन हेतु अपनी सीमा में पाए जाने वाले शाकाहारी जीवों की छोटी प्रजातियों जैसे कि चीतल, हॉग हिरण और जंगली सूअर का शिकार करता है।
    - तेंदुओं में मेलानिज़्म एक सामान्य घटना है, जिसमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें उसके धब्बे भी शामिल होते हैं।
    - एक मेलेनिस्टिक तेंदुए को अक्सर ब्लैक पैंथर या जगुआर कहा जाता है तथा भ्रांतिवश इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता है।

- अधिवास:
  - यह उप-सहारा अफ्रीका, पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हिस्सों, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वी एशिया में एक विस्तृत शृंखला में पाया जाता है।
  - भारतीय तेंदुआ (Panthera pardus fusca) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है।
- भारत में आबादी:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट 'भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2018' के अनुसार, "वर्ष 2014 के अनुमानों से भारत में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है।"
  - वर्ष 2014 के अनुमानों के अनुसार, भारत में तेंदुओं की आबादी लगभग 8,000 थी जो अब बढ़कर 12,852 हो गई है।
    - तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी का अनुमान मध्य प्रदेश (3,421) में लगाया गया है, इसके बाद कर्नाटक (1,783) और महाराष्ट्र (1,690) का स्थान है।
- खतरा:
  - खाल और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिये अवैध शिकार।
  - आवास क्षति और विखंडन
  - मानव-तेंदुआ संघर्ष
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
  - CITES: परिशिष्ट-I
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

कमेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के सीमा के निकट 3.4 तीव्रता के भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश की कामेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो गई है।

- इस क्षेत्र को भूकंपीय ज़ोन V में रखा गया है, इसका अभिप्राय है कि यह भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह भूकंप नदी के स्रोत के आस-पास के क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 6,300 मीटर की ऊँचाई पर आया।
  - भूस्खलन के कारण कई टन कीचड़ और चट्टानों का नदी में समावेश हुआ, जिससे जल का प्रवाह काफी हद तक कम हो गया।
  - बहुत अधिक मलबों के कारण नदी नदी का रंग काला हो गया परिणामत: ऑक्सीजन की कम घुलित मात्रा के चलते मछलियाँ मृत पाई गईं।
  - कम घुलित ऑक्सीजन सांद्रता प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से उत्पन्न हो सकती है जिसमें मौसमी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन और जल स्तर में खारापन/लवणता और ऊष्मीय स्तरीकरण दोनों शामिल हैं।
  - कम घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी इस प्रणाली में ऑक्सीजन की अत्यधिक मांग का संकेत दे सकता है।
- कामेंग नदी:
  - यह तवांग ज़िले में भारत-तिब्बत सीमा पर बर्फ से ढकी गोरी चेन पर्वत (Gori Chen Mountain) के नीचे हिमनद झील से निकलती है।
  - कामेंग एक सीमा पारीय (Transboundary) नदी नहीं है।

नोट :

- यह पश्चिम कामेंग ज़िले के भालुकपोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर ज़िले से होकर बहती है।
- अपने निचले बहाव क्षेत्र में यह एक गुंफित (Braided) नदी बन जाती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
- यह असम के कोलिया भोमोरा सेतु पुल के पूर्व में स्थित तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।
- यह पूर्वी कामेंग ज़िले और पश्चिम कामेंग ज़िलों के बीच की सीमा का निर्माण करती है।
- यह अपने पश्चिम (अरुणाचल प्रदेश) में सेसा और ईगलनेस्ट अभयारण्यों और पूर्व में पक्के बाघ अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश) के बीच सीमा का निर्धारण करती है।
- डफला पहाड़ियाँ पूर्व में हैं और आका पहाड़ियाँ कामेंग नदी के पश्चिम में स्थित हैं।
- सहायक नदियाँ: टिप्पी, टेंगा, बिचोम और दिरांग चु।
- ऐतिहासिक महत्त्व:
  - मध्ययुगीन काल के दौरान यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, इसने चुटिया (Chutiya) साम्राज्य और कामता साम्राज्य के बीच की सीमाओं को चिह्नित किया।
  - बाद में, 16वीं शताब्दी में अहोमों द्वारा चुटिया साम्राज्य के विलय और कामता साम्राज्य के पतन के बाद, इसने अहोम साम्राज्य और बरो-भुयान शासन के बीच सीमांकन की भूमिका निभाई।
  - चुटिया साम्राज्य (सादिया भी) एक मध्यकालीन राज्य था जो वर्तमान असम और अरुणाचल प्रदेश के आस-पास के क्षेत्रों में सादिया के चारों ओर विकसित हुआ था।
  - कामता साम्राज्य का उद्भव पश्चिमी कामरूप में हुआ, ऐसा माना जाता है कि जब कामरूपनगर के शासक संध्या ने 1257 ई. के बाद कुछ समय के लिये अपनी राजधानी को पश्चिम में कामतापुर स्थानांतरित कर दिया।
  - कामरूप एक प्राचीन राज्य है जो सामान्यत: अब असम राज्य के अंतर्गत है।
  - सुकफा (Sukapha) 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया था।
  - बरो-भुइयाँ (Baro-Bhuyans) असम और बंगाल में मध्य युग के अंत में तथा प्रारंभिक आधुनिक काल में सैनिक-ज़मींदारों के संघों को संदर्भित करता है।

सामूहिक विलुप्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अंतराष्ट्रीय पत्रिका 'नेचर जियोसाइंस' में प्रकाशित एक पेपर ने पहले सामूहिक विलुप्ति के पीछे एक नया कारण बताया है, जिसे 'लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन' के रूप में भी जाना जाता है।

- यह बताता है कि ठंडी जलवायु ने संभवत: महासागर परिसंचरण पैटर्न को बदल दिया। इसने उथले समुद्रों से गहरे महासागरों में ऑक्सीजन युक्त पानी के प्रवाह में व्यवधान पैदा किया, जिससे समुद्री जीवों का बड़े पैमाने पर विलोपन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- सामूहिक विलुप्ति:
  - बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना तब होती है जब प्रजातियाँ प्रतिस्थापित होने की तुलना में बहुत तेज़ी से विलुप्त होती हैं।
  - इसे आमतौर पर दुनिया की लगभग 75% प्रजातियों के कम भूवैज्ञानिक समय में विलुप्त होने के रूप में परिभाषित किया जाता है- लगभग 2.8 मिलियन वर्ष से कम समय में।
- बड़े पैमाने पर सामूहिक विलुप्ति की घटनाएँ:
  - पहली सामूहिक विलुप्ति: लगभग 445 मिलियन वर्ष पहले हुए 'ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन' ने सभी प्रजातियों में से लगभग 85% को विलुप्त कर दिया।

  - दूसरी सामूहिक विलुप्ति: 'डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन' (लगभग 375 मिलियन वर्ष पूर्व) ने दुनिया की लगभग 75% प्रजातियों का विनाश कर दिया।
  - तीसरी सामूहिक विलुप्ति: पर्मियन सामूहिक विलुप्ति (लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व) जिसे 'ग्रेट डाइंग' के रूप में भी जाना जाता है, सभी प्रजातियों के 95% से अधिक विलुप्त होने का कारण बना।
  - चौथी सामूहिक विलुप्ति: 'ट्राइसिक मास एक्सटिंक्शन' (लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व) ने कुछ डायनासोर सहित पृथ्वी की लगभग 80% प्रजातियों को समाप्त कर दिया।
  - पाँचवीं सामूहिक विलुप्ति: यह 'क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन' (लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व) गैर-एवियन डायनासोर की विलुप्ति के लिये जाना जाता है।
- नवीनतम निष्कर्षों के बारे में:
  - नई व्याख्या: प्रत्येक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के पीछे कई सिद्धांत हैं और नई प्रौद्योगिकियों में प्रगति के साथ शोधकर्त्ता इन घटनाओं के बारे में अधिक जटिल विवरणों को उजागर कर रहे हैं।
  - पारंपरिक विचार: दशकों से प्रचलित विचारधारा यह थी कि ज्वालामुखी-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस प्रकार समुद्री आवासन की क्षमता प्रभावित होती है एवं यह संभावित रूप से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर देती है।
  - न्यू स्कूल ऑफ थॉट: हाल के वर्षों में बढ़ते साक्ष्य पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसे प्रकरणों की ओर इशारा करते हैं जब ठंडी जलवायु में ऑक्सीजन का स्तर गिर गया था।
    - उस अवधि के दौरान ऑर्डोविशियन जलवायु और समुद्री जैव-रासायनिक चक्रों के कारण उत्पन्न वैश्विक शीतलन के प्रत्युत्तर में 'समुद्री तल और उपरि-महासागरीय ऑक्सीकरण' की घटना घटित हुई।
    - इससे समुद्र के संचलन को प्रभावित करने वाली 'डीप सी एनोक्सिया' की घटना घटित हुई।
    - इस प्रकार इस पेपर में निष्कर्ष निकाला गया है कि जलवायु शीतलन ने पोषक चक्रण में परिवर्तन किया होगा एवं प्राथमिक उत्पादक समुदायों ने अंततः 'लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन' को प्रेरित किया होगा।
- मौजूदा छठा 'मास एक्सटिंक्शन' और उसके प्रभाव:
  - छठा 'मास एक्सटिंक्शन':
    - कुछ शोधकर्ताओं ने इंगित किया है कि वर्तमान में हम मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप छठे 'मास एक्सटिंक्शन' का सामना कर रहे हैं।
    - वर्तमान में सभी प्रजातियों में से केवल अनुमानित 2% जीवित हैं, लेकिन प्रजातियों की पूर्ण संख्या पहले से कहीं अधिक है।
    - इसे सर्वाधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि प्रजातियों का यह नुकसान स्थायी होगा।
    - प्रजातियों का नुकसान तब हो रहा है जब मानव पूर्वजों ने 11,000 वर्ष पूर्व कृषि विकसित की थी। तब से मानव आबादी लगभग 1 मिलियन से बढ़कर 7.7 बिलियन हो गई है।
  - संभावित प्रभाव:
    - प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रभाव फसल पॉलिनेशन और जल शोधन में नुकसान के रूप में पड़ता है।
    - इसके अलावा यदि किसी प्रजाति का एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट कार्य है, तो नुकसान खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करके अन्य प्रजातियों के लिये गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।
    - विलुप्त होने के प्रभावों से आनुवंशिक और सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता के बिगड़ने की आशंका है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगी।
    - जब आनुवंशिक परिवर्तनशीलता और लचीलापन कम हो जाता है, तो मानव कल्याण में इसका योगदान समाप्त हो सकता है।

ग्लोबल रेज़िलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दस संगठनों के एक वैश्विक गठबंधन ने 'ग्लोबल रेज़िलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव' (GRII) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल रेज़िलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव:
  - इसे 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-26' के 'एडॉप्शन डे' (8 नवंबर 2021) के अवसर पर लॉन्च किया गया था, यह दुनिया का पहला क्यूरेटेड, ओपन-सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा।
  - इसे जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन का आकलन करने हेतु एक सार्वभौमिक मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया है।
  - यह उभरते और विकासशील देशों में आबादी को सूचित करने और उनकी रक्षा करने के लिये जलवायु एवं प्राकृतिक खतरों के जोखिमों से संबंधित डेटा प्रदान करेगा, जो जलवायु के प्रति लचीले विकास पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक निवेश को जुटाने हेतु एक आधार प्रदान करेगा।
  - इसका उपयोग सभी आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों में समग्र जोखिम प्रबंधन में किया जा सकता है।
- उद्देश्य: यह दो तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है।
  - पहला, बीमा जोखिम मॉडलिंग सिद्धांतों का उपयोग करके वैश्विक जोखिम डेटा प्रदान करना।
  - दूसरा, निम्नलिखित साझा मानकों और उपयोगों के लिये सुविधाएँ प्रदान करना:
    - कॉर्पोरेट जलवायु जोखिम प्रकटीकरण।
    - राष्ट्रीय अनुकूलन योजना और रिपोर्टिंग।
    - पूर्व-व्यवस्थित मानवीय वित्त की योजना।
- भागीदार और समर्थक: 'ग्लोबल रेज़िलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव' को बीमा क्षेत्र और भागीदार संस्थानों से आंशिक वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया है। अन्य भागीदार संस्थानों में शामिल हैं:
  - आपदा रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (CDRI)
  - जलवायु लचीला निवेश हेतु गठबंधन (CCRI)
- आवश्यकता:
  - वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। वर्ष 1970 के बाद से, जलवायु संबंधी आपदाओं में 2 मिलियन से अधिक लोग मारे गए हैं।
  - लगभग सभी देशों ने हाल के वर्षों में किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन के कठोर प्रभाव को महसूस किया है।
    - जलवायु व्यवधान के प्रति रेज़िलिएंस सिस्टम और अर्थव्यवस्थाएँ लाखों लोगों की जान और आजीविका बचा सकती हैं।
- महत्त्व
  - इस जोखिम विश्लेषण के परिणाम बीमा सुरक्षा अंतराल को पाटने में मदद करेंगे और जहाँ उन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है वहाँ प्रत्यक्ष निवेश और सहायता प्रदान करेंगे।
  - यह वैश्विक आर्थिक क्षेत्रों को जलवायु लचीलेपन के निर्माण के मूल्य और कुछ न करने की लागत को समझने में मदद करेगा, साथ ही यह जलवायु संकट में योगदान देने वाले आपातकाल को संबोधित करेगा।
  - यह परिसंपत्ति मालिकों को खतरों और आपदा की स्थिति में पोर्टफोलियो जोखिमों की तुलना करने में सक्षम करेगा, साथ ही देशों को राष्ट्रीय अनुकूलन निवेश को प्राथमिकता देने में मदद करेगा।

जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों का पर्याक्रमण

चर्चा में क्यों?

रेगिस्तानी टिड्डियों (Desert Locusts) का पर्याक्रमण (Infestation) या हमला, जिसने हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका से लेकर भारत तक बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जलवायु परिवर्तन से निकटता से जुड़ा हुआ है।

- इस संदर्भ में ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस (Global Landscapes Forum Climate Hybrid Conference) द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन को कम करने की योजनाओं में कीटों और बीमारियों के खिलाफ कार्रवाई को शामिल किये जाने की बात भी कही गई है।
- यह सम्मेलन हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के साथ आयोजित किया गया था।

वैश्विक परिदृश्य फोरम:

- वैश्विक परिदृश्य फोरम (Global Landscapes Forum- GLF) भूमि के एकीकृत उपयोग हेतु विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित मंच है, जो सतत् विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के प्रति समर्पित है।
- इसका नेतृत्व सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च (Center for International Forestry Research- CIFOR) द्वारा इसके सह-संस्थापक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक तथा चार्टर सदस्यों के सहयोग से किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- टिड्डियों का हमला और उसका प्रभाव:
  - रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में: रेगिस्तानी टिड्डी (शिस्टोसेर्का ग्रेगेरिया) एक छोटे सींग वाली टिड्डी होती है।
    - जब ये एकांत में होती हैं तो कोई नुकसान नहीं करती लेकिन जिस समय टिड्डियों की आबादी तेज़ी से बढ़ती है तो इनके व्यवहार में बदलाव आता है।
    - ये विशाल झुंड बनाकर 'ग्रेगियस फेज़' (Gregarious Phase) में प्रवेश करती हैं, जो प्रतिदिन 150 किमी. तक की यात्रा कर सकती हैं और अपने रास्ते में आने वाली फसल को खा जाती हैं।
  - प्रभाव: टिड्डियों का पर्याक्रमण आजीविका को नुकसान पहुँचा सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय निवेश के लिये खतरनाक साबित हो सकता है।
    - विश्व बैंक के अनुसार: वर्ष 2020 में अकेले पूर्वी अफ्रीका और यमन में टिड्डियों के कारण 8.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
    - विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार: यदि झुंड की वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो दीर्घकालिक प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति लागत 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है।
- टिड्डियों का प्रजनन और जलवायु परिवर्तन से संबंध:
  - प्रभावित क्षेत्र: टिड्डियाँ खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और ईरान समेत कई देशों के किसानों के लिये एक अभिशाप साबित हुई हैं।
  - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: वर्ष 2020 में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती पैटर्न में बदलाव का कारण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण एशिया में टिड्डियों का पर्याक्रमण है।
    - ईरान में असामान्य वर्षा ने उनके प्रजनन में मदद की है।
    - टिड्डियों को निष्क्रिय उड़ने वाले के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर ये हवा का अनुसरण करती हैं।
    - इन्हें उड़ान भरने के लिये पछुआ हवाओं से सहायता मिली है, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान (2019) के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र से और अधिक मज़बूत हुई है।
- कीटनाशक उपयुक्त समाधान नहीं है:
  - व्यापक स्पेक्ट्रम वाले कीटनाशकों के भारी उपयोग से रेगिस्तानी टिड्डियों के आक्रमण को अवरुद्ध तो किया जा सकता है परंतु ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं।

- कीटनाशक परागणकों और वन्यजीवों के लिये खतरा हैं।
- व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक एक शक्तिशाली कीटनाशक है जो जीवों के पूरे समूह या प्रजातियों को लक्षित करता है और आमतौर पर पौधों के लिये हानिकारक होते हैं।

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, मार्च 2021 तक पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिये 1.8 मिलियन लीटर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। यह वर्ष 2021 के अंत तक बढ़कर दो मिलियन लीटर से अधिक हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये मैलाथियान (Malathion) और क्लोरपाइरीफोस Chlorpyrifos) जैसे ऑर्गनोफॉस्फेट पेस्टीसाइड (Organophosphate Pesticides) या कीटनाशक मनुष्यों एवं जानवरों के लिये अत्यधिक ज़हरीले होते हैं।

आगे की राह:

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: उपग्रह और मौसम डेटा का क्षेत्र अवलोकन के साथ प्रजनन स्थलों पर कुशल शासन मॉडल बनाने के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- सही लागत लेखांकन: सही लागत लेखांकन के माध्यम से पर्यावरण और मानवीय लागतों की गणना करना।
  - सही लागत लेखांकन एक नए प्रकार की बहीखाता पद्धति है जो न केवल किसी कंपनी के भीतर सामान्य वित्तीय मूल्यों को देखती है, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक पूंजी पर प्रभावों की गणना भी करती है।
- एक कुशल नियंत्रित मॉडल विकसित करना: टिड्डियों के हमले पर नियंत्रण पाना कृषि-खाद्य प्रणाली के लिये उपयोगी साबित हो सकता है।
  - किसानों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें निर्णय लेने में शामिल करने की आवश्यकता है।
- अनुसंधान के लिये धन जुटाना: जैव कीटनाशकों के अनुसंधान के लिये निधि प्रदान करना आवश्यक है जो कि वर्तमान में बेहद कम है।
  - टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिये ज़िम्मेदार संगठनों को गंभीर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - फरवरी 2020 में पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिये FAO को $138 मिलियन की आवश्यकता थी। संगठन को दानदाताओं से केवल $33 मिलियन प्राप्त हुए।

नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी (NIRA) के गठन पर विचार कर रही है।

- NIRA को देश में नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं की योजना, अन्वेषण, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिये एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में जाना जाएगाI

प्रमुख बिंदु

- NIRA नदियों को जोड़ने वाली सभी परियोजनाओं के लिये एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- यह मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) का स्थान लेगा।
- यह पड़ोसी देशों और संबंधित राज्यों एवं विभागों के साथ समन्वय करेगा तथा नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं और उनके विधिक पहलुओं के तहत पर्यावरण, वन्यजीव एवं वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर भी अधिकार रखेगा।
- NIRA के पास धन सृजित करने और उधार ली गई धनराशि या जमा पर प्राप्त धन या ब्याज पर दिये गए ऋण की रिकवरी के रूप में कार्य करने की शक्ति होगी।
- इसके पास व्यक्तिगत/एकल लिंक परियोजनाओं के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) स्थापित करने की शक्ति भी होगी।

नदी जोड़ो परियोजना:

- उत्पत्ति: यह विचार पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान रखा गया था, जब एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन (Sir Arthur Thomas Cotton) ने नौवहन उद्देश्यों के लिये गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था।
- उद्देश्य: नदी जोड़ो परियोजना (ILR) का उद्देश्य देश की 'जल अधिशेष' वाली नदी घाटियों (जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है) से जल की 'कमी' वाली नदी घाटियों (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति रहती है) को जोड़ना है ताकि अधिशेष क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को कम क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।
- इन परियोजनाओं की आवश्यकता:
  - क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना: भारत मानसून की वर्षा पर निर्भर है जो अनियमित होने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलित भी है। नदियों को आपस में जोड़ने से अतिरिक्त वर्षा और समुद्र में नदी के जल प्रवाह की मात्रा में कमी आएगी।
  - कृषि की सिंचाई: इंटरलिंकिंग द्वारा अतिरिक्त जल को न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके न्यून वर्षा आधारित भारतीय कृषि क्षेत्रों में सिंचाई संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
  - जल संकट को कम करना: यह सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है।
  - अन्य लाभ: इससे जल-विद्युत उत्पादन, वर्ष भर नौवहन, रोज़गार सृजन जैसे लाभों के साथ ही सूखे जंगल और भूमि क्षेत्रों में पारिस्थितिक गिरावट की भरपाई की जा सकेगी।
- संबंधित चुनौतियाँ:
  - पर्यावरणीय लागत: परियोजना से नदियों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है।
    - प्रस्तावित बाँध हिमालय के जंगलों को खतरे में डाल सकते हैं और मानसून प्रणाली के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन: इंटरलिंकिंग सिस्टम में यह माना जाता है कि डोनर बेसिन में अधिशेष जल प्राप्त होता है जिसे प्राप्तकर्ता बेसिन को उपलब्ध कराया जा सकता है।
    - यदि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी प्रणाली की मूल स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी अवधारणा निरर्थक हो जाती है।
  - आर्थिक लागत: अनुमान है कि नदियों को आपस में जोड़ने से सरकार पर व्यापक वित्तीय बोझ पड़ेगा।
  - सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15000 किमी. तक फैले नहरों के नेटवर्क से लगभग 5.5 मिलियन लोग विस्थापित होंगे, इनमें ज़्यादातर आदिवासी और किसान वर्ग अधिक प्रभावित होंगे।

  नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)

आगे की राह

- नदियों को आपस में जोड़ने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए इस परियोजना को केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक बेहतर निर्णय नहीं हो सकता है।
- इसके अलावा नदियों को आपस में जोड़ने का काम विकेंद्रीकृत तरीके से किया जा सकता है तथा बाढ़ और सूखे को कम करने हेतु वर्षा जल संचयन जैसे अधिक टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। उदाहरणत: केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

लियोनिड उल्का बौछार

चर्चा में क्यों ?

वार्षिक लियोनिड्स उल्का बौछार (Leonids Meteor Shower) की शुरूआत हो गई है और 6 से 30 नवंबर के मध्य यह सक्रिय रहेगी तथा 17 नवंबर को इसकी चरम अवस्था की संभावना व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्का: यह एक अंतरिक्षीय चट्टान या उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है।
  - उल्कापिंड अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तुएँ हैं जिनका आकार धूल के कण से लेकर एक छोटे क्षुद्रग्रहों के बराबर होता है।
    - इनका निर्माण अन्य बड़े निकायों, जैसे- धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, ग्रह एवं उपग्रह से टूटने या विस्फोट के कारण होता हैं।
  - जब उल्कापिंड तेज़ गति से पृथ्वी के वायुमंडल (या किसी अन्य ग्रह, जैसे- मंगल) में प्रवेश करते हैं तो इनमें तीव्र ज्वाला उत्पन्न होती है, इसलिये इन्हें टूटा हुआ तारा (shooting Stars) कहा जाता है।
    - फायर बॉल्स (Fireballs) में तीव्र विस्फोट के साथ प्रकाश एवं रंग उत्सर्जित होता है जो उल्का की रेखा/पूंछ की तुलना में देर तक दिखता है, क्योंकि फायर बॉल्स का निर्माण उल्का के बड़े कणों से मिलकर होता है।
  - जब कोई उल्कापिंड वायुमंडल को पार करते हुए ज़मीन से टकराता है, तो उसे 'उल्कापिंड' (Meteorite) कहा जाता है।
- उल्का बौछार:
  - जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुँचते हैं या गिरते हैं तो इसे उल्का बौछार (Meteor Shower) कहा जाता है।
    - पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत, धूमकेतु की कक्षाएँ सामान्यत: एकांगी (lopsided) होती हैं।
    - जैसे-जैसे धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, उसकी बर्फीली सतह गर्म होकर धूल एवं चट्टानों (उल्कापिंड) के बहुत सारे कणों को मुक्त करती है।
    - यह धूमकेतु का मलबा धूमकेतु के मार्ग के साथ बिखर जाता है विशेष रूप से आंतरिक सौर मंडल (जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं) में।
    - फिर, प्रत्येक वर्ष कई बार जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा करती है, तो इसकी कक्षा एक धूमकेतु की कक्षा को पार करती है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी धूमकेतु के मलबे के एक समूह का सामना करती है।
  - उल्का पिंडों का नाम उस नक्षत्र के नाम पर रखा गया है जहाँ उल्का पिंड आते हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये, ओरियोनिड्स उल्का बौछार (Orionids Meteor Shower), जो प्रत्येक वर्ष में होती है तथा 'ओरियन द हंटर' (Orion the Hunter) नक्षत्र के निकट उत्पन्न होती है।
- लियोनिड बौछार:
  - इस उल्का बौछार का निर्माण करने वाला मलबा लियो नक्षत्र में 55P/टेम्पेल-टटल (55P/Tempel-Tuttle) नामक एक छोटे धूमकेतु से निकलता है, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में 33 वर्ष लगते हैं।
  - लियोनिड्स को एक प्रमुख बौछार माना जाता है जिसमें सबसे तीव्र गति वाली उल्काएँ होती हैं।
  - लियोनिड्स को फायर बॉल्स (Fireballs) और 'अर्थग्रेज़र' (Earthgrazer) उल्का भी कहा जाता है।
    - फायर बॉल्स का निर्माण उनके चमकीले रंगों और 'अर्थग्रेज़र' के कारण होता है क्योंकि वे क्षितिज के करीब रेखाएँ खींचते हैं।
  - लियोनिड की बौछार प्रत्येक 33 वर्षों में उल्कापिंड में बदल जाती है और जब ऐसा होता है तो प्रत्येक घंटे सैकड़ों से हजारों उल्काएँ देखी जा सकती हैं। अंतिम लियोनिड उल्का बौछार/तूफान वर्ष 2002 में आया था।
    - एक उल्का तूफान में प्रति घंटे कम-से-कम 1,000 उल्काएँ होने की संभावना रहती है।

नोट :

फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल विधानसभा में बाढ़ की पूर्व-तैयारी और प्रतिक्रिया पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई थी।

- यह रिपोर्ट वर्ष 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ की पृष्ठभूमि के विरुद्ध तैयार की गई थी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग प्रक्रिया के लिये एक मॉडल ड्राफ्ट बिल परिचालित किये जाने के 45 वर्षों बाद भी राज्य ने अब तक फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग कानून नहीं बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अवधारणा: फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग की मूल अवधारणा बाढ़ से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिये बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को नियंत्रित करना है।
  - विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण: इसका उद्देश्य विकासात्मक गतिविधियों के लिये स्थानों और क्षेत्रों की सीमा को इस तरह से निर्धारित करना है कि नुकसान कम-से-कम हो।
  - सीमाओं में वृद्धि : इसमें असुरक्षित और संरक्षित दोनों क्षेत्रों के विकास पर सीमाएँ निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है।
    - असंरक्षित क्षेत्रों में अंधाधुंध विकास को रोकने के लिये उन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी सीमाओं का निर्धारण करना।
    - संरक्षित क्षेत्रों में केवल ऐसी विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें सुरक्षात्मक उपाय विफल होने की स्थिति में भारी क्षति न हो।
  - उपयोगिता: ज़ोनिंग मौज़ूदा स्थितियों का समाधान नहीं कर सकती है, हालाँकि यह निश्चित रूप से नए विकास क्षेत्र में बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में मदद करेगी।
    - फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग न केवल नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के मामले में आवश्यक है, बल्कि यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी उपयोगी है।
- बाढ़ की संवेदनशीलता:
  - भारत के उच्च जोखिम और भेद्यता को इस तथ्य से आकलित किया गया है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।
  - बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है तथा लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है एवं इसके कारण फसलों व मकानों तथा जन-सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए है।
- फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग के लिये मॉडल ड्राफ्ट बिल:
  - परिचय: यह बिल/विधेयक बाढ़ क्षेत्र प्राधिकरण, सर्वेक्षण और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के परिसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधिसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर प्रतिबंध, मुआवज़े और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये इन बाधाओं को दूर करने के बारे में प्रविष्टि प्रदान करता है।
    - इसके तहत बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के निचले इलाकों के आवासों को पार्कों और खेल मैदानों में प्रतिस्थापित किया जाएगा क्योंकि उन क्षेत्रों में मानव बस्ती की अनुपस्थिति की वजह से जान-माल की हानि में कमी आएगी।
  - कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
    - संभावित विधायी प्रक्रिया के साथ-साथ बाढ़ के मैदान प्रबंधन हेतु विभिन्न पहलुओं का पालन करने के दृष्टिकोण में राज्यों की ओर से प्रतिरोध किया गया है।
    - राज्यों की अनिच्छा मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव और वैकल्पिक आजीविका प्रणालियों की कमी के कारण है।

- बाढ़ के मैदानों के नियमों को लागू करने और लागू करने के प्रति राज्यों की उदासीन प्रतिक्रिया ने बाढ़ क्षेत्रों के अतिक्रमण में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें कभी-कभी अधिकृत और नगर नियोजन अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित अतिक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं।

- संबंधित संवैधानिक प्रावधान और अन्य उपाय:
  - सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 17 के रूप में जल निकासी और तटबंधों/बाँधों को शामिल करने के आधार पर, "अंतर-राज्यीय नदियों एवं नदी के विनियमन और विकास" के मामले को छोड़कर, बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। 'घाटियों', का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 में किया गया है।
    - फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के किनारे की भूमि से संबंधित है और सूची II की प्रविष्टि 18 के तहत भूमि राज्य का विषय है।
    - केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने तथा दिशा-निर्देश के निर्धारण तक ही सीमित हो सकती है।
  - संविधान में शामिल सातवीं अनुसूची की तीन विधायी सूचियों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण और शमन (Flood Control and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है।
  - वर्ष 2008 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण "गैर-संरचनात्मक उपाय" के रूप में बाढ़ के मैदान क्षेत्र के लिये राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
    - इसने सुझाव दिया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण प्रभावित होने की संभावना है, उन क्षेत्रों को पार्कों, उद्यानों जैसे हरे क्षेत्रों के लिये आरक्षित किया जाना चाहिये तथा इन क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं (Concrete Structures) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
    - इसमें बाढ़ के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बात की गई जैसे- 25 साल की अवधि में बाढ़ की आवृत्ति वाले क्षेत्रों में राज्यों को उन क्षेत्र-विशिष्ट योजना बनाने के लिये कहा गया।

आगे की राह

- चूँकि बाढ़ से हर साल जान-माल की बड़ी क्षति होती है, इसलिये समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें जो बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु तटबंधों के निर्माण तथा ड्रेजिंग जैसे उपायों से बढ़कर हो।
- एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना (Integrated Basin Management Plan) की आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसिन साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी जोड़े।
- राज्य सरकार को फ्लड-प्लेन जोनिंग कानून के लिये मॉडल ड्राफ्ट बिल (Model Draft Bill) को लागू करना चाहिये।

सबसे पुराने महाद्वीपीय भूभाग का उदय

चर्चा में क्यों ?

एक हालिया अध्ययन में जानकारी दी गई है कि विश्व के सबसे पहले महाद्वीपीय भूभाग का निर्माण 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व ('महाद्वीपीय विस्थापन' सिद्धांत के अनुसार) नहीं, बल्कि 3.2 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था।

- यह अध्ययन भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया था।

'महाद्वीपीय विस्थापन' सिद्धांत:

- 'महाद्वीपीय विस्थापन' सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। यह पहली बार वर्ष 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- इस सिद्धांत के मुताबिक, मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड- 'पैंजिया' से जुड़े हुए थे और उनके चारों ओर एक विशाल महासागर- पैंथालसा मौजूद था।

- लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और क्रमश: उत्तरी एवं दक्षिणी घटकों का निर्माण करते हुए लारेशिया तथा गोंडवानालैंड के रूप में दो बड़े महाद्वीपीय भूभागों में टूट गया।
- इसके बाद लारेशिया और गोंडवानालैंड विभिन्न छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे जो क्रम आज भी जारी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस अध्ययन ने व्यापक रूप से स्वीकृत इस दृष्टिकोण को चुनौती देने का प्रयास किया है कि महाद्वीपों का निर्णय लगभग 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व महासागरों से हुआ था।
  - इस अध्ययन के मुताबिक, महाद्वीपीय भूभागों का निर्माण लगभग 700 मिलियन वर्ष यानी लगभग 3.2 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और इस अवधि के दौरान प्रारंभिक महाद्वीपीय भूभाग का निर्माण झारखंड के 'सिंहभूम' क्षेत्र में हुआ होगा।
    - हालाँकि प्रारंभिक महाद्वीपीय भूमि के हिस्से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी मौजूद हैं।
    - भूवैज्ञानिक समानताओं ने सिंहभूम क्रेटन को दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्रेटन से जोड़ा है।
- प्रमुख निष्कर्ष:
  - नदी चैनल, ज्वारीय मैदान और समुद्र तट:
    - वैज्ञानिकों ने माना कि जब पहली बार भूमि का निर्माण हुआ, तो यह 'सिंहभूम' के उत्तरी क्षेत्र की तलछटी चट्टानों के रूप में था। वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की तलछटी चट्टानें खोजी हैं, जिन्हें 'बलुआ पत्थर' (Sandstones) कहा जाता है।
    - वैज्ञानिकों ने यूरेनियम और छोटे खनिजों की लेड कंटेंट का विश्लेषण करके इनकी आयु का पता लगाया।
    - ये चट्टानें 3.1 बिलियन वर्ष पुरानी थीं और इनका निर्माण प्राचीन नदियों, समुद्र तटों और उथले समुद्रों में हुआ था।
    - ये सभी जल निकाय केवल महाद्वीपीय भूमि होने पर ही अस्तित्व मंष हो सकते थे। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया कि सिंहभूम क्षेत्र 3.1 बिलियन वर्ष पूर्व समुद्र के ऊपर था।
  - वृहत् ज्वालामुखी गतिविधियाँ:
    - शोधकर्त्ताओं ने 'सिंहभूम' क्षेत्र की महाद्वीपीय परत बनाने वाले ग्रेनाइटों का भी अध्ययन किया।
    - ये ग्रेनाइट 3.5 से 3.1 बिलियन वर्ष पुराने हैं और इनका निर्माण वृहत् ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से हुआ था तथा यह प्रक्रिया सैकड़ों-लाखों वर्षों तक जारी रही, जब तक कि 'मैग्मा' एक मोटी महाद्वीपीय परत बनाने के लिये ठोस नहीं हो गए।
    - मोटाई और कम घनत्व के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट आसपास के समुद्री क्रस्ट के ऊपर 'आधिक्य' (फ्लोट करने में सक्षम होने की गुणवत्ता) के कारण उभरा।
- जीवों का विकास:
  - महाद्वीपों के शुरुआती उद्भव ने प्रकाश संश्लेषक जीवों के प्रसार में योगदान दिया होगा, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया होगा।
  - क्रेटन के अपक्षय से पोषक तत्त्वों का अपवाह होता है , जिससे प्रारंभिक जीवन के लिये समुद्र को फॉस्फोरस और अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स की आपूर्ति हुई।
    - क्रेटन, महाद्वीप का एक स्थिर आंतरिक भाग है जो विशेष रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान से बना है।
- महत्त्व:
  - ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर बहस चल रही है, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वातावरण, महासागर और जलवायु किस प्रकार अस्तित्व में आए तथा किस प्रकार उन्होंने हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिये पृथ्वी के अंदर महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक बदलाव किये।
  - यह हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को इसके बाहरी भाग से जोड़ने की अनुमति देगा।
    - भारत में तीन अन्य प्राचीन महाद्वीपीय खंड- धारवाड़, बस्तर और बुंदेलखंड भी मौजूद हैं। उनके विकास को समझने के लिये इनका अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

इतिहास

पसुंपोन मुथुरामलिंगा थेवार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 114वीं थेवार जयंती (गुरु पूजा) पर पसुंपोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि दी।

- गुरु पूजा प्रत्येक वर्ष 30 अक्तूबर को पसुंपोन मुथुरामलिंगा थेवार की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- जन्म:
  - उनका जन्म 30 अक्तूबर, 1908 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले के पसुंपोन में हुआ था।
- परिचय:
  - वह एक स्वतंत्रता सेनानी-सह-आध्यात्मिक नेता थे। उन्हें मुकुलथोर समुदाय के बीच एक देवता के रूप में देखा जाता है, यह कल्लर, मरावर और अहंबादियार नामक समुदायों के समूह में से एक समुदाय है।
    - मुकुलथोर समुदाय के लोग अभी भी प्रसाद चढ़ाते हैं जैसा कि मंदिरों में देवताओं के लिये उनकी जयंती और गुरु पूजा समारोहों पर किया जाता है।
  - उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह 'वर्णाश्रम' का समर्थन करता था। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
    - उन्होंने खुले तौर पर धार्मिक अंधविश्वासों और संकीर्ण सोच की निंदा की।
- सुभाष चंद्र बोस के साथ संबंध:
  - समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी होने के नाते, उन्होंने वर्ष 1952 से अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
    - वह AIFB के राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्र के लिये तीन बार चुने गए।
- मंदिर प्रवेश आंदोलन:
  - मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1939 में सी. राजगोपालाचारी की सरकार द्वारा पारित किया गया था।
    - इसने दलितों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया।
  - उन्होंने इस सुधार का समर्थन किया और जुलाई 1939 में दलितों को मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश कराने वाले कार्यकर्ता ए. वैद्यनाथ अय्यर की मदद की।
- आपराधिक जनजाति अधिनियम:
  - 1920 में अंग्रेज़ों द्वारा मुकुलथोर समुदाय के खिलाफ अधिनियमित आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA), जिसके खिलाफ थेवार ने लोगों को लामबंद करके विरोध और प्रदर्शन शुरू किया, उनके व्यक्तित्व को उत्तम बनाने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ।
    - CTA ने इस समुदाय को आदतन अपराधियों के रूप में नामित करके इनका अपराधीकरण किया।
  - निरंतर प्रयासों के बाद वर्ष 1946 में अधिनियम को निरस्त कराने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
- मृत्यु:
  - 30 अक्तूबर, 1963 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया।

नोट :

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक:

- इसकी स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जो वर्ष 1939 में भारतीय कॉन्ग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा।
  - फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था और इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के लिये उग्रवादी कार्रवाई का आग्रह करते हुए 'भारतीय लोगों को सभी शक्ति' (All Power to the Indian People) शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया।
- फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कॉन्ग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्त्वों को एक साथ लाना था। ताकि यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अर्थ का प्रसार कर सके।
- 23 जून,1942 को इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि जब इसे अवैध घोषित किया गया, तब भी इसने लोगों के संघर्ष को सफलता और गौरव का ताज पहनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई।
  - भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्टी ने खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में पुर्नस्थापित किया।

अबुल कलाम आज़ाद: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day) के रूप में मनाया जाता है।

- वर्ष 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। शिक्षा के महत्त्व को उजागर करने के उद्देश्य से देश के शैक्षणिक संस्थान इस दिन सेमिनार, निबंध-लेखन, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- जन्म: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनका मूल नाम मुहियुद्दीन अहमद था, का जन्म 11 नवंबर, 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था।
  - आज़ाद एक शानदार वक्ता थे, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है- 'अबुल कलाम' का शाब्दिक अर्थ है 'संवादों का देवता' (Lord of Dialogues)।
- संक्षिप्त परिचय:
  - वे एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् थे।
- योगदान (स्वतंत्रता पूर्व):
  - ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
    - वर्ष 1912 में उन्होंने उर्दू में अल-हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसने मॉर्ले-मिंटो सुधारों (1909) के बाद दो समुदायों के बीच हुए मनमुटाव को समाप्त कर हिंदू-मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - वर्ष 1909 के सुधारों के तहत मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान का हिंदुओं द्वारा विरोध किया गया था।
    - सरकार ने अल-हिलाल पत्रिका को अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया।
    - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के समान मिशन के साथ अल-बालाग नामक एक और साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया।
    - वर्ष 1916 में ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से निष्कासित कर बिहार निर्वासित कर दिया गया, जहाँ से उन्हें वर्ष 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिहा कर दिया गया था।

- आज़ाद ने गांधीजी द्वारा शुरू किये गए असहयोग आंदोलन (1920-22) का समर्थन किया और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल हुए।
  - वर्ष 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।
- वर्ष 1930 में मौलाना आज़ाद को गांधीजी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने तथा नमक कानून का उल्लंघन करने के लिये गिरफ्तार किया गया था। उन्हें डेढ़ साल तक मेरठ जेल में रखा गया था।
- वे 1940 में फिर से कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक इस पद पर बने रहे।

- एक शिक्षाविद्:
  - शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद उदारवादी सर्वहितवाद/सार्वभौमिकता के प्रतिपादक थे, जो वास्तव में उदार मानवीय शिक्षा प्रणाली थी।
  - शिक्षा के संदर्भ में आज़ाद की विचारधारा पूर्वी और पश्चिमी अवधारणाओं के सम्मिलन पर केंद्रित थी जिससे पूरी तरह से एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जहाँ पूर्वी अवधारणा आध्यात्मिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित थी वहीं पश्चिमी अवधारणा ने सांसारिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रगति पर अधिक बल दिया।
  - वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिसे मूल रूप से वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत के अलीगढ़ में स्थापित किया गया था।
- उनकी रचनाएँ: बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबार-ए-खातिर, दर्श-ए-वफा, इंडिया विन्स फ्रीडम आदि।
- योगदान (स्वतंत्रता के पश्चात्):
  - वर्ष 1947 में वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और वर्ष 1958 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के उत्थान के लिये उल्लेखनीय कार्य किये।
    - शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देश में पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी।
  - विज्ञान संबंधी शिक्षा में प्रगति और विकास के लिये निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई:
    - वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)।
    - परमाणु विकास हेतु एक अलग संस्थान।
    - भारतीय कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद।
    - भारतीय आयुर्विज्ञान अुनसंधान परिषद।
    - भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद।
    - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद।
  - अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के परिचय हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR)।
  - निम्नलिखित तीन अकादमियों का गठन किया:
    - साहित्य के विकास के लिये साहित्य अकादमी।
    - भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिये संगीत नाटक अकादमी।
    - चित्रकला के विकास के लिये ललित कला अकादमी।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

सामाजिक न्याय

स्वास्थ्य बीमा: आवश्यकता और परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नीति आयोग' ने 'हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडिल' शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट भारतीय आबादी में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतराल को प्रस्तुत करती है और इस समस्या से निपटने के लिये समाधान प्रदान करती है।.

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व:
  - स्वास्थ्य बीमा भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'आउट-ऑफ पॉकेट' (OOP) व्यय को एकत्रित करने का एक तंत्र है।
  - स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से पूर्व-भुगतान, जोखिम-पूलिंग और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण होने वाले व्यापक व्यय से बचाव के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया है।
  - इसके अलावा प्री-पेड पूल फंड भी स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान की दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य बीमा: आवश्यकता और परिदृश्य:
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना: स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण कदम है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के भारत के प्रयास में मददगार होगा।
    - स्वास्थ्य पर कम सरकारी व्यय ने सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता को बाधित किया है।
    - यह अधिकांश व्यक्तियों- लगभग दो-तिहाई को महँगे निजी क्षेत्र में इलाज कराने को मज़बूर करता है।
  - अत्यधिक 'आउट-ऑफ पॉकेट' व्यय: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय, अत्यधिक 'आउट-ऑफ पॉकेट' व्यय और प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाओं हेतु वित्तीय सुरक्षा के अभाव जैसी विशेषताएँ मौजूद हैं।
  - 'मिसिंग मिडिल': रिपोर्ट के अनुसार, कम-से-कम 30% आबादी या 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा मौजूद नही है, ऐसे लोगों को इस रिपोर्ट में 'मिसिंग मिडिल' के रूप में संदर्भित किया गया है।
    - 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएँ, आबादी के निचले 50% हिस्से को अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यापक कवर प्रदान करती हैं।
    - लगभग 20% आबादी यानी 25 करोड़ व्यक्ति- सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कवर किये जाते हैं।
  - मौजूदा स्वास्थ्य बीमा 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी के लिये उपयुक्त नहीं:
    - निम्न लागत वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के अभाव में 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त नहीं हो पाता है।
    - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और AB-PMJAY सहित सरकारी सब्सिडी वाले बीमा जैसे किफायती अंशदायी उत्पादों को इस श्रेणी के लिये डिज़ाइन नहीं किया गया है।
- अनुशंसित बीमा मॉडल: रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिये तीन मॉडलों की सिफारिश की गई है:
  - व्यापक एवं विविध जोखिम पूल का निर्माण: निजी अंशदायी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की सफलता के लिये एक व्यापक एवं विविध जोखिम पूल के निर्माण की आवश्यकता होती है।
    - इसके लिये सरकार को सूचना शिक्षा अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के विषय में उपभोक्ता जागरूकता का निर्माण करना चाहिये।

- एक संशोधित, मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करना: स्वास्थ्य बीमा की लागत यानी प्रीमियम को कम करने की ज़रूरत है, जो 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी की सामर्थ्य के अनुरूप हो।
    - उदाहरण के लिये 'आरोग्य संजीवनी' को और अधिक किफायती एवं व्यापक बनाया जा सकता है।
    - आरोग्य संजीवनी 'भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण' (IRDAI) द्वारा अप्रैल 2020 में शुरू किया गया एक मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है।
- सरकारी सब्सिडी वाला स्वास्थ्य बीमा: इस मॉडल का उपयोग 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी के उन हिस्सों के लिये किया जा सकता है, जिन्हें उपरोक्त स्वैच्छिक अंशदायी मॉडल के लिये भुगतान करने की सीमित क्षमता के कारण कवर नहीं किया जा सका है।
    - मध्यम अवधि में एक बार जब PMJAY का आपूर्ति और उपयोग पक्ष मज़बूत हो जाता है, तो 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी में स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देने हेतु उसकी बुनियादी अवसंरचना का भी लाभ उठाया जा सकता है।
    - सरकार बीमाकर्त्ताओं की परिचालन एवं वितरण लागत को कम करने हेतु उपभोक्ता डेटा और बुनियादी अवसंरचना को सार्वजनिक कर सकती है।

आगे की राह

- एकीकृत दृष्टिकोण: उपरोक्त तीन मॉडलों का एक संयोजन, अलग-अलग समय पर चरणबद्ध तरीके से 'मिसिंग मिडिल' श्रेणी के लिये कवरेज सुनिश्चित कर सकता है।
- आउटरीच रणनीति: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसे सरकारी डेटाबेस को संबंधित लोगों से सहमति लेने के पश्चात् ही निजी बीमा कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है।
    - इससे आबादी के ज़रूरतमंद वर्ग तक बीमा उत्पादों की पहुँच में सुधार किया जा सकेगा।

नव तस्करी को रोकने के लिये प्रोटोकॉल: एससीओ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 19वीं बैठक (अभियोजक जनरल की) में मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने और उसका मुकाबला करने हेतु सहयोग को मजबूत करने के लिये एक प्रोटोकॉल को अपनाया।

- शंघाई सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष ताजिकिस्तान है।

SCO (शंघाई सहयोग संगठन):

- इसकी स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य,कज़ाखस्तान , ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- वर्तमान में इसमें भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान जैसे 9 सदस्य देश शामिल हैं।
    - भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक बनाया गया था।
    - भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने।
    - ईरान को वर्ष 2021 के SCO समिट में संगठन की सदस्यता प्रदान की गई थी।
- इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) SCO का एक स्थायी अंग है, जिसका मुख्यालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है।
- यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक वर्ष के लिये रोटेशन के आधार पर की जाती है।

प्रमुख बिंदु

- मानव तस्करी:
  - मानव तस्करी के तहत किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखना जैसे कृत्य आते हैं, इन तरीको में धमकी देना या अन्य प्रकार की जबरदस्ती भी शामिल है।
  - उत्पीडन में शारीरिक या यौन शोषण के अन्य रूप,बलात् श्रम या सेवाएँ,,दास बनाना या ज़बरन शारीर के अंग निकलना आदि शामिल हैं।
- प्रोटोकॉल के बारे में:
  - व्यक्तियों के अवैध व्यापार के खतरे से निपटने के लिये राष्ट्रीय कानूनों के आदान-प्रदान को जारी रखने का आह्वान।
  - तस्करी के पीड़ितों को उनकी पात्रता के दायरे में सुरक्षा और सहायता प्रदान करना।
  - उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के शैक्षिक संगठनों के बीच सहयोग विकसित करने का आह्वान, इनमें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी का मुकाबला करना शामिल है।
- भारत में प्रासंगिक कानून:
  - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम,1956 इस मुद्दे से निपटने के लिये प्रमुख कानून है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 (शोषण के खिलाफ अधिकार)।
  - आईपीसी में 25 धाराएँ, जैसे- 366A, 366B, 370 और 374।
  - किशोर न्याय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम तथा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम, बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम आदि।
- मानव तस्करी से निपटने के भारत के प्रयास:
  - जुलाई 2021 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी किया।
  - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (पलेर्मो कन्वेंशन) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है, जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है।
  - भारत ने वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने हेतु सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की है।
  - मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की गई थी।
  - न्यायिक संगोष्ठी: निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिये मानव तस्करी पर न्यायिक संगोष्ठी उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती है।
  - गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से 'व्यक्तियों की तस्करी' के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया को मज़बूत करने की एक व्यापक योजना के तहत देश के 270 ज़िलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना हेतु फंड जारी किया है।
  - उज्ज्वला योजना वर्ष 2007 में बच्चों और महिलाओं की तस्करी को समाप्त करने के लिये शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यौन शोषण के लिये तस्करी को रोकना, बचाव, पुनर्वास और उन्हें स्वदेश भेजना है।
  - "स्वाधार गृह योजना", "सखी", "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण" जैसी विभिन्न पहलें हिंसा से प्रभावित महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिये सहायक संस्थागत ढाँचे और तंत्र प्रदान करती हैं।

ग्रीवा कैंसर को कम करने वाली HPV वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नए शोध में पाया गया है कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन महिलाओं में ग्रीवा कैंसर के खतरे को काफी कम कर देती है।

नोट :

- यह परिणाम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि टीका 2000 के दशक में पेश किया गया था और यह तथ्य हाल ही में सामने आया है कि यह कैंसर के खिलाफ प्रभावी है।

प्रमुख बिंदु

- निष्कर्ष:
  - ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन ने यूके में उन महिलाओं में ग्रीवा कैंसर के मामलों को 87 फीसदी तक कम कर दिया, जिन्हें 12 या 13 साल की उम्र में वैक्सीन लगाई गई थी।
  - इसने उन महिलाओं में जोखिम को 34% कम कर दिया, जिनकी उम्र 16-18 वर्ष थी, जब उन्हें वैक्सीन की पेशकश की गई थी।
  - 11 वर्षों की अवधि में (2006 से) इस टीके ने लगभग 450 ग्रीवा कैंसर और लगभग 17,200 पूर्व कैंसर मामलों को रोक दिया।
- ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer):
  - यह एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय की ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है।
  - मानव पेपिलोमावायरस (HPV) के विभिन्न उपभेद अधिकांश ग्रीवा कैंसर की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - HPV के संपर्क में आने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर शरीर को वायरस प्रभावित करने से रोकती है। हालाँकि कुछ लोगों में वायरस वर्षों तक जीवित रहता है जिससे कुछ गर्भाशय ग्रीवा कोशिकाएँ कैंसर कोशिकाएँ बन जाती हैं।
  - HPV वैक्सीन (Cervarix) कैंसर पैदा करने वाले दो उपभेदों HPV 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है।
- ह्यूमन पेपिलोमावायरस:
  - मानव पेपिलोमावायरस (HPV) प्रजनन ट्रैक का सबसे आम वायरल संक्रमण है।
  - HPV के 100 से अधिक प्रकार हैं।
  - 40 से अधिक प्रकार के HPV सीधे यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं।
  - इन 40 में से दो जननांग कैंसर का कारण बनते हैं, जबकि लगभग एक दर्जन HPV गर्भाशय ग्रीवा, गुदा, ऑरोफरीन्जियल, पेनाइल, वुल्वर और योनि सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं।
- HPV टीकों के प्रकार:
  - क्वाडरिवेलेंट वैक्सीन (गार्डासिल): यह चार प्रकार के HPV (HPV 16, 18, 6 और 11) से बचाता है। बाद के दो उपभेद जननांग कैंसर का कारण बनते हैं।
  - द्विसंयोजक टीका (Cervarix): यह केवल HPV 16 और 18 से रक्षा करता है।
  - नॉन-वैलेंट वैक्सीन (गार्डासिल 9): यह HPV के नौ उपभेदों से बचाता है।
    - ये टीके ग्रीवा कैंसर से उन महिलाओं और लड़कियों का बचाव करते हैं जो अभी तक वायरस के संपर्क में नहीं आई हैं।
- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत में दुनिया के 16-17% सामान्य कैंसर और 27% ग्रीवा कैंसर के मामले पाए जाते हैं।
  - इसके अलावा भारत में ग्रीवा कैंसर के लगभग 77% मामलों का कारण HPV 16 और 18 हैं।
  - भारत में द्विसंयोजक और क्वाडरिवेलेंट HPV टीकों को वर्ष 2008 में लाइसेंस दिया गया था और गैर-वैलेंट वैक्सीन को वर्ष 2018 में लाइसेंस दिया गया था।
  - आधिकारिक तौर पर भारत में पुरुषों के लिये HPV वैक्सीन की सिफारिश नहीं की गई है।

कैंसर (Cancer)

- यह रोगों का एक बड़ा समूह है जो शरीर के लगभग किसी भी अंग या ऊतक में शुरू हो सकता है, जब असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो शरीर के आस-पास के हिस्सों पर आक्रमण करने और/या अन्य अंगों में फैलने के लिये अपनी सामान्य सीमाओं से परे जाती हैं। बाद की प्रक्रिया को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है तथा यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
- कैंसर के अन्य सामान्य नाम नियोप्लाज़्म और मैलिगनेंट ट्यूमर हैं।

- पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा तथा थायराइड कैंसर महिलाओं में सबसे आम हैं।
- विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (यूआईसीसी) द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है।

संबंधित भारतीय पहल:

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)।
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG)।

श्वसन प्रणाली पर पराली जलाने का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

पंजाब में किये गए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण ने स्थानीय स्तर पर फेफड़ों की कार्यक्षमता को काफी प्रभावित किया है और यह ग्रामीण पंजाब में महिलाओं के लिये विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ है।

- यह अध्ययन मुख्यत: दो चरणों में आयोजित किया गया था: पहला अक्तूबर 2018 में और दूसरा मार्च-अप्रैल 2019 में।

प्रमुख बिंदु

- उच्च PM2.5 स्तर:
  - दोनों चरणों के बीच 'PM2.5' (पार्टिकुलेट मैटर-2.5) की सांद्रता 100 ग्राम/घनमीटर से बढ़कर 250 ग्राम/घनमीटर अथवा दोगुनी से अधिक हो गई।
    - PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला)।
    - इसके कारण श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और दृश्यता में भी कमी होती है। यह एक अंत:स्रावी विघटनकर्त्ता है, जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार यह मधुमेह में योगदान देता है।
  - अध्ययन के दौरान इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 10-15 गुना अधिक पाया गया, हालाँकि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनुमेय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से अधिक हैं।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन: PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।
- प्रभाव:
  - सभी आयु समूहों (10-60 वर्ष) में सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते, आँखों में खुजली आदि सहित अधिकांश लक्षणों में दो से तीन गुना वृद्धि देखी गई।
    - सबसे अधिक श्वसन संबंधी शिकायतें बुजुर्ग आबादी (>40-60) द्वारा दर्ज की गई थीं।
  - PM2.5 सांद्रता में वृद्धि के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट दर्ज की गई।
    - पुरुषों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में 10-14% की गिरावट हुई और सभी आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 15-18% की गिरावट देखी गई।

पराली जलाना:

- परिचय:
  - पराली जलाना, अगली फसल बोने के लिये फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की क्रिया है।

- इसी क्रम में सर्दियों की फसल (रबी की फसल) की बोआई हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर की जाती है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बोआई में देरी होती है तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसलिये पराली को जलाना पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र तरीका है।
- पराली जलाने की यह प्रक्रिया अक्तूबर के आसपास शुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी है।

- पराली जलाने का प्रभाव:
  - प्रदूषण:
    - खुले में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में ज़हरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें मीथेन (CH_4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं।
    - वातावरण में छोड़े जाने के बाद ये प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुज़र सकते हैं तथा अंततः स्मॉग की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
  - मिट्टी की उर्वरता:
    - भूसी को ज़मीन पर जलाने से मिट्टी के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह कम उर्वरक हो जाती है।
  - गर्मी उत्पन्न होना:
    - पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी में प्रवेश करती है, जिससे नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है।
- पराली जलाने के विकल्प:
  - पराली का स्व-स्थाने (In-Situ) प्रबंधन: ज़ीरो-टिलर मशीनों और जैव-अपघटकों के उपयोग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन।
  - इसी प्रकार, बाह्य-स्थाने (Ex-Situ) प्रबंधन : जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग करना।
  - प्रौद्योगिकी का उपयोग- उदाहरण के लिये टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) मशीन, जो पराली को जड़ समेत उखाड़ फेंकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। इसके बाद पराली को खेत के लिये गीली घास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - फसल पैटर्न बदलना: यह गहरा और अधिक मौलिक समाधान है।
  - बायो एंजाइम-पूसा: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agriculture Research Institute) ने बायो एंजाइम-पूसा (bio enzyme-PUSA) के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है।
    - यह अगले फसल चक्र के लिये उर्वरक के खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है।
- अन्य कार्य योजना:
  - पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) ने कृषि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर निगरानी के लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।

आगे की राह

- पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिये जुर्माना लगाना भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज़ से बेहतर विकल्प नहीं है। हमें वैकल्पिक समाधानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- यद्यपि सरकार मशीनों का वितरण कर रही है, किंतु स्व-स्थानिक प्रबंधन के लिये सभी को मशीनें नहीं मिल पाती हैं। सरकार को उनकी उपलब्धता सभी के लिये सुनिश्चित करनी चाहिये।
- इसी तरह बाह्य-स्थाने (Ex-Situ) उपचार प्रबंधन में कुछ कंपनियों ने अपने उपयोग के लिये पराली इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, किंतु इस दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कहा है कि स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 राज्य में 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अधिनियम का परिचय:
  - इसके तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को 30,000 रुपए प्रतिमाह वाली सभी नौकरियों में से 75% राज्य के अधिवासी उम्मीदवारों के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता है।
    - राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी।
  - इस कदम का उद्देश्य आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं (ITes) जैसे क्षेत्रों में भी देश के अन्य हिस्सों से प्रतिभाओं के अंतर्वाह को रोकना है, जिनकी राज्य में पर्याप्त आपूर्ति नहीं है।
  - यह कानून 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू होगा।
  - राज्य सरकार ने निजी कंपनियों को काम पर रखने में कुछ लचीलापन प्रदान करने के लिये राज्य में एक वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निवास (अधिवास) की आवश्यकता को 15 से 5 वर्ष तक कम कर दिया।
  - इन सभी नियोक्ताओं के लिये श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या वेतन 30,000 रुपए से अधिक नहीं पाने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
  - इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
- चिंताएँ:
  - निवेशकों के पलायन में वृद्धि :
    - यह ऑटो, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के पलायन को गति प्रदान कर सकता है जो अत्यधिक कुशल जनशक्ति पर निर्भर हैं।
  - मौजूदा उद्योगों को प्रभावित करना:
    - राज्य के अन्य क्षेत्रों से राज्य में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही को रोकने एवं स्थायी निवासियों के मुद्दे को उठाने से राज्य में मौजूदा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
    - यह तकनीकी दिग्गजों और अन्य उद्योगों को अपना आधार हरियाणा से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने और राज्य के मौद्रिक संसाधनों को कम करने में भूमिका निभा सकता है।
  - अत्यधिक प्रतिभा की कमी का कारण:
    - इसके अलावा 'गिग एंड प्लेटफॉर्म' कंपनियों पर आरक्षण लागू करने से प्रतिभा की कमी हो सकती है।
  - संविधान के विरुद्ध:
    - भारत का संविधान कई प्रावधानों के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता और इसके परिणामस्वरूप भारत के भीतर रोज़गार की गारंटी देता है।
    - अनुच्छेद 14 जन्म स्थान की शर्त के बिना कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है।
    - अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार में जन्म स्थान आधारित भेदभाव की गारंटी नहीं देता है।
    - अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकें।
- ऐसे अन्य प्रयास:
  - गोवा में एक राजनीतिक दल ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिये 80% आरक्षण का वादा किया है और ऐसा ही वादा उत्तराखंड के संदर्भ में भी किया गया था।

- यह हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के नक्शेकदम पर चलता है जो पहले से ही समान लोकलुभावन नीतियों को लागू कर चुके हैं या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

- ऐसे कानूनों के पीछे कारण:
  - वोट बैंक की राजनीति: अंतर-'राज्यीय प्रवासी श्रमिक (ISMW) एक बड़ा "अंडर-यूज़्ड या अन-यूज़्ड" मतदाताओं का गठन करते हैं क्योंकि वे अक्सर मतदान के अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इन श्रमिकों और संभावित प्रवासियों को 'जॉब फॉर लोकल लेजिस्लेशन' (JRFL) के माध्यम से बनाए रखा जाता है और उन्हें नौकरी प्रदान की जाती है, तो पार्टियों के चुनावी हितों को पूरा किया जाएगा।
  - आर्थिक सुस्ती: देश में बेरोज़गारी का मुद्दा प्रासंगिक हो गया है क्योंकि सरकारी रोज़गार कम होने के कारण बेरोज़गारी बढ़ी है।
  - बढ़ी हुई आय और प्रतिभा: स्थानीय कानूनों के लिये नौकरी न केवल प्रतिभा को बनाए रखेगी बल्कि आय भी होगी जो अन्यथा 'अन्य क्षेत्रों' में जाएगी।
  - भूमि अधिग्रहण के लिये पूर्व शर्त: उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अपनी ज़मीन गँवाने वाले किसान और ग्रामीण ऐसी पूर्व-शर्त रखते हैं जिसमें उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होता है।

आगे की राह:

- हरियाणा सरकार को 30,000 रुपए प्रतिमाह की मूल वेतन सीमा को कंपनी की लागत के आधार पर 15,000 रुपए प्रतिमाह तक कम करने पर विचार करना चाहिये और राज्य में कौशल सुधार के प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिये। यदि कोई आरक्षण हो तो उसे 20-25% से शुरू होना चाहिये क्योंकि तकनीकी और विशेष कौशल प्रतिभा को राज्य के युवाओं के बीच विकसित करने में समय लगेगा।
- विभिन्न राज्य सरकारों के 'जॉब फॉर लोकल लेजिस्लेशन' (JRFL) के प्रयासों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना और युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण और उचित शिक्षा के साथ पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है, जिससे जनता को मुक्त बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को 'वन-साइज़-फिट-फॉर-ऑल' के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति विभिन्न तरह के खतरों का सामना करता है, जिसमें शारीरिक और भावनात्मक (प्यार, दुख व खुशी) दोनों शामिल हैं, जो कि मानव मन एवं भावनाओं की बहुआयामी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्तूबर को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- मानसिक स्वास्थ्य:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य का आशय ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को एहसास करता है, जीवन में सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक तरीके से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है।
  - शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात् बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता के दौरान महत्त्वपूर्ण होता है।
- चुनौतियाँ:
  - उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य भार: भारत के नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, पूरे देश में अनुमानत: 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है।

- ◆ संसाधनों का अभाव: भारत में प्रति 100,000 जनसंख्या पर मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या का अनुपात काफी कम है जिनमें मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्ता (0.07) शामिल हैं।
  - ■ स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 1 प्रतिशत से भी कम वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाता है जिसके चलते मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सार्वजनिक बाधा उत्पन्न हुई है।
- ◆ अन्य चुनौतियाँ: मानसिक बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूकता का अभाव, इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखना और विशेष रूप से बूढ़े एवं निराश्रित लोगों में मानसिक रोग के लक्षणों की अधिकता, रोगी के इलाज हेतु परिवार के सदस्यों में इच्छा शक्ति का अभाव इत्यादि के कारण सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - ■ इसके परिणामस्वरूप उपचार में एक बड़ा अंतर देखा गया है। उपचार में यह अंतर किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक बीमारी को और अधिक खराब स्थिति में पहुँचा देता है।
- ◆ पोस्ट-ट्रीटमेंट गैप: मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के बाद उनके उचित पुनर्वास की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है।
- ◆ गंभीरता में वृद्धि: आर्थिक मंदी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं, इसलिये आर्थिक संकट के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

- सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
  - ◆ संवैधानिक प्रावधान: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है।
  - ◆ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): मानसिक विकारों के भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को लागू कर रही है।
    - ■ वर्ष 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने हेतु इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुन: रणनीतिक रूप से तैयार किया गया, जिसमें राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों की मानसिक विकारों से संबंधित इकाइयों का उन्नयन करना शामिल था।
  - ◆ मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017: यह अधिनियम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
    - ■ अधिनयम ने आईपीसी की धारा 309 (Section 309 IPC) के उपयोग को काफी कम कर दिया है और केवल अपवाद की स्थिति में आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाया गया है।
  - ◆ किरण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की थी।

आगे की राह

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सरकार द्वारा सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन की मांग करती है।
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कलंक को कम करने के लिये हमें समुदाय/समाज को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के उपायों की आवश्यकता है।
- जब मानसिक बीमारी वाले रोगियों को सही देखभाल प्रदान करने की बात आती है, तो हमें रोगियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, हमें सेवाओं और कर्मचारियों की पहुँच को बढ़ाने के लिये नए मॉडल की आवश्यकता है।
  - ◆ ऐसा ही एक मॉडल- 'अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट' (आशा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- भारत को मानसिक स्वास्थ्य और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिये निरंतर धन की आवश्यकता है।
- स्वच्छ मानसिकता अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिये प्रेरित करना समय की मांग है।

पोषण स्मार्ट गाँव कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

पोषण अभियान को मज़बूत करने के लिये "पोषण स्मार्ट गाँव" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

- यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग होगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह पहल प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप 75 गाँवों को गोद लेने और उन्हें स्मार्ट गाँव में बदलने को संदर्भित करता है।
  - अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान (ICAR-CIWA) द्वारा कुल 75 गाँवों को गोद लिया जाएगा।
- उद्देश्य:
  - कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।
  - कुपोषण को दूर करने के लिये स्थानीय विधि के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना।
  - घरेलू कृषि एवं न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण-संवेदी कृषि को क्रियान्वित करना।
- पोषण अभियान:
  - परिचय:
    - 8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था।
    - अभियान का उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) तथा जन्म के समय कम वज़न को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है।
    - इसमें वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से कम कर 25% तक करने का भी लक्ष्य शामिल है।
  - पोषण 2.0:
    - हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया और सभी आकांक्षी ज़िलों से पोषण माह (1 सितंबर, 2021 से) के दौरान एक पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) स्थापित करने का आग्रह किया।
- भारत में कुपोषण परिदृश्य:
  - इस अस्वस्थता से निपटने के लिये दशकों के निवेश के बावजूद भारत की बाल कुपोषण दर अभी भी दुनिया में सबसे जोखिमयुक्त देशों में से एक है।
    - ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2021): इसकी गणना जनसंख्या के कुल अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। भारत को 116 देशों में 101वें स्थान पर रखा गया है।
  - भारत के कुल रोग भार के 15% के लिये बच्चे और मातृ कुपोषण संबंधी समस्या ज़िम्मेदार है।
  - अब तक किये गए 22 राज्यों के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) (2019-2021) के पाँचवें दौर के आँकड़ों के अनुसार, केवल 9 राज्यों में अविकसित बच्चों की संख्या में कमी, 10 राज्यों में कमज़ोर बच्चों में और छह में कम वज़न वाले बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई। .
  - शोध से पता चलता है कि भारत में बाल कुपोषण के कारण संबंधी हस्तक्षेपों पर खर्च किया गया। 1 अमरीकी डालर सार्वजनिक आर्थिक प्रतिफल में वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक अमरीकी डालर (34.1 से 38.6) उत्पन्न कर सकता है।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि भारत बाल कुपोषण के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4% तक और अपनी उत्पादकता का 8% तक खो देता है।

- अन्य संबंधित सरकारी पहलें:
    - एनीमिया मुक्त भारत अभियान
    - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)
    - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013
    - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
    - एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

सुगम्यता मानकों के लिये नए मसौदा दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए 'सुगम्यता मानकों' हेतु मसौदा दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- इनके तहत लगभग सभी टेलीविज़न चैनलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे या तो कैप्शन या सांकेतिक भाषा का उपयोग करें, ताकि श्रवण बाधितों को प्रोग्रामिंग को समझने में मदद मिल सके।
- इससे पहले 'भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र' (ISLRTC) तथा 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद' (NCERT) ने पाठ्य-पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में श्रवण-बाधित छात्रों के लिये सुलभ बनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये थे।.

प्रमुख बिंदु

- मसौदा दिशा-निर्देशों के विषय में:
    - उद्देश्य: इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य 'श्रवण बाधित लोगों के लिये टेलीविज़न कार्यक्रमों हेतु सुगम्यता मानक' प्रदान करना है।
        - इन मानकों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित किया जाएगा, ताकि सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिये टेलीविज़न सामग्री को अधिक समावेशी बनाया जा सके।
    - स्कोप: सभी प्रोग्रामिंग या सामग्री जैसे- संगीत शो, वाद-विवाद, स्क्रिप्टेड/अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो, आदि और विज्ञापनों एवं टेलीशॉपिंग सामग्री के लिये इन मानकों का पालन करना होगा।
    - अपवाद:
        - लाइव कार्यक्रम जैसे- खेल, लाइव समाचार, लाइव संगीत शो, पुरस्कार शो, लाइव रियलिटी शो आदि।
        - वे चैनल जिनके पास एक वर्ष में 1% से कम औसत दर्शक हैं।
    - सेवा का प्रकार: सेवा प्रदाताओं या प्रसारकों को 'क्लोज़्ड कैप्शनिंग, सबटाइटल्स, ओपन कैप्शनिंग और/या साइन लैंग्वेज (न केवल हाथ बल्कि चेहरे की अभिव्यक्ति भी) में से कोई एक या अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
        - ओपन कैप्शन बंद नहीं किये जा सकते, जबकि क्लोज़्ड कैप्शन को दर्शक द्वारा चालू और बंद किया जा सकता है।
    - उत्तरदायित्व: कंटेंट के निर्माता इन सेवाओं के लिये सामग्री निर्माण और इसे संबंधित चैनलों एवं प्रसारकों को वितरित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- श्रवण बाधितों की सहायता संबंधी उदाहरण:
    - दूरदर्शन पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण और प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के अभिभाषण की सांकेतिक भाषा में व्याख्या की जाती है।
    - हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट समाचार टीवी चैनलों को भी 15 अगस्त की दोपहर/शाम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन को सांकेतिक भाषा में एक लघु कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित करने को कहा है।

दिव्यांगों के लिये संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- अनुच्छेद 14: राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
    - इस संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों को संविधान की नज़र में समान और समान अधिकार होने चाहिये।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: भारत, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, जो वर्ष 2007 में लागू हुआ था।
    - यह कन्वेंशन 'सुगम्यता' को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है और हस्ताक्षरकर्त्ताओं के लिये दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आवश्यक पहुँच अनिवार्य बनाता है।
- सुगम्य भारत अभियान: सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और विकास के समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
    - यह अभियान बुनियादी अवसंरचना, सूचना और संचार प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव करके पहुँच को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016: भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख और व्यापक कानून है।
    - यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्त्वों को परिभाषित करता है।
    - अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की भी सिफारिश करता है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रोजेक्ट-15बी श्रेणी विध्वंसक युद्धपोत : विशाखापत्तनम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रोजेक्ट-15बी के चार अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी 'Y12704 (विशाखापत्तनम)' का पहला युद्धपोत नौसेना को सौंप दिया गया।

- इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसकों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- भारत का विध्वंसक/डेस्ट्रॉयर निर्माण कार्यक्रम:
  - भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम वर्ष 1990 के दशक के अंत में तीन दिल्ली श्रेणी (P-15 वर्ग) के युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ और इसके बाद एक दशक बाद तीन कोलकाता श्रेणी (P-15A) विध्वंसक इसमें शामिल किये गए।
  - वर्तमान में P-15B (विशाखापत्तनम श्रेणी) के तहत कुल चार युद्धपोतों (विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल, सूरत) की योजना बनाई गई है।
  - ईनकी पहुँच और क्षमता के मामले में विध्वंसक का क्रम केवल एक विमान वाहक (आईएनएस विक्रमादित्य) के बाद आता है।
- प्रोजेक्ट-15बी:
  - मेसर्स मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में प्रोजेक्ट 15बी (P 15B) के चार गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर निर्माणाधीन हैं। इन चार जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध वर्ष 2011 में हुआ था।
  - ये जहाज़ अत्याधुनिक हथियार/सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर हैं।
- P-15B युद्धपोतों की विशेषताएँ:
  - ये जहाज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) से लैस हैं।
  - जहाज़ में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM), स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियाँ हैं।
- 'प्रोजेक्ट-15B' के अन्य तीन पोत:
  - 'प्रोजेक्ट 15B' का दूसरा जहाज़- 'मुरगाँव' को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और इसे बंदरगाह परीक्षणों के लिये तैयार किया जा रहा है।
  - इसके तहत तीसरा जहाज़ (इंफाल) वर्ष 2019 में लॉन्च हुआ था और यह अपने निर्माण के एडवांस चरण में है।
  - चौथा जहाज़ (सूरत) ब्लॉक इरेक्शन प्रक्रिया के तहत है और इसे मौजूदा वित्तीय वर्ष (2022) के भीतर लॉन्च किया जाएगा।
- 'प्रोजेक्ट-15B' की भूमिका:
  - वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में 2.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) के साथ 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 1100 अपतटीय द्वीपों की सुरक्षा के लिये भारतीय नौसेना काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
  - 'P-15B' श्रेणी जैसे विध्वंसक जहाज़ हिंद-प्रशांत के बड़े महासागरों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे भारतीय नौसेना को एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बनने में मदद मिलेगी।

नोट :

- इसमें हवा, सतह या जल के नीचे मौजूद किसी भी प्रकार के खतरे से नौसेना के बेड़े की रक्षा के लिये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की भी तैनाती की गई है।
- अन्य हालिया परियोजनाएँ:
  - प्रोजेक्ट-75 (I): इसमें अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है।
  - प्रोजेक्ट-75: यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें छह स्कॉर्पीन-क्लास अटैक पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। यह कार्यक्रम मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL) में फ्राँसीसी कंपनी 'नेवल ग्रुप' (जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था) से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया है।

पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' वाद (2006) के निर्णय के अनुसार 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' स्थापित करने के लिये कहा है।

पुलिस सुधार

- पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं को बदलना है।
- यह पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है।
- इसका उद्देश्य पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य हिस्सों, जैसे कि अदालतों और संबंधित विभागों, कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण ज़िम्मेदारियों में सुधार करना भी है।
- पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।

प्रमख बिंदु

- 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' की सिफारिशें:
  - प्रमाण-भार (Burden of Proof): गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 114(B) जोड़ने के लिये भारतीय विधि आयोग की 113वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना चाहिये।
    - इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में घायल हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे पुलिस द्वारा घायल किया गया था और चोट की व्याख्या करने के लिये सबूत प्रस्तुत करने का भार संबंधित प्राधिकारी पर है।
  - प्रौद्योगिकी अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली: आपराधिक न्याय प्रणाली को गति देने के लिये कानूनी ढाँचे को प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया जाना चाहिये।
    - वर्तमान में कानूनी ढाँचा आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये उपयुक्त नहीं है।
  - जवाबदेही सुनिश्चित करना: आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सभी पुलिस स्टेशनों में नाइट विज़न के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 2020 के आदेश को जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिये।
  - सामुदायिक पुलिसिंग: आयोग ने सामुदायिक पुलिसिंग के हिस्से के रूप में पुलिस स्टेशनों के साथ प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और कानून के छात्रों को शामिल करने तथा पुलिस मैनुअल, कानूनों व सलाह में सामुदायिक पुलिसिंग को शामिल करने पर भी ज़ोर दिया।
- प्रकाश सिंह वाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:
  - अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 'पुलिस महानिदेशक' के कार्यकाल और चयन से संबंधित सात दिशा-निर्देश दिये थे, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति से बचना था, जिसमें कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पद दिया जाता है।

- किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिये पुलिस महानिरीक्षक हेतु न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया गया था, ताकि राजनेताओं द्वारा उन्हें मध्यावधि में स्थानांतरित न किया जा सके।
- साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 'पुलिस स्थापना बोर्ड' (PEB) द्वारा पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग किये जाने के भी निर्देश दिये थे। इस बोर्ड का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं को पोस्टिंग और स्थानांतरण संबंधित शक्तियों से वंचित करना था, इस बोर्ड में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों को शामिल किया जा सकता है।
- इसके अलावा न्यायालय ने 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण' (SPCA) की स्थापना की भी सिफारिश की थी, जहाँ पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिसिंग व्यवस्था में बेहतर सुधार के लिये जाँच एवं कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने हेतु 'राज्य सुरक्षा आयोगों' (SSC) की स्थापना करने का निर्देश दिया था, जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे, साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की भी सिफारिश की गई थी।

आगे की राह

- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण: पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) की योजना 1969-70 में शुरू की गई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई संशोधन हुए हैं।
  - MPF योजना की परिकल्पना में शामिल हैं:
  - आधुनिक हथियारों की खरीद
  - पुलिस बलों की गतिशीलता
  - लॉजिस्टिक समर्थन, पुलिस वायरलेस का उन्नयन आदि
  - एक राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क
- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: पुलिस सुधारों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मेनन और मलीमथ समितियों की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
  - दोषियों के दबाव के कारण मुकर जाने वाले पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिये एक कोष का निर्माण करना।
  - देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधियों से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अलग प्राधिकरण की स्थापना।
  - संपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली में पूर्ण सुधार।

नई सेना विमानन ब्रिगेड: LAC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पूर्वी सेक्टर में एक नई सेना विमानन ब्रिगेड की स्थापना की।

- इसके अलावा चीन की विधायिका ने एक नया सीमा कानून भी अपनाया है जो राज्य और सेना को क्षेत्र की रक्षा करने तथा चीन के क्षेत्रीय दावों को कमज़ोर करने वाले "किसी भी कार्य का मुकाबला" करने के लिये अधिदेशित करता है।
- LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं के कारण लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - नई सेना विमानन ब्रिगेड को मार्च 2021 में तेज़पुर, असम के पास मिसामारी हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया था और इसमें उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH), अमेरिका के चीता हेलीकॉप्टर और इज़राइल के हेरॉन ड्रोन जैसी क्षमताएँ हैं।

- यद्यपि नई ब्रिगेड का कार्य मुख्य रूप से सेना की खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) गतिविधियों के लिये है लेकिन यह LAC पर अन्य उद्देश्यों के लिये सेना का समर्थन करने की क्षमता भी रखता है।

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):
  - सीमांकन रेखा: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ एक सीमा साझा करते हैं।
  - सेक्टर: LAC को आमतौर पर तीन सेक्टरों में विभाजित किया जाता है: पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर।
    - पूर्वी सेक्टर: इस क्षेत्र में भारत, चीन के साथ 1346 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
    - यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
    - पूर्वी सेक्टर में LAC का संरेखण वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के समरूप है।
    - चीन मैकमोहन रेखा को अवैध और अस्वीकार्य मानता है, तथा यह दावा करता है कि मैकमोहन रेखा को मानचित्र पर चित्रित करने संबंधी वर्ष 1914 के अभिसमय पर जिन तिब्बती प्रतिनिधियों द्वारा शिमला में हस्ताक्षर किये गए थे, उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था।
    - चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के भाग के रूप दावा करता है।
    - मध्य सेक्टर:
    - इस सेक्टर में भारत, चीन के साथ लगभग 545 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो लद्दाख से नेपाल तक विस्तृत है।
    - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस सेक्टर में तिब्बत (चीन) के साथ इस सीमा को स्पर्श करते हैं। इस सेक्टर में सीमा को लेकर दोनों पक्षों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है।
    - पश्चिमी सेक्टर:
    - इस सेक्टर में भारत चीन के साथ करीब 1597 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य) और चीन के झिंजियांग/शिनजियांग प्रांत के बीच है।
    - इस सेक्टर में अक्साई चिन को लेकर क्षेत्रीय विवाद है। भारत इसे तत्कालीन कश्मीर के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि चीन का दावा है कि यह शिनजियांग का हिस्सा है।
    - पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है जो कुनलुन पर्वत तक फैली हुई थी तथा अक्साई चिन को तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करती थी।
    - स्वतंत्रता के बाद भारत ने जॉनसन रेखा के आधार पर अक्साई चिन पर अपना दावा किया।
    - LAC पर विवादित 23 क्षेत्रों में से 11 की पहचान लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र में, चार मध्य क्षेत्र में और आठ पूर्वी क्षेत्र में की गई है।
    - वर्ष 1993 में भारत द्वारा पहली बार LAC की अवधारणा को स्वीकार किये जाने के बाद से सरकार द्वारा विभिन्न तंत्रों के माध्यम से 23 विवादित क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

भारत की पनडुब्बी क्षमता

चर्चा में क्यों?

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी पनडुब्बियों के बेड़े के आधुनिकीकरण के मामले में पहले से ही एक दशक पीछे है, जबकि चीन अपनी बड़ी नौसेना और अति विशिष्ट पनडुब्बी क्षमताओं में आगे बढ़ गया है।

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान पनडुब्बी पहली बार नौसैनिक युद्ध में एक प्रमुख कारक बन गई, द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) में भी पनडुब्बियों ने बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई।

प्रमुख बिंदु

- भारत में पनडुब्बियों की संख्या:
  - वर्तमान में भारत में 15 पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं, जिन्हें एसएसके (SSK) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, जिसे एसएसबीएन (SSBN) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की अधिकांश पनडुब्बियाँ 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, जिनमें से कई का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

नोट :

- पनडुब्बियों का वर्गीकरण:
- डीज़ल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ (SSK):
  - डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ परिचालन हेतु डीज़ल इंजनों द्वारा चार्ज की गईं इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करती हैं। इन इंजनों को संचालित करने के लिये हवा और ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिये उन्हें बार-बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है।
  - एसएसके पनडुब्बियों में से चार शिशुमार श्रेणी (Shishumar Class) की पनडुब्बियाँ हैं, जिन्हें वर्ष 1980 के दशक में जर्मनी के सहयोग से भारत लाया और बनाया गया।
  - किलो श्रेणी या सिंधुघोष श्रेणी की आठ पनडुब्बियाँ हैं, जिन्हें वर्ष 1984 और वर्ष 2000 के बीच रूस (पूर्व सोवियत संघ सहित) से खरीदा गया था।
  - तीन कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पीन पनडुब्बी (P-75) हैं, जिसका निर्माण फ्राँस के नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत के मझगांव डॉक पर किया गया है।
- परमाणु शक्ति आक्रामक पनडुब्बी (SSN):
  - SSN अनिश्चित काल तक समुद्र के भीतर रहकर कार्य कर सकते हैं; यह केवल चालक दल की सहनशक्ति या खाद्य आपूर्ति की कमी से प्रभावित हो सकती है। ये पनडुब्बियाँ टॉरपीडो, एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल और लैंड-अटैक क्रूज़ मिसाइल जैसे कई सामरिक हथियारों से भी लैस हैं।
  - भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन के साथ छह देशों में एसएसएन है।
  - भारत द्वारा आईएनएस चक्र 2 एसएसएन पनडुब्बी रूस से वर्ष 2022 तक लीज़ पर ली गई है।
- परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइलयुक्त पनडुब्बी (SSBN):
  - यह एक धीमी गति से चलने वाला 'बॉम्बर' या बमबारी करने वाला यंत्र और परमाणु हथियारों के लिये एक गोपनीय 'लॉन्च प्लेटफॉर्म' है।
  - अरिहंत और निर्माणाधीन तीन एसएसबीएन सामरिक बल कमान (SFC) का हिस्सा हैं।
- भारत की आधुनिकीकरण योजना:
  - 30-वर्षीय योजना: वर्ष 1999 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये 30-वर्षीय योजना (2000-30) निर्मित की गई, जिसके तहत एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के सहयोग से भारत में निर्मित दो उत्पादन श्रेणियों की छह पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।
    - इन परियोजनाओं को P-75 और P-75I के नाम से जाना जाता था।
    - यह अनुमान लगाया गया था कि भारत को 2012-15 तक 12 नई पनडुब्बियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद भारत वर्ष 2030 तक अपने 12 बेड़े निर्मित करेगा, जिससे बेड़ों (Fleet) की संख्या 24 हो जाएगी तथा पुरानी पनडुब्बियों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
    - लेकिन P-75 के अनुबंध पर फ्राँस की DCNS के साथ वर्ष 2005 में ही हस्ताक्षर किये गए थे। वर्तमान में यह अनुबंध नौसेना समूह के साथ किया गया है।
  - P-75: निर्माणाधीन छह पनडुब्बियों में से P-75 के तहत अब तक तीन कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की डिलीवरी की गई है।
  - P-75I: अभी इसका संचालन शेष है; इस संबंध में प्रस्ताव जुलाई 2021 में जारी किया गया था।
    - यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत का पहली पनडुब्बी होगी, जिसे वर्ष 2015 में लाया गया था।
- भारतीय नौसेना निर्माण के लिये चुनौतियाँ:
  - चीन की नौसेना शक्ति:
    - इस तथ्य के बावजूद कि समुद्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत चीन को उसके प्राकृतिक भौगोलिक लाभों को देखते हुए रोक सकता है, भारतीय समुद्र के बेड़े में अपेक्षित क्षमता की कमी बनी हुई है।

- चीन के पास पहले से ही 350 युद्धपोतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 50 पारंपरिक और 10 परमाणु पनडुब्बी शामिल हैं।
- आधुनिकीकरण में भारत की देरी:
  - उदाहरण: P-75 हेतु किये गए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में देरी।
- भारतीय नौसेना की अनिवार्यताओं में कमी:
  - भारतीय नौसेना की अन्य महत्वपूर्ण कमियाँ हैं, जिनमें आवश्यक क्षमताएँ शामिल हैं, जैसे-"दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु उन्नत टोड ऐरे सोनार (ATAS), एवं उन्हें अप्रभावी करने के लिये भारी वज़न वाले टॉरपीडो और विभिन्न वायु रक्षा प्रणालियाँ, जो न केवल उनकी उत्तरजीविता हेतु बल्कि उनकी समग्र आक्रामक क्षमता हेतु भी महत्वपूर्ण हैं।
- समझौता रद्द करना:
  - भारत ने असंबद्ध भ्रष्टाचार घोटाले के परिणामस्वरूप 'फिनमेकैनिका' की सहायक कंपनी WASS द्वारा निर्मित भारी वज़न वाले ब्लैक शार्क टॉरपीडो का एक सौदा रद्द कर दिया, जिसमें फिनमेकैनिका, ऑगस्टा-वेस्टलैंड की एक अन्य सहायक कंपनी शामिल थी।
- AIP सिस्टम का धीमी गति से विकास:
  - वायु स्वतंत्र प्रणोदन (Air Independent Propulsion -AIP) प्रणाली पनडुब्बियों की गोपनीयता बनाए रखती है साथ ही लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की अनुमति देती है।
  - हालाँकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी AIP प्रणाली के विकास में देरी हुई है।
- नौसेना पर सरकार का कम ध्यान:
  - भारतीय बजट का अधिकांश हिस्सा सेना पर केंद्रित है, जिसमें वायु सेना दूसरे स्थान पर है और नौसेना तीसरे स्थान पर है।
  - नौसैनिक क्षमता निर्माण समयावधि के दौरान पूंजी-गहन साबित होने की समस्या भारत को अपनी नौसेना क्षमताओं के विकास की गति में वृद्धि से रोकता है, यहाँ तक कि चीन जैसे प्रतियोगी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ते हैं।

आगे की राह

- जब तक नौसैनिक कौशल में अंतर को जल्दी से कम नहीं किया जाएगा, तब तक हिंद महासागर पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने में भारत की अक्षमता बनी रहेगी।
- अगर भारत को क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान) और उसकी इंडो-पैसिफिक महत्त्वाकांक्षाओं पर बात करनी है, तो रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की देरी को जल्दी से दूर करना चाहिये।
- भारत को अपनी संबंधित क्षमताओं में गिरावट को रोकने के लिये अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और अपनी जटिल अधिग्रहण प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है।

चर्चा में

भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुशील: P1135.6 श्रेणी

हाल ही में P1135.6 श्रेणी का 7वाँ भारतीय नौसेना युद्धपोत, जिसका नाम तुशील (Tushi) है, रूस के कैलिनिनग्राद (Kaliningrad) के यंतर शिपयार्ड से लॉन्च किया गया।

- भारत और रूस ने अक्तूबर 2016 में चार अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण के लिये एक समझौते (रूस और भारत प्रत्येक द्वारा दो-दो) पर हस्ताक्षर किये थे।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय नौसेना के लिये रूस द्वारा डिज़ाइन और निर्मित जहाज़ को औपचारिक रूप से 'तुशील' (Tushil) नाम दिया गया है।
  - तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक शील्ड/ढाल है।
- प्रोजेक्ट 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है जो एक गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी का है।
  - ये संशोधित क्रिवाक III श्रेणी के फ्रिगेट हैं जो रूसी एडमिरल ग्रिगोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट का मुख्य आधार भी हैं।
  - भारत में तलवार श्रेणी के छह युद्धपोत सेवा में हैं।
- यह जहाज़ अत्याधुनिक भारतीय और रूसी हथियारों एवं सेंसर से युक्त एक शक्तिशाली संयोजन है, जिसे एक एकल इकाई के रूप में तथा एक नौसेना टास्क फोर्स में कंसोर्ट के रूप में लिटोरल (Littoral) और समुद्र में संचालित करने के लिये निर्मित किया गया है।
- वे रडार से बचने और जल में उत्पन्न हलचल का पता लगाने के लिये "स्टेल्थ तकनीक" (Stealth Technology) का प्रयोग करते हैं।
  - स्टेल्थ तकनीक एक निम्न अवलोकन योग्य तकनीक है जो विमान, लड़ाकू जेट, जहाज़ों, पनडुब्बियों, उपग्रहों, मिसाइलों आदि में कई तकनीकों का उपयोग करके रडार, इन्फ्रारेड, सोनार आदि प्रौद्योगिकियों से लगभग अदृश्य रहने में सक्षम है।
- यह भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर प्रकाश डालता है।
- ये हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सक्रिय भारतीय नौसेना को और अधिक शक्ति प्रदान करेंगे।

महासागर अनुसंधान पोत- 'सागर निधि'

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय उपमहाद्वीप के पायनियर महासागर अनुसंधान पोत (ORV) जहाज़- 'सागर निधि' का दौरा किया।

- इससे पूर्व 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' (MoES) ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन 'समुद्रयान' लॉन्च किया था।

प्रमुख बिंदु

- 'सागर निधि':
  - इसे देश के समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम के लिये वर्ष 2008 में कमीशन किया गया था।
    - 'सागर पूर्वी' और 'सागर पश्चिमी' के बाद यह तीसरा शोध पोत है।
  - यह पोत भू-वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने में सक्षम है तथा 45 दिनों तक 10,000 समुद्री मील (19,000 किमी.) तक की क्षमता के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह पहला भारतीय ध्वजांकित अनुसंधान जहाज़ है, जो सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों को सहने में भी सक्षम है और 11 तूफानों का सामना करते हुए 66°S अक्षांश [अंटार्कटिक जल] तक पहुँचा है।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास वर्तमान में 6 जहाज़ हैं- सागर निधि, सागर मंजूषा, सागरकन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका, जिनका उपयोग समुद्र के अवलोकन सहित कई महासागर अध्ययनों एवं अनुप्रयोगों के लिये किया जाता है।

- महत्त्व
  - 'ब्लू इकॉनमी' को बढ़ावा देने और समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन में भागीदारी हेतु 'डीप ओशन मिशन' के कार्यान्वयन के लिये यह अनुसंधान पोत काफी महत्त्वपूर्ण है।
  - इसका उपयोग सुनामी निगरानी प्रणाली और अपेक्षाकृत दूरी से संचालित वाहनों को लॉन्च करने, खानों एवं गैस हाइड्रेट्स की पहचान करने के लिये किया जाता है।
  - इसका उपयोग भविष्य के गैस हाइड्रेट्स के ईंधन पर समुद्री अध्ययन करने और जीवन की उत्पत्ति एवं जीर्ण बीमारियों (एक वर्ष या उससे अधिक समय तक चलने वाली बीमारियों) के इलाज के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य की खोज के लिये भी किया जाएगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

- इस मंत्रालय का प्राथमिक कार्य मौसम, जलवायु, महासागर और भूकंपीय सेवाएँ प्रदान करना तथा जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करना है।
- यह प्रासंगिक महासागर प्रौद्योगिकी और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के महासागर सर्वेक्षण व खनिजों एवं ऊर्जा के लिये गहरे महासागरों के विकास कार्य में भी संलग्न है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई को समुद्र के जीवित एवं निर्जीव संसाधनों के सतत् दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का अधिकार है।

भाषा संगम पहल: एक भारत श्रेष्ठ भारत

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों की शुरुआत की है।

- एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।
- राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- पहल के संबंध में:
  - भाषा संगम:
    - यह 22 भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची की भाषाएँ) के दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सिखाने के लिये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
    - इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया है।
    - इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधी कौशल हासिल करना चाहिये।
    - यह दीक्षा, ई-पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
  - शुरू की गई अन्य पहलों में भाषा संगम मोबाइल एप और एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) क्विज़ एप शामिल हैं।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत:
  - इसे वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।
  - यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
  - देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समयावधि के लिये दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

सरदार वल्लभभाई पटेल

- इनका जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को नादियाड, गुजरात में हुआ था।
  - सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) के रूप में मनाया जाता है।
- ये स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे।
- उन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्त्व किया-
  - मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति।
  - अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति।
  - प्रांतीय संविधान समिति।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह (1918) और बारदोली सत्याग्रह (1928) में किसान हितों को एकीकृत किया।
  - बारदोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी, जिसका अर्थ है 'एक प्रमुख या एक नेता'।
- भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिये राजी करने हेतु इन्हें "भारत के लौह पुरुष" के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने भारत के लोगों से एक अग्रणी भारत (श्रेष्ठ भारत) बनाने के लिये एकजुट (एक भारत) होकर एक साथ रहने का अनुरोध किया।
  - यह विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
- सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु 'भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत' (Patron Saint of India's Civil Servants) के रूप में भी जाना जाता है।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवडिया में किया गया।

गुरुपर्व को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव

हाल ही में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिये गुरु नानक देव की जयंती (गुरुपर्व) को 'विश्व पैदल यात्री दिवस' के रूप में घोषित किया जाए।

- वर्ष 2021 में गुरु नानक का 552वाँ गुरुपर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - आध्यात्मिक संवादों में संलग्न होकर एकता के संदेश को फैलाने के लिये गुरु नानक देव ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान दूर-दूर तक की यात्रा की।
    - ऐसा माना जाता है कि उस समय जब परिवहन के साधन सीमित थे और ज़्यादातर नाव, जानवरों (घोड़े, खच्चर, ऊँट, बैलगाड़ी) तक ही सीमित थे, गुरु नानक देव ने अपने साथी भाई मर्दाना के साथ अपनी अधिकांश यात्रा पैदल ही की।
  - गुरु नानक देव ने मक्का से हरिद्वार, सिलहट से कैलाश पर्वत तक अपनी पूरी यात्रा (जिसे उदासी भी कहा जाता है) के दौरान हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित सैकड़ों धार्मिक स्थलों का दौरा किया।
  - कुछ स्थलों पर उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों का निर्माण किया गया था। बाद में उनकी यात्रा को 'जन्मसखियों' नामक ग्रंथों में प्रलेखित किया गया।
  - ये स्थल वर्तमान में भौगोलिक विभाजन के अनुसार नौ देशों में फैले हुए हैं - भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चीन (तिब्बत), बांग्लादेश, सऊदी अरब, श्रीलंका और अफगानिस्तान।

- प्रस्ताव का महत्त्व
  - यह "चलने का अधिकार" या पैदल चलने वालों के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। तथा यह पैदल चलने वालों के लिये 'पैदल यात्री बचाओ' प्रतिज्ञा शुरू करने हेतु नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
  - एक समुदाय जो अपने पैदल यात्रियों की सुरक्षा करता है, उसे विकसित माना जाता है और वह सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान देता है।
  - अकेले पंजाब में ही हर साल औसतन कम-से-कम एक हज़ार पैदल चलने वालों की मौत हो जाती है।

गुरु नानक के बारे में

- उनका जन्म 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई ग्राम में हुआ था।
- उनकी सबसे प्रमुख शिक्षा यह है कि ईश्वर एक है,और बिना किसी कर्मकांड या पुजारियों की मदद से हर मनुष्य भगवान तक पहुँच सकता है।
- उनकी शिक्षाएँ जाति व्यवस्था की निंदा करती हैं और यह सिखाती हैं कि जाति या लिंग की परवाह किये बिना हर कोई समान है।
- उन्होंने 'वाहेगुरू' के रूप में ईश्वर की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार ईश्वर एक ऐसी इकाई है जो आकारहीन, कालातीत, सर्वव्यापी और अदृश्य है। सिख धर्म में भगवान के अन्य नाम अकाल पुरख और निरंकार हैं। उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' (निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा) की वकालत की।
- वर्ष 1539 में करतारपुर, पंजाब (अब पाकिस्तान) में उनकी मृत्यु हो गई।
- सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक द्वारा रचित 974 काव्य भजन हैं।

गंगा नदी डॉल्फिन

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है।

- इस दस्तावेज़ को 'टर्टल सर्वाइवल एलायंस' तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (EFCCD) द्वारा तैयार किया गया है।
- डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिक नाम: प्लैटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका।
- खोज: इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में खोजा गया था।
- पर्यावास: ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना तथा कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों में रहती हैं।
  - गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और वास्तव में दृष्टिहीन होती है।
  - ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो मछली और अन्य शिकार से परावर्तित होती हैं, जिससे वे अपने दिमाग में एक छवि बना सकती हैं। इन्हें 'सुसु' (Susu) भी कहा जाता है।
- जनसंख्या:
  - इसकी प्रजातियों की वैश्विक आबादी 4,000 होने का अनुमान है और लगभग 80% भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं।
- महत्त्व:
  - यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है।
- खतरा:
  - बायकैच: डॉल्फिन और मानव नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहाँ मछलियाँ बहुतायत में होती हैं और पानी की धारा धीमी होती है। इससे लोगों द्वारा मछलियाँ पकड़ने के दौरान गलती से डॉल्फिन का भी शिकार हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है, जिसे बायकैच भी कहा जाता है।
  - प्रदूषण: औद्योगिक, कृषि और मानव प्रदूषण के कारण आवास क्षरण डॉल्फिन हेतु एक प्रमुख खतरा है।
  - बाँध: बाँधों के निर्माण और सिंचाई से संबंधित अन्य परियोजनाओं के कारण वे खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि वे नए क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं।

- बाँध के पास डॉल्फिन को भारी प्रदूषण, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि और पोत यातायात से खतरा होता है। उनके पास भोजन के विकल्प भी कम होते हैं क्योंकि बाँध प्रवास, प्रजनन चक्र तथा मछली एवं अन्य शिकार के आवास को बाधित करता है।

- संरक्षण की स्थिति:
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972: प्रथम अनुसूची
  - प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ ((IUCN): लुप्तप्राय
  - लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I (लुप्तप्राय)।
  - प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS): परिशिष्ट II (प्रवासी प्रजातियाँ जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा)।
- उठाए गए कदम:
  - प्रोजेक्ट डॉल्फिन: प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की सरकार की योजना की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर है, जिसने बाघों की आबादी को बढ़ाने में मदद की है।
  - डॉल्फिन अभयारण्य: विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थापित किया गया है।
  - राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस: स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन 5 अक्तूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाता है।
  - संरक्षण योजना: गंगा नदी डॉल्फिन 2010-2020 के लिये संरक्षण कार्य योजना, जिसने "गंगा डॉल्फिन के लिये खतरों और नदी यातायात, सिंचाई नहरों व शिकार आदि को डॉल्फिन की आबादी में कमी हेतु उत्तरदायी माना है"।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021

हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई।

- भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिये जाने वाले छह अलग-अलग पुरस्कार शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:
    - इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसे वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था।
    - यह विगत चार वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
    - इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।
  - अर्जुन पुरस्कार:
    - इसे वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था।
    - यह विगत चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाडियों को दिया जाता है।
    - इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण/सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है।
  - द्रोणाचार्य पुरस्कार:
    - इसे वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था।
    - यह कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये दिया जाता है।

- इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण/सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है।
- ध्यानचंद पुरस्कार:
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
  - यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिये दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्राफी:
  - इसकी स्थापना वर्ष 1956-57 में हुई थी।
  - यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिये दी जाती है।
  - यह विगत एक वर्ष की अवधि में 'अंतर-विश्वविद्यालयी टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है।
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:
  - इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी।
  - यह उन कॉरपोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में), खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- खेलों के विकास के लिये सरकार की प्रमुख पहलें:
  - खेलो इंडिया योजना।
  - राष्ट्रीय खेल विकास कोष।
  - राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (NSTC) योजना।
  - भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना (STC)।
  - विशेष क्षेत्र खेल (SAG) योजना।

मोल्नुपिरवीर : कोविड -19 हेतु एक औषधि

हाल ही में एक ओरल ड्रग मोल्नुपिरवीर (Molnupiravir) के तीसरे चरण के परीक्षण में दावा किया गया है कि यह कोविड-19 रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 50 फीसदी तक कम कर सकती है।

- भारत में ऑप्टिमस ग्रुप ने हाल ही में तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के परिणामों की घोषणा की, जिसमें पाया गया कि 91.5% रोगियों ने आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) का परीक्षण किया, जो नकारात्मक था।

प्रमुख बिंदु

- मोल्नुपिरवीर:
  - यह व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है जिसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स (Nucleoside Analogues) कहा जाता है।
  - वे वायरल आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड) पोलीमरेज़ के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं - जो एंजाइम होते हैं जिनसे संक्रमित कोशिकाओं में नए वायरल आरएनए बनते हैं।
  - आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक और एक महत्त्वपूर्ण जैविक मैक्रोमोलेक्यूल है जो सभी जैविक कोशिकाओं में मौजूद होता है।
  - यह मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होता है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) से संदेशवाहक निर्देशों को ले जाता है, जिसमें स्वयं जीवन के विकास और रखरखाव के लिये आवश्यक आनुवंशिक निर्देश होते हैं।
  - यह वायरस को अपने स्वयं के आरएनए की प्रतिलिपि बनाते समय त्रुटियों को उत्पन्न करने का काम करता है, जो उत्परिवर्तन को उजागर कर प्रतिकृति को रोकता है।

- शुरू में इन्फ्लूएंज़ा वायरस के लिये एक दवा के रूप में इसका आविष्कार किया गया था।
- क्रियाविधि:
  - ये औषधि मानव कोशिकाओं के अंदर वायरस की प्रतिकृति की प्रक्रिया को रोकने का काम करती हैं।
  - एक वायरस एक जैविक एजेंट होता है जो एक मेज़बान सेल के अंदर आत्म-प्रतिकृति बना सकता है। वायरस द्वारा संक्रमित कोशिकाएँ असाधारण दर पर मूल वायरस की हज़ारों नई क्लोनिंग तैयार कर सकती हैं।
  - यह महत्त्वपूर्ण एंजाइमों को बदल देता है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रतिकृति हेतु वायरस के लिये आवश्यक होते है।
  - अभी तक औषधि के लिये आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन वर्तमान में 5 दिनों के अंतराल पर दवा की एक खुराक ली जा सकती है।

आदि शंकराचार्य

हाल ही में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ (उत्तराखंड) में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई, 788 ईस्वी को कोच्चि, केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था।
    - 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली।
  - वे शिव के भक्त थे।
  - उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत (उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता) पर कई टिप्पणियाँ लिखीं।
  - वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे।
- प्रमुख कार्य
  - ब्रह्मसूत्रभाष्य (ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी)।
  - भजगोविंदा स्तोत्र।
  - निर्वाण शातकम्।
  - प्राकरण ग्रंथ।
- अन्य योगदान:
  - वह भारत में उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिये काफी हद तक ज़िम्मेदार थे जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था।
  - सनातन धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने शिंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की।
- अद्वैत वेदांत:
  - यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की दार्शनिक स्थिति को व्यक्त करता है, यह संशोधनवादी विश्वदृष्टि प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त हुई है।
  - अद्वैत वेदांतियों के अनुसार, उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को 'ब्राह्मण' कहते हैं, जो सभी चीजों की वास्तविकता है।
  - अद्वैत ब्रह्म को पारलौकिक व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता के रूप में मानते हैं। अद्वैत वेदांती यह स्थापित करना चाहते हैं कि स्वयं (आत्मा) का आवश्यक मूल ब्रह्म है।
  - अद्वैत वेदांत इस बात पर ज़ोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है।
  - अद्वैत एक क्षणरहित और अनंत अस्तित्ववादी है और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है।

भारतीय फ्लैपशेल कछुए

हाल ही में ओडिशा के वन अधिकारियों ने कथित तस्करी रैकेट में 40 'भारतीय फ्लैपशेल कछुए' ज़ब्त किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय फ्लैपशेल कछुए
  - भारतीय फ्लैपशेल कछुआ मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है और कई राज्यों में पाई जाती है।
    - 'फ्लैप-शेल' नाम की उत्पत्ति प्लास्ट्रॉन पर स्थित ऊरु फ्लैप की उपस्थिति से हुई है। जब कछुए खोल में पीछे हटते हैं, तो त्वचा के ये फ्लैप अंगों को ढक देते हैं।
    - यह एक अपेक्षाकृत छोटा नरम-खोल वाला कछुआ है, जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर तक होती है।
  - वैज्ञानिक नाम: लिस्सेमिस पंक्टाटा (Lissemys Punctata)
- वितरण
  - ये पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश (सिंधु और गंगा जल निकासी), और म्याँमार (इरावदी और साल्विन नदियों) में पाए जाते हैं।
  - ये नदियों, नालों, दलदल, तालाबों, झीलों एवं सिंचाई नहरों तथा तालाबों के उथले, शांत व स्थिर जल में रहते हैं।
  - इस प्रकार के कछुए रेत या मिट्टी के नीचे के जल को पसंद करते हैं।
- संरक्षण स्थिति
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
  - CITES: परिशिष्ट II
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- खतरे
  - कछुओं को उनके कथित कामोत्तेजक गुणों, पशुओं के चारे, उनकी खाल से चमड़ा बनाने, उनके खून से औषधि बनाने और मछली पकड़ने के चारा के रूप में उपयोग करने और तस्करी हेतु मार दिया जाता है।
  - इसके अलावा कछुओं का उपयोग मांस और दवाओं के लिये भी किया जाता है।
- संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:
  - 'कुर्मा' एप:
    - यह भारत के मीठे पानी के कछुओं संत समेत अन्य सभी प्रकार के कछुओं की 29 प्रजातियों को कवर करने वाला एक अंतर्निहित डिजिटल फील्ड गाइड है।
    - इसे 'टर्टल सर्वाइवल एलायंस-इंडिया' और 'वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया' के सहयोग से 'इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क' (ITCAN) द्वारा विकसित किया गया था।
  - प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस का आयोजन किया जाता है।

बौद्धिक संपदा के रूप में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का लोगो

हाल ही में भारत ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 'टॉय ट्रेन' (Darjeeling Toy Train) के लोगो (Logos) को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है।

- इसके बाद यह दावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) को भेजा गया, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के वियना वर्गीकरण (VCL) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है। किसी भी प्रति-दावे को दर्ज करने के लिये छह महीने का समय निर्धारित है, जिसके बाद भारत सरकार के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - दुनिया में कहीं भी इस लोगो के उपयोग के लिये अब भारत से लिखित अनुमति और शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी।
  - दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) के दो लोगो हैं, दोनों का पेटेंट कराया जा चुका है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के साथ लोगो को पंजीकृत करने की प्रक्रिया अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। इसके बाद इसे डब्ल्यूआईपीओ को भेजा गया था।
  - दोनों लोगो (logo) एक सदी से अधिक पुराने हैं और विश्व विरासत सर्किट में लोकप्रिय हैं।
  - यूरोप, यूके और अमेरिका में विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों द्वारा व्यापारिक वस्तुओं और संचार सामग्री पर उनका अव्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाता है; यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अतीत में संचार और व्यापारिक वस्तुओं पर इसका इस्तेमाल किया है।
  - महत्त्व: इससे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के 'आयरन शेरपा' ब्लू स्टीम लोकोमोटिव को स्विट्ज़रलैंड में प्रसिद्ध ट्रांसलपाइन रैटियन रेलवे (Rhaetian Railway) के समान दर्जा प्राप्त होगा और दुनिया भर में इसकी मान्यता और प्रमुखता को बढ़ावा देने की संभावना है।
- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR):
  - DHR का निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1879 और 1881 के बीच किया गया था।
  - यह पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित है।
  - यह पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिज़ाइन पहाड़ी इलाके में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने की समस्या के लिये साहसिक और सरल इंजीनियरिंग समाधान लागू करता है।
  - इसे वर्ष 1999 में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
    - अन्य पर्वतीय रेलवे जिन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया:
    - नीलगिरि पर्वतीय रेलवे, तमिलनाडु (दक्षिण भारत) की नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित है (2005)।
    - कालका-शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश (उत्तर पश्चिम भारत) (2008) की हिमालय की तलहटी में स्थित है।

WIPO का वियना वर्गीकरण

- वियना वर्गीकरण (VCL) एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है जिसे वर्ष 1973 में वियना समझौते द्वारा स्थापित किया गया था, जो मार्क्स के आलंकारिक तत्त्वों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रशासित है।
  - WIPO संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसमें एक पदानुक्रमित प्रणाली होती है जो सामान्य से विशेष तक आगे बढ़ती है, जो अंकों के आलंकारिक तत्त्वों को उनके आकार के आधार पर श्रेणियों, विभागों और वर्गों में वर्गीकृत करती है।

'काहो' गाँव: अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चीन सीमा पर स्थित गाँव 'काहो' पर एक वृत्तचित्र/डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- 'काहो' गाँव
  - 'काहो; अंजॉ ज़िले में चीन की सीमा से लगा पहला गाँव है।
    - अंजॉ अरुणाचल प्रदेश के 11 ज़िलों में से एक है, जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, काहो में केवल 65 निवासी हैं और साक्षरता दर 64.15% है।
  - इस गाँव और यहाँ मौजूद 'मेयर' जनजाति के स्थानीय लोगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी।

नोट :

- मेयर एक छोटी जनजाति है, जो ज़िले के किबिथू और वालॉन्ग सर्कल में रहती है।
- मेयर भी मिशमी की तरह एनिमिस्ट यानी जीववादी हैं, लेकिन उन्होंने भी महायान बौद्ध धर्म को अपनाया है।
- अरुणाचल प्रदेश की अन्य जनजातियों में शामिल हैं: अबोर, अका, अपतानी, डफला, गैलोंग, खम्पती, खोवा, मिश्मी, मोनपा, मोम्बा, नगा जनजाति, शेरडुकपेन, सिंगफो।

- 'काहो', लोहित नदी द्वारा विभाजित किबिथू ब्लॉक के सात गाँवों में से एक है, जिसने वर्ष 1962 में चीन के हमले का सामना किया था। इसके लोगों ने भारतीय सैनिकों की सहायता की थी, जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम थी।

- लोहित नदी
  - यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।
    - ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील (तिब्बत) के पास कैलाश रेंज के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है।
  - यह पूर्वी तिब्बत में ज़ायल चू रेंज से निकलती है और असम के मैदानी इलाकों में पहुँचने से पहले अरुणाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर तक चलती है।

देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति

हाल ही में कनाडा से एक सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया।

- यह मूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा प्राप्त की गई है। इसे इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा।
- इस मूर्ति की देश से बाहर तस्करी वर्ष 1913 के आसपास की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - देवी अन्नपूर्णा: यह अन्न की देवी हैं। इन्हें देवी पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है।
    - मूर्ति के एक हाथ में एक कटोरी (जिसमें खीर भरी हुई है) और दूसरे हाथ में एक चम्मच उपस्थित है।
  - बनारस शैली: बनारस शैली में उकेरी गई 18वीं शताब्दी की मूर्ति, कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय में मैकेंज़ी आर्ट गैलरी में संग्रह का हिस्सा थी।
    - वाराणसी, जिसे बनारस, या काशी या कासी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध एवं पवित्र शहर है। वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती है।
- काशी विश्वनाथ मंदिर: यह भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है।
  - यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
  - यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है।
  - इसका निर्माण वर्ष 1780 में मराठा साम्राज्य के दौरान, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा किया गया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन करना, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रख-रखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में इसके पहले महानिदेशक 'अलेक्ज़ेंडर कनिंघम' ने की थी। 'अलेक्ज़ेंडर कनिंघम' को 'भारतीय पुरातत्व के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 'प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।

स्वर्ण जयंती फैलोशिप

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने स्वर्ण जयंती फैलोशिप के लिये 17 वैज्ञानिकों का चयन किया है।

- इन वैज्ञानिकों को अभिनव अनुसंधान, विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव पैदा करने की क्षमता के लिये सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष (1997) के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना की स्थापना की गई थी।
- यह एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले चयनित युवा वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें।
- इस पुरस्कार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 5 साल की अवधि के लिये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अनुसंधान अनुदान के साथ मूल संस्थान से प्राप्त वेतन के अलावा 25000 रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप शामिल है।
  - फेलोशिप के अलावा उपकरण, कंप्यूटेशनल सुविधाओं, उपभोग्य सामग्रियों (consumables), आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के लिये अनुदान योग्यता के आधार पर कवर किया जाता है।
  - यह फैलोशिप चयनात्मक रूप से संस्थान-विशिष्ट के बजाय वैज्ञानिक विशिष्ट है और अकादमिक की निगरानी में है।
- पुरस्कार के लिये चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ स्वतंत्र अनुसंधान करने की अनुमति है।
  - परियोजना में नवीन अनुसंधान विचार शामिल होने चाहिये और इनमें अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिये।
- चयनित अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के मानदंडों के आधार पर वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।
  - SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।

पद्म पुरस्कार 2020

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020 के लिये 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किये।

- इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर की जाती है।
  - वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार संक्षिप्त रूप से वर्ष 1978, वर्ष 1979 और वर्ष 1993 से वर्ष 1997 के दौरान निलंबित हुआ।
  - यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
- उद्देश्य:
  - यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्त्व शामिल है।
- श्रेणियाँ:
  - ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:
    - पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
    - पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)
    - पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)
  - पद्म भूषण और पद्म श्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है।

- संबंधित क्षेत्र:
  - ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि।
- चयन प्रक्रिया:
  - पद्म पुरस्कार समिति: ये पुरस्कार 'पद्म पुरस्कार समिति' द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं, जिसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
  - राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त: ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर वर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में प्रदान किये जाते हैं।

भारत रत्न:

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है।
- इसे पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर चिह्नित किया जाता है। भारत रत्न के लिये प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती हैं। भारत रत्न के लिये किसी औपचारिक सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक सीमित है। सरकार अब तक 45 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान कर चुकी है।

यमुना में झाग

हाल ही में यमुना नदी के कुछ हिस्सों पर झाग की एक परत तैरती हुई देखी गई जो अब दिल्ली में एक बार-बार होने वाली घटना बन गई है।

- इससे पहले यमुना में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण दिल्ली की जलापूर्ति में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा था।

प्रमुख बिंदु:

- झाग बनने को रोकने हेतु उठाए गए कदम:
  - दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee- DPCC) ने भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं होने वाले साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण तथा परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal- NGT) द्वारा नियुक्त 'यमुना मॉनिटरिंग कमेटी' की पाँचवीं रिपोर्ट में कहा गया है कि डिटर्जेंट के लिये BIS के मानकों में सुधार किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये मानक वास्तव में लागू होंगे या नहीं।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB), डीपीसीसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Boards- PCBs) जैसे नियामक निकायों की भूमिका आमतौर पर निर्वहन/प्रवाह मानकों को लागू करने तक ही सीमित है।

यमुना

- उद्गम: यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊँचाई पर निम्न हिमालय की मसूरी रेंज से बंदरपूँछ चोटियों (Bandarpoonch Peaks) के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
- बेसिन: यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में संगम (जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है) में गंगा नदी से मिलती है।
- लंबाई: 1376 किमी.
- महत्त्वपूर्ण बांध: लखवाड़-व्यासी बांध (उत्तराखंड), ताज़ेवाला बैराज बांध (हरियाणा) आदि।
- महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ: चंबल, सिंध, बेतवा और केन।

नोट :

श्रीनगर: यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network- UCCN) के एक भाग के रूप में नामित किया है।

- मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर है।

प्रमुख बिंदु

- श्रीनगर के बारे में:
  - श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का यह दूसरा शहर है।
  - यह न केवल श्रीनगर शहर को वैश्विक पहचान देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, शिल्प विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और उत्पाद प्रोत्साहन के रूप में 'पिचिंग क्राफ्ट' (Pitching Craft) में भी मदद करेगा।
  - इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की राजधानी (श्रीनगर) विश्व के 295 'रचनात्मक शहरों के नेटवर्क' क्लब में शामिल हो गई है।
  - यूनेस्को द्वारा हर वर्ष विश्व के विभिन्न शहरों को अपनी 'यूसीसीएन' परियोजना (UCCN Project) में शामिल करने हेतु आवेदन मांगे जाते हैं। भारत में यह आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UCCN):
  - इसे वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था।
  - इसका उद्देश्य "उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं।"
    - सतत् विकास लक्ष्य- 11 (Sustainable Development Goal- 11) का उद्देश्य सतत् शहरों और समुदायों से संबंधित है।
  - नेटवर्क में सात रचनात्मक क्षेत्र शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत शामिल हैं।
- UCCN में शामिल भारत के शहर:
  - श्रीनगर - शिल्प और लोक कला (2021)
  - मुंबई - फिल्म (2019)।
  - हैदराबाद - गैस्ट्रोनॉमी (2019)।
  - चेन्नई- संगीत का रचनात्मक शहर (2017)।
  - जयपुर- शिल्प और लोक कला (2015)।
  - वाराणसी- संगीत का रचनात्मक शहर (2015)।

यूनेस्को

- यूनेस्को के बारे में:
  - यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिये प्रयासरत है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई तथा इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।
- यूनेस्को की प्रमुख पहलें:
  - मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम
  - विश्व धरोहर कार्यक्रम
  - ग्लोबल जिओ पार्क नेटवर्क

- रचनात्मक शहरों का नेटवर्क
- 'एटलस ऑफ द वल्ड्र्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर
- रिपोर्ट्स:
  - यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट
  - वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
  - स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया

आईएनएस 'वेला'

हाल ही में 'प्रोजेक्ट-75' के तहत निर्मित चौथी स्कॉर्पीन सबमरीन 'आईएनएस वेला' भारतीय नौसेना को प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- स्कॉर्पीन श्रेणी की सबमरीन:
  - 'प्रोजेक्ट-75' के तहत शामिल स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियाँ 'डीज़ल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम' द्वारा संचालित होती हैं।
  - स्कॉर्पीन सर्वाधिक परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है, जो एंटी-सरफेस शिप वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, खदान बिछाने और क्षेत्र-विशिष्ट की निगरानी सहित कई मिशनों को पूरा करने में सक्षम है।
  - 'स्कॉर्पीन' श्रेणी जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए 'आईएनएस सिंधुशास्त्र' के बाद लगभग दो दशकों में नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है।
- प्रोजेक्ट-75
  - यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसमें छह स्कॉर्पीन श्रेणी की 'अटैक सबमरीन' का निर्माण शामिल है।
    - कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का डिज़ाइन 'फ्रेंच स्कॉर्पीन श्रेणी' की पनडुब्बियों पर आधारित है।
  - इसे निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) और भारतीय नौसेना द्वारा समर्थन किया जाता है।
  - मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL) अक्तूबर, 2005 में हस्ताक्षरित 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत फ्राँस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने के साथ छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।
    - 'मझगाँव डॉक लिमिटेड' शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
  - परियोजना-75 के तहत अन्य सबमरीन:
    - दो पनडुब्बियों- कलवरी और खांदेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
    - स्कॉर्पीन 'वागीर' का परीक्षण चल रहा है।
    - छठी पनडुब्बी- आईएनएस 'वाग्शीर' निर्माणाधीन है।

कार्मिकों को तनावमुक्त करने के लिये CRPF ने लॉन्च किया चौपाल

हाल ही में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिये 'चौपाल' जैसे गेट-टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है।

- चौपाल, ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोकप्रिय बैठक/समागम जैसी गतिविधि है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सप्ताह में एक या दो बार, 18-20 कर्मचारी बाहर (संभवत: एक पेड़ के नीचे) एक घेरे में कुर्सियों पर बैठेंगे। चौपाल, जिसकी योजना पहले से ही निर्धारित होगी, में सभी रैंक के कर्मी शामिल होंगे और ये सभी सिविल ड्रेस में होंगे न कि वर्दी में।
    - कंपनी, प्लाटून या सेक्शन कमांडरों को अनिवार्य रूप से चौपाल "ग्रुप शेयरिंग अभ्यास" का हिस्सा होना होगा।

- वरिष्ठ अधिकारी सैनिकों की कठिनाइयों और अन्य मुद्दों (जो मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं) को जानने के लिये उनके साथ बातचीत करेंगे।
  - इन कार्मिकों की प्रणाली में नियमित योग कक्षाएँ, दैनिक व्यायाम, परामर्श और अन्य उपचारात्मक उपाय पहले से शामिल हैं, लेकिन मानसिक तनाव तथा इन बलों की थकान को दूर करने के लिये कुछ और करने की आवश्यकता है।
- आत्महत्या की घटनाएँ
  - वर्ष 2020 से सितंबर 2021 तक सबसे बड़े अर्द्ध-सैनिक बल में आत्महत्या के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 में सबसे अधिक भ्रातृहत्याएँ (Fratricides) की गईं।
  - वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में आत्महत्या करने वालों की संख्या क्रमशः 38, 38, 43 और 60 थी।
- आत्महत्या के कारण
  - घरेलू समस्याएँ, बीमारी, वित्तीय समस्याएँ, जवानों को छुट्टी की नमंज़ूरी और कभी-कभी सख्त पोस्टिंग आत्महत्या के कुछ प्रमुख कारक हैं।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

- CRPF 27 जुलाई, 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस (Crown Representative's Police) के रूप में अस्तित्व में आया। यह 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल बन गया।
- CRPF का मिशन सरकार को कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के शासन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखने में सक्षम बनाना है, ताकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखा जा सके और सामाजिक सद्भाव तथा विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (गृह मंत्रालय के तहत) में से एक है।

ओनाके ओबाव्वा

कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष (2021) से पूरे राज्य में 11 नवंबर को 'ओनाके ओबव्वा जयंती' (Onake Obavva Jayanti) के रूप में मनाने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- ओनाके ओबाव्वा के बारे में:
  - ओनाके ओबाव्वा एक महिला योद्धा थीं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल (कन्नड़ में 'ओनाके') के साथ अकेले ही 'हैदर अली' की सेना से लड़ाई लड़ी थी।
  - मैसूर साम्राज्य के शासक और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने चित्रदुर्ग किले पर आक्रमण किया, जिस पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक (Madakari Nayaka) का शासन था।
  - चित्रदुर्ग किला जिसे स्थानीय रूप से एलुसुतिना कोटे (सात मंडलों का किला) के रूप में जाना जाता है, बंगलूरू से 200 किमी. उत्तर-पश्चिम में चित्रदुर्ग में स्थित है।
    - ओनाके ओबाव्वा सैनिक कहले मुड्डा हनुमा की पत्नी थीं, जो किले के रक्षक थे।
- ओबाव्वा का महत्त्व:
  - ओबाव्वा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है तथा कर्नाटक राज्य की अन्य महिला योद्धाओं में शामिल किया जाता है जैसे-
    - अब्बक्का रानी (तटीय कर्नाटक में उल्लाल की पहली तुलुवा रानी जो पुर्तगालियों से लड़ी)।
    - केलाड़ी चेनम्मा (केलाडी साम्राज्य की रानी जो मुगल सम्राट औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ने के लिये जानी जाती है)।
    - कित्तूर चेन्नम्मा (कित्तूर की रानी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 के विद्रोह के लिये जाना जाता है)।

- वर्ष 2018 में ओनाके ओबाव्वा से प्रेरित होकर चित्रदुर्ग पुलिस ने ज़िले में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से महिला पुलिस कांस्टेबलों के लिये 'ओबव्वा पदे' (Obavva Pade) की शुरुआत की।

जनजातीय गौरव दिवसः 15 नवंबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- जनजातीय गौरव दिवसः
  - सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 'जनजातीय गौरव दिवस' का आयोजन किया जाएगा।
    - उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन किये। इन आदिवासी समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मिज़ो और कोल शामिल हैं।
  - प्रधानमंत्री द्वारा रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा।
  - 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है।
- आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी:
  - बिरसा मुंडा:
    - उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबद्ध थे।
    - उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दि आंदोलन का नेतृत्व किया।
  - शहीद वीर नारायण सिंह:
    - उन्हें छत्तीसगढ़ में सोनाखान का गौरव माना जाता है, उन्होंने वर्ष 1856 के अकाल के बाद व्यापारियों के अनाज के स्टॉक को लूट लिया और गरीबों में बाँट दिया।
    - वीर नारायण सिंह के बलिदान ने उन्हें आदिवासी नेता बना दिया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने।
  - श्री अल्लूरी सीता राम राजू:
    - उनका जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लु नामक गाँव में हुआ था।
    - अल्लूरी को अंग्रेज़ों के खिलाफ 'रम्पा विद्रोह' का नेतृत्व करने के लिये सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी ज़िलों के आदिवासी लोगों को विदेशियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये संगठित किया।
    - वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिये बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित थे।
  - रानी गौंडिल्यू:
    - वह नगा समुदाय की आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में वह अपने चचेरे भाई हाइपौ जादोनांग के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गईं।
    - उनके लिये नगा लोगों की स्वतंत्रता की यात्रा स्वतंत्रता हेतु भारत के व्यापक आंदोलन का हिस्सा थी। उन्होंने मणिपुर क्षेत्र में गांधी जी के संदेश का भी प्रसार किया।
  - सिद्धू और कान्हू मुर्मू:
    - 30 जून, 1855 को 1857 के विद्रोह से दो वर्ष पूर्व दो संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों का एकत्र किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की।
    - आदिवासियों ने अंग्रेज़ों को अपनी मातृभूमि से भगाने की शपथ ली। मुर्मू भाइयों की बहनों फूलो और झानो ने भी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई।

आचार्य कृपलानी

हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती (11 नवंबर) पर श्रद्धांजलि दी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - उनका जन्म 11 नवंबर,1888 को सिंध (हैदराबाद) में हुआ था।
  - उनका मूल नाम जीवतराम भगवानदास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् थे।
- शिक्षाविद्:
  - वर्ष 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पूर्व विभिन्न स्थानों पर अध्यापन का कार्य किया।
  - वर्ष 1922 के आसपास जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे थे, तब उन्हें 'आचार्य' उपनाम प्राप्त हुआ।
- एक पर्यावरणविद्:
  - कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधियों में शामिल थे।
- स्वतंत्रता सेनानी:
  - वह असहयोग आंदोलन (1920-22) और सविनय अवज्ञा आंदोलनो (1930 में शुरू) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का हिस्सा रहे।
  - स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार (1946-1947) और भारत की संविधान सभा में योगदान दिया।
- राजनीतिक जीवन:
  - आज़ादी के बाद कॉन्ग्रेस छोड़कर वह किसान मज़दूर प्रजा पार्टी (KMPP) के संस्थापकों में से एक बन गए।
  - वह 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिये चुने गए।
  - उन्होंने भारत-चीन युद्ध (1962) के तुरंत बाद वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
    - वर्ष 1963 में एक कॉन्ग्रेसी नेता सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं, जबकि उनके पति आचार्य कृपलानी कॉन्ग्रेस के विरोधी बने रहे।
  - वह नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक थे। उन्हें आपातकाल (1975) के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था।
- उनकी आत्मकथा 'माई टाइम्स' (My Times) वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ अमेरिका

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होने वाला 101वाँ सदस्य देश बन गया है।

- इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की चौथी महासभा का आयोजन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' संधि-आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है।
  - 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन', 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये स्थानांतरित करना है।

नोट :

- पहल की शुरुआत:
  - यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं।
- सदस्य:
  - अमेरिका के शामिल होने के बाद कुल 101 सदस्य।
- मुख्यालय:
  - इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है।
- न्यू आईएसए प्रोग्राम:
  - सौर पीवी पैनलों और बैटरी उपयोग अपशिष्ट तथा सौर हाइड्रोजन कार्यक्रम के प्रबंधन पर न्यू आईएसए प्रोग्राम शुरू किये गए हैं।
    - नई हाइड्रोजन पहल का उद्देश्य सौर बिजली के उपयोग को वर्तमान (USD 5 प्रति किलोग्राम) की तुलना में अधिक किफायती दर पर हाइड्रोजन के उत्पादन में सक्षम बनाना है तथा इसके तहत इसे USD 2 प्रति किलोग्राम तक लाना है।

सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण

भारत-फ्राँस सैन्य अभ्यास शक्ति (SHAKTI) 2021(द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास) का छठा संस्करण नवंबर में फ्राँस के फ्रेजस (Frejus) में आयोजित किया जाएगा।

- गोरखा राइफल्स इन्फैंट्री बटालियन की एक प्लाटून इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्द्ध-शहरी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है।
  - दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक अभ्यास वर्ष 2011 में शुरू हुआ था।
    - यह भारत और फ्राँस द्वारा क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है।
  - अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण वर्ष 2019 में राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें 'अर्द्ध-रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों' का अभ्यास किया गया था।
- भारत और फ्राँस के बीच सैन्य अभ्यास:
  - वरुण - नौसेना अभ्यास
  - डेज़र्ट नाइट-21 और गरुड़ (वायुसेना अभ्यास)
  - शक्ति - सैन्य अभ्यास

नोट:

- गगन शक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के सम्पूर्ण विस्तारित क्षेत्र में अपने वायु सैन्य क्षमता के प्रभुत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।
- गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- हरिमऊ शक्ति भारत-मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास: यूएस, यूएई, बहरीन और इज़रायल

संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इज़रायल और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड (NAVCENT) की सेनाओं ने 'लाल सागर' में एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभियान अभ्यास शुरू किया।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़रायल और दो खाड़ी देशों (संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन) के बीच सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पहला नौसैनिक अभ्यास है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने ईरान के संबंध में साझा चिंताओं और आर्थिक लाभ की उम्मीदों के चलते एक साथ लाए गए अब्राहम समझौते के माध्यम से अमेरिका के नेतृत्व में इज़रायल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य किया था।
    - यूएस फिफ्थ फ्लीट/NAVCENT, बहरीन में स्थित है और अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर तथा हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में संचालित होता है।
  - विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी 2021 से ईरान और इज़रायल 'शैडो वॉर' में संलग्न हैं, जिसके तहत दोनों राष्ट्रों द्वारा एक-दूसरे के जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है।
  - वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिये ईरान और प्रमुख शक्तियों (P5 +1) के बीच वार्ता 29 नवंबर, 2021 को वियना में फिर से शुरू होगी, हालाँकि यदि यह वार्ता विफल होती है तो इससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ सकता है।
  - लाल सागर में आयोजित इस पाँच दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले सुरक्षा बलों के बीच अंत:क्रियाशीलता को बढ़ाना है।
    - यह समुद्री सहयोग नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापार के मुक्त प्रवाह की रक्षा करने में मदद करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये आवश्यक है।
  - इस अभ्यास में 'यूएसएस पोर्टलैंड' (एक परिवहन डॉक जहाज़) पर बोर्डिंग, खोज और ज़ब्ती संबंधी प्रशिक्षण शामिल है।
- लाल सागर:
  - लाल सागर एक अर्द्ध-संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन (Semi-Enclosed Tropical Basin) है, जो उत्तर-पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है।
  - लंबा और संकीर्ण आकार का यह बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तर-पश्चिम तथा हिंद महासागर से दक्षिण-पूर्व तक फैला हुआ है।
  - उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी (Gulf of Aqaba) और स्वेज़ की खाड़ी (Gulf of Suez) से अलग हो जाता है, जो स्वेज़ नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
  - दक्षिणी छोर पर यह बाब अल मंदेब (Bab-el-Mandeb) जलडमरूमध्य द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
  - यह रेगिस्तानी या अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसमें कोई भी बड़ा ताज़े पानी का प्रवाह नहीं है।
  - 6 सीमावर्ती देश: यमन; सऊदी अरब; मिस्र; सूडान; इरिट्रिया; जिबूती।

'इंडिया-थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल' (कॉर्पेट) का 32वाँ संस्करण

हाल ही में भारतीय नौसेना और 'रॉयल थाई नौसेना' के बीच 'इंडिया-थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल' (इंडो-थाई कॉर्पेट) का 32वाँ संस्करण आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- नौसेना अभ्यास के विषय में:
  - भारत और थाईलैंड वर्ष 2005 से वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर 'कॉर्पेट' का संचालन कर रहे हैं।

- भारतीय नौसेना जहाज़ (INS)- 'कर्मुक', स्वदेश निर्मित मिसाइल- 'कार्वेट' और 'हिज़ मेजेस्टीज़ थाईलैंड शिप' (HTMS)- 'तायनचोन' (खामरोसिन क्लास की एंटी-सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट) इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।

- उद्देश्य
  - इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मज़बूत करना और हिंद महासागर के इस महत्त्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये सुरक्षित रखना है।
  - यह अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु उपाय प्रदान करता है।
  - यह तस्करी, अवैध अप्रवास की रोकथाम और समुद्र में खोज एवं बचाव (SAR) ऑपरेशन के संचालन हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद करता है।
- भारत के सागर विज़न के अनुरूप:
  - 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल) के भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
  - यह कार्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, समन्वित गश्ती, संयुक्त EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) निगरानी तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) संचालन के माध्यम से किया गया है।
- भारत और थाईलैंड के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:
  - 'मैत्री' अभ्यास (सेना)।
  - 'सियाम-भारत' अभ्यास (वायुसेना)।

कैसर-ए-हिंद

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली 'कैसर-ए-हिंद' को राज्य तितली के रूप में मंज़ूरी दी है।

- 'कैसर-ए-हिंद' का शाब्दिक अर्थ है 'भारत का सम्राट'।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक नाम: टीनोपालपस इम्पीरियलिस
- पर्यावास:
  - यह दुर्लभ और स्वेलोटेल तितलियों में से एक है जो मध्यम और उच्च ऊँचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है।
    - स्वॉलोटेल, तितली परिवार- 'पैपिलियोनिडे' ('लेपिडोप्टेरा' ऑर्डर) में तितलियों का एक समूह है।
  - यह चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ऊँचाई पर पाई जाती है।
    - समशीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं।
  - 90-120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ (पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर) में भी पाई जाती है।
    - इसकी उपस्थिति एक बेहतर वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं संरक्षण के अस्तित्व को इंगित करती है।
  - यह तितली नेपाल, भूटान, म्याँमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है।
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN: निकट संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट- II
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- II

तितली

- परिचय:
  - तितलियाँ, आर्थ्रोपोडा फाइलम के लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबद्ध कीड़े हैं, जिसमें पतंगें भी शामिल हैं।
  - वयस्क तितलियों में बड़े और प्राय: चमकीले रंग के पंख मौजूद होते हैं।
  - हाल ही में 'गोल्डन बर्डविंग' (ट्रोइड्स ऐकस) के रूप में प्रसिद्ध एक हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है।
- महत्त्व:
  - समृद्ध जैव विविधता: किसी भी क्षेत्र में तितलियों की प्रचुरता समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है।
  - संकेतक प्रजाति: तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है।
    - एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। यह पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं में गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी दर्शाती है।
  - परागणक: यह परागण में मदद करके और पौधों की कई प्रजातियों के संरक्षण में परागकण के रूप में कार्य करती है।

नोरोवायरस

हाल ही में केरल में नोरोवायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह वायरस का एक समूह है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है।
  - यह गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट व आँतों की सूजन का कारण बनता है।
  - नोरोवायरस कई कीटाणुनाशकों के लिये प्रतिरोधी है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकता है। इसलिये केवल भोजन को अधिक ताप पर पकाने या पानी को क्लोरीनेट करने से वायरस नहीं मरता है। यह वायरस आमतौर पर कई हैंड सैनिटाइज़र से भी बच सकता है।
- संक्रमण:
  - एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस से संक्रमित हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होने से उसे वायरस के अन्य वैरिएंट से सुरक्षा नहीं मिलती है।
  - दूषित सतहों या भोजन के माध्यम से वायरस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है।
  - वायरस मुख्य रूप से 'ओरल फैकल' द्वारा फैल सकता है।
    - रोग का प्रकोप आमतौर पर क्रूज़ जहाज़ों, नर्सिंग होम, डॉर्मिटरी और अन्य बंद स्थानों में होता है।
- संवेदनशील:
  - वायरस सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सह-विकृतियों से ग्रस्त लोगों में गंभीर लक्षण पैदा करने के लिये जाना जाता है।
- लक्षण:
  - दस्त, उल्टी, पेट दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएँ आदि इसके लक्षण हैं।
- उपचार:
  - इस वायरस हेतु कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, डायरिया और उल्टी के लिये जेनेरिक दवाएँ इस बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं।
- स्थिति:
  - इसके वार्षिक रूप से 685 मिलियन मामले आते हैं, जिनमें से 200 मिलियन मामले पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं।
  - इस वायरस के कारण होने वाले डायरिया से हर साल लगभग 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है।

विविध

राष्ट्रीय एकता दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2014 में पहली बार 'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया था। गौरतलब है कि यह विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता के समय विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिये राज़ी करने में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका थी। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी, जिसका अर्थ 'प्रमुख या नेता' होता है। भारत को एकीकृत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान के लिये उन्हें भारत की एकजुटता के वास्तविक सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें 'भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक' के रूप में भी याद किया जाता है।

इंदिरा गांधी

31 अक्तूबर, 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री थीं। वर्ष 1959 में उन्हें कॉन्ग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्त्व में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनीं। वर्ष 1975 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में आपातकाल लागू किया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक 'काला अध्याय' माना जाता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए चुनावों में वे हार गईं, जिसके बाद वर्ष 1980 में हुए चुनावों में एक बार फिर सत्ता में आईं। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को अंजाम दिया गया। 31 अक्तूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिये जाना जाता था और उन्होंने बांग्लादेश के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

'लॉन्ग रेंज बम' का परीक्षण

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) और भारतीय वायुसेना (IAF) ने स्वदेशी रूप से विकसित 'लॉन्ग रेंज बम' (LRB) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस 'लॉन्ग रेंज बम' को DRDO प्रयोगशालाओं के समन्वय से तेलंगाना स्थित DRDO की प्रयोगशाला- 'रिसर्च सेंटर इमरत' (RCI) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। 'रिसर्च सेंटर इमरत' प्रयोगशाला 'एवियोनिक्स सिस्टम' के अनुसंधान व विकास में शामिल है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व ओडिशा के तट पर 'एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप' से 'अग्नि-5 मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।

फेसबुक का नाम परिवर्तन

दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर 'मेटा' (Meta) करने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह नया नाम सोशल मीडिया से परे कंपनी की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। फेसबुक ने वर्चुअल तकनीक के क्षेत्र में भी अपने कार्य का विस्तार किया है। यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह केवल 'पैरेंट कंपनी' पर लागू होता है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि 'मेटावर्स' के माध्यम से एक ऐसे वर्चुअल विश्व का निर्माण किया जाएगा, जहाँ लोग वर्चुअल वातावरण में गेम खेल सकेंगे, काम कर सकेंगे और संवाद कर सकेंगे।

नोट :

'आर्मी एविएशन कोर' का 36वाँ स्थापना दिवस

01 नवंबर, 2021 को 'आर्मी एविएशन कोर' द्वारा अपना 36वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। 'आर्मी एविएशन कोर' अथवा सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है जिसका गठन 1 नवंबर, 1986 को किया गया था। 'आर्मी एविएशन कोर' द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं में सैन्य परीक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य आदि शामिल है। 'आर्मी एविएशन कोर' के हेलीकॉप्टर शांतिकाल में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों में भी भाग लेते हैं। कुछ स्थितियों में आर्मी एविएशन कोर भी 'एयरबोर्न कमांड पोस्ट' (Airborne Command Posts) के रूप में कार्य कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो वे 'ग्राउंड कमांड पोस्ट' (Ground Command Posts) की भी जगह ले सकते हैं। गौरतलब है कि यह सियाचिन ग्लेशियर सहित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सेना की तैनाती में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जून 2021 में सेना विमानन कोर में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिये दो महिला अधिकारियों का चयन किया गया था। वे जुलाई 2022 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद फ्रंट-लाइन फ्लाइंग ड्यूटी में शामिल होंगी।

'डेयरी सहकार' योजना

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के अवसर पर 'डेयरी सहकार' योजना का शुभारंभ किया है। 'डेयरी सहकार' योजना को 5000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' (NCDC) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 'सहकारिता से समृद्धि तक' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के माध्यम से डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारी संस्थाओं की वित्तीय मदद की जाएगी, ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्द्धन, पैकेजिंग, विपणन, माल यातायात, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा 'किसानों की आय दोगुनी करने' व 'आत्मनिर्भर भारत' के समग्र उद्देश्य के तहत दुग्ध उत्पादों के निर्यात संबंधी गतिविधियाँ चला सकें। ज्ञात हो कि केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी सेक्टर के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है। 'डेयरी सहकार' योजना से देश के डेयरी सेक्टर को मज़बूत करने के मौजूदा प्रयासों को बल मिलेगा।

तटरक्षक जहाज़ 'सार्थक'

राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज़ 'सार्थक' को भारतीय तटरक्षक द्वारा कमीशन किया गया। भारतीय तटरक्षक जहाज़ 'सार्थक' गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा और तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर-पश्चिम) के कमांड के संचालन तथा प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट से संचालित होगा। 'सार्थक' जहाज़ की कमान उप-महानिरीक्षक 'एम.एम. सैयद' के पास है और इसमें 11 अधिकारी तथा 110 अन्य कर्मी शामिल हैं। 'सार्थक' जहाज़ 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिये बनाए जा रहे पाँच 'ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल' (OPVs) की श्रृंखला में चौथा है। 'ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल' एक बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जो समवर्ती संचालन में सक्षम हैं। 105 मीटर लंबा यह जहाज़ दो 9,100 किलोवाट डीज़ल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह जहाज़ अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनरी, सेंसर और हथियारों से सुसज्जित है।

सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: सूरत

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया घोषणा के मुताबिक, सूरत शहर ने देश में 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली' का पुरस्कार जीता है, जबकि कोच्चि को सबसे 'सतत् परिवहन प्रणाली' वाला शहर माना गया है। ये पुरस्कार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक दिवसीय 'अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस' के अंत में प्रदान किये गए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को 'चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना' हेतु सर्वश्रेष्ठ गैर-मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार मिला। साथ ही दिल्ली ने 'सर्वश्रेष्ठ मेट्रो यात्री सेवा' का पुरस्कार भी जीता। ज्ञात हो कि वर्तमान में दुनिया की शहरी आबादी, कुल आबादी का तकरीबन 56% है, जो कि वर्ष 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगी और इस वृद्धि का लगभग 90% एशिया एवं अफ्रीका में दर्ज किया जाएगा। ऐसे में इस पुरस्कार का उद्देश्य सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

02 नवंबर, 2021 को देश भर में छठा 'राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस' मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती (धनतेरस) के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य वर्तमान

पीढ़ी को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना और समाज में चिकित्सा के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 में यह दिवस 13 नवंबर को मनाया गया था। ध्यातव्य है कि आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य-शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ है 'जीवन का विज्ञान' (संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है 'दीर्घ आयु' या आयु और वेद का अर्थ 'विज्ञान' से है। आयुर्वेद पूर्णरूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदयम प्रमुख हैं। आयुर्वेद प्रमुख रूप से त्रिदोष- वात, पित्त और कफ पर आधारित है। तीनों दोष जब शरीर में में सम अवस्था में रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा दोषों की विषम अवस्था होने पर रोग उत्पन्न होते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस वर्ष जुलाई माह में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अशोक भूषण को सरकारी अधिसूचना के अनुसार, चार वर्ष की अवधि के लिये या '70 वर्ष की आयु तक' के लिये नियुक्त किया गया है। इसी वर्ष सितंबर माह में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि सरकार आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति न करके 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण' जैसे न्यायाधिकरणों को 'निष्क्रिय' कर रही है। 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण' का गठन 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। NCLAT एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

शक्तिकांत दास

केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया है और नई अधिसूचना के मुताबिक, शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक रिज़र्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे। ज्ञात हो कि शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर, 2018 को तीन वर्ष की अवधि के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक का 25वाँ गवर्नर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पूर्व उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की और साथ ही वित्त, कराधान, उद्योग और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है।

विश्व सोरायसिस दिवस

सोरायसिस से पीड़ित लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिये प्रतिवर्ष 29 अक्तूबर को 'विश्व सोरायसिस दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'विश्व सोरायसिस दिवस' को पहली बार वर्ष 2004 में मनाया गया था। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सोरायसिस के विषय में जागरूकता के महत्त्व को पहचानते हुए 29 अक्तूबर को इस दिवस के आयोजन के प्रस्ताव को अपनाया था। ज्ञात हो कि 'सोरायसिस' अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाला रोग है। जहाँ एक ओर एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली 30 दिनों के भीतर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वहीं सोरायसिस रोगियों के शरीर में 2-3 दिनों के भीतर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।

बुकर पुरस्कार

दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास 'द प्रॉमिस' के लिये वर्ष 2021 के 'बुकर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि डेमोन गैलगट को वर्ष 2003 और वर्ष 2010 में भी इस पुरस्कार के लिये नामित किया गया था। डेमोन गैलगट वर्ष 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से यह पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं। डेमोन गैलगट का उपन्यास 'द प्रॉमिस' एक श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपनी अश्वेत घरेलू सहायक को घर देने का वादा किया है। बुकर पुरस्कार अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि सर्वोत्तम अंग्रेज़ी उपन्यास को दिया जाता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम (UK) या आयरलैंड में होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में अंग्रेज़ी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 50 हज़ार पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। बीते वर्ष स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास 'शुग्गी बैन' के लिये बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

नोट :

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को 'विश्व सुनामी जागरूकता दिवस' का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घातक आपदा के कारण पिछली एक सदी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 'सुनामी' (Tsunami) शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है, जहाँ 'सु' (Tsu) शब्द का अर्थ है 'बंदरगाह' (Harbour) और 'नामी' (Nami) का अर्थ है 'लहर' (Waves)। प्राय: तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती है, फलस्वरूप समुद्री सतह पर ज़बरदस्त उथल-पुथल मचती है और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी-बड़ी लहरों के रूप में उठता है। यद्यपि महासागरों में ये बहुत कम ऊँचाई की होती हैं, किंतु जैसे-जैसे ये किनारों की ओर बढ़ती हैं तो इनकी ऊँचाई और तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीव्र और ऊँची लहरें धरातल पर सुनामी कहलाती हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सबसे घातक सुनामी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

'जनसेवक' योजना और 'जनस्पंदन' प्लेटफॉर्म

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में नागरिकों को तकरीबन 58 सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु 'जनसेवक' नामक योजना की शुरुआत की है। पहले चरण के दौरान यह योजना बंगलूरू के सभी 198 नगरपालिका वार्डों में लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आम लोगों को घर पर ही सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति खाता प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 'जनस्पंदन' नामक एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों को किसी भी सरकारी योजना या सेवा की शिकायत करने के लिये एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा।

आकाश कुमार

भारतीय मुक्केबाज़ आकाश कुमार (54 किग्रा) ने एआईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में 'कांस्य पदक' जीता है। गौरतलब है कि 'इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन' द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप को दुनिया की सबसे बड़ी मुक्केबाज़ी स्पर्द्धाओं में से एक माना जाता है, जिसमें भारत ने अब तक कुल छह पदक जीते हैं, इसमें अमित पंघाल (2019 में रजत), विजेंदर सिंह (2009 में कांस्य), विकास कृष्ण (2011 में कांस्य), शिव थापा (2015 में कांस्य), गौरव बिधूड़ी (2017 में कांस्य) और मनीष कौशिक (2019 में कांस्य) शामिल हैं। गौरतलब है कि 'एआईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप' अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (AIBA) द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मुक्केबाज़ी प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार वर्ष 1974 में हवाना, क्यूबा में किया गया था।

इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम

हाल ही में इज़राइल ने अत्यधिक ऊँचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने हेतु डिज़ाइन की गई एक विशाल 'इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम' का परीक्षण शुरू कर दिया है। इज़राइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, विशालकाय 'ब्लिंप' के आकार का यह सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है। इसे राज्य के स्वामित्व वाली 'इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़' की सहायक कंपनी और यू.एस. एयरोस्टेट निर्माता 'TCOM' के सहयोग से विकसित किया गया है। गौरतलब है कि इज़राइल के पास पहले से ही एक परिष्कृत मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद है, जिसका उपयोग इस वर्ष 11-दिवसीय गाजा युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक किया गया था। गाज़ा के उग्रवादी हमास शासकों से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिये इज़राइल ने हाल के वर्षों में आक्रामक रूप से अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में इज़राइल के पास विश्व के सभी बड़े शहरों पर हमला करने की क्षमता है। गाजा युद्ध के दौरान इज़रायल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

राहुल द्रविड़

भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की पुष्टि करते हुए 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' (BCCI) ने कहा कि राहुल द्रविड़ न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू होने वाली द्विपक्षीय शृंखला से टीम की कमान संभालेंगे। ज्ञात हो कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। राहुल द्रविड़ इससे पूर्व बंगलूरू में 'राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी' (NCA) के प्रमुख थे और उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया है। गौरतलब है कि राहुल द्रविड़ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1996 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी। राहुल द्रविड़ ने भारत की ओर से 164 टेस्ट मैच और 344 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमश: 13288 और 10889 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने भारत की ओर से केवल ही टी20 मैच खेला।

ड्वेन ब्रावो

वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 07 अक्तूबर, 1983 को त्रिनिदाद में जन्में ड्वेन ब्रावो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध एकदिवसीय मैच में की थी। ड्वेन ब्रावो ने वेस्टइंडीज़ के लिये 40 टेस्ट मैच, 164 एकदिवसीय मैच और 90 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 2200, 2968 और 1245 रन बनाए। उन्होंने गेंदबाज़ी में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया और डेथ ओवरों में उन्हें काफी प्रभावी माना जाता है। ज्ञात हो कि ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज़ की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने वर्ष 2012 और वर्ष 2016 में टी20 विश्व कप जीता था। इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिये खेला है।

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड'

07 नवंबर, 2021 को 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (NTPC) का 47वाँ स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा कि सरकार एनटीपीसी को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर आगे बढ़ रही है। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। एनटीपीसी-आरईएल, एनटीपीसी की 100 % हिस्सेदारी वाली कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेज़ी लाने के लिये की गई थी। इसका उद्देश्य नवाचार द्वारा संचालित किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय बिजली तथा संबंधित समाधान प्रदान करना है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया। यह नई दिल्ली में स्थित है। 'डी.वी कपूर' एनटीपीसी के पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया गया था।

भारत और भूटान के बीच सात नए प्रवेश और निकास बिंदु

सरकार ने हाल ही में व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के उपायों के तहत भारत और भूटान में व्यापार के लिये सात अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु शुरू करने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत और भूटान के बीच व्यापार और ट्रांज़िट मुद्दों पर आयोजित वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में लिया गया। इन सात नए प्रवेश बिंदुओं में नगरकाटा लैंड सीमा शुल्क स्टेशन; अगरतला लैंड सीमा शुल्क स्टेशन; पांडु बंदरगाह (गुवाहाटी स्टीमरघाट); जोगीघोपा बंदरगाह और एशियाई राजमार्ग 48, कामर्दविसा एवं बीरपार आदि शामिल हैं। यह व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर 2016 के भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल का एक परिशिष्ट होगा। इससे पारस्परिक लाभ के लिये भारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 के बाद से भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2014-15 के 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1083 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिये 75% आरक्षण को लागू करने का उसका अधिनियम 15 जनवरी, 2022 से लागू होगा। ध्यातव्य है कि हरियाणा सरकार का यह अधिनियम राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से एक निर्दिष्ट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले नियोक्ताओं पर न्यूनतम 10,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन

वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 01 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए एडमिरल स्वामीनाथन 'संचार और इलेक्ट्रॉनिक' युद्ध के विशेषज्ञ हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक हासिल करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन ने अपने नौसैनिक कॅरियर में मिसाइल जहाज़ों, आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कार्वेट, आईएनएस कुलिश; गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर तथा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर कार्य किया है।

विश्व रेडियोग्राफी दिवस

'एक्स-रे' अथवा 'एक्स-रेडिएशन' की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 08 नवंबर को 'विश्व रेडियोग्राफी दिवस' मनाया जाता है। गौरतलब है कि 8 नवंबर, 1895 को जर्मन वैज्ञानिक 'विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन' द्वारा 'एक्स-रे' प्रणाली की खोज की गई थी। उनकी इस खोज के लिये उन्हें

वर्ष 1901 में फिज़िक्स में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, जो कि मौजूद चिकित्सा पद्धति में रोगियों के निदान एवं उपचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन से पूर्व 10 फरवरी को विल्हेम रॉन्टगन की पुण्यतिथि को चिह्नित करने हेतु 'यूरोपीय रेडियोलॉजी दिवस' का आयोजन किया जाता था।

उत्तराखंड स्थापना दिवस

09 नवंबर, 2021 को उत्तराखंड का 21वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर, 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्त्व में आया था और बाद में वर्ष 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। उत्तराखंड की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं और देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ मुख्य तौर पर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि गढ़वाली और कुमाऊँनी यहाँ की स्थानीय बोलियाँ हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day-NLSD) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी। भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया। इसलिये 9 नवंबर को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस' के रूप में चिह्नित किया गया है। 'नालसा' का गठन समाज के कमज़ोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश 'नालसा' का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की शिल्प और कला को व्यापक मान्यता मिलने के साथ ही श्रीनगर, शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है। इस नेटवर्क में अब 90 देशों के 295 शहर शामिल हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क को वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था, जिन्होंने रचनात्मकता को सतत् शहरी विकास हेतु एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। इसका उद्देश्य अभिनव सोच और कार्रवाई के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना है। इसमें संगीत, कला, लोकशिल्प, डिज़ाइन, सिनेमा, साहित्य तथा डिजिटल कला और पाक कला जैसे सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। यह नेटवर्क उन शहरों को एक साथ लाता है जिन्होंने अपनी रचनात्मकता के आधार पर विकास किया है।

वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार

सरकार ने वाइस एडमिरल 'आर. हरि कुमार' को नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मौजूद नौसेना प्रमुख एडमिरल 'करमबीर सिंह' 30 नवंबर, 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 12 अप्रैल, 1962 को जन्मे वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार को 1 जनवरी, 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। लगभग 39 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों पर काम किया है। वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार ने आईएनएस निशंक, मिसाइल कार्वेट, आईएनएस कोरा और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर पर कार्य किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विराट पर भी बतौर कमांडर अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के संचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार ने 'नेवल वॉर कॉलेज' (अमेरिका), आर्मी वॉर कॉलेज (महू) और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ (यूके) में अध्ययन किया है। वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।

'लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स' इंडेक्स

सरकार द्वारा जारी हालिया 'लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स' (LEADS) इंडेक्स के मुताबिक, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, 'माल' (Goods) की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसके अलावा शीर्ष पाँच राज्यों की सूची में तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने वर्ष 2019 की रैंकिंग की तुलना में उल्लेखनीय सुधार किया है और शीर्ष सुधारकर्त्ता के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया 'लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स' (LEADS) इंडेक्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को माल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किये गए लॉजिस्टिक समर्थन के मामले में रैंक प्रदान करता है। यह रैंकिंग अन्य मापदंडों के साथ-साथ मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्द्धात्मकता, समयबद्धता, बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता और सेवाओं की उपलब्धता जैसे मापदंडों पर आधारित है। इसका उद्देश्य राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स से संबंधित बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

'4660 नेरेस' एस्ट्रॉयड

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी' (NASA) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि '4660 नेरेस' नामक एक एस्ट्रॉयड/क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह एस्ट्रॉयड फुटबॉल पिच के आकार से लगभग तिगुना बड़ा और एफिल टॉवर जितना लंबा है। नासा द्वारा '4660 नेरेस' एस्ट्रॉयड को 'संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नासा के एस्टेरॉयड मॉनिटर के मुताबिक, यह 11 दिसंबर के आसपास पृथ्वी के करीब पहुँचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी से क्षुद्रग्रह की दूरी 3.9 मिलियन किलोमीटर यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 10 गुना होगी। यह क्षुद्रग्रह 330 मीटर लंबा है। वर्ष 1982 में अमेरिकी खगोलशास्त्री' एलेनोर एफ. हेलिन' द्वारा खोजा गया यह उपग्रह कथित तौर पर क्षुद्रग्रहों के 'अपोलो समूह' का सदस्य है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षुद्रग्रह मार्च 2031 और नवंबर 2050 में भी पृथ्वी के करीब से गुज़रेगा।

श्रमिक मित्र योजना

दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिये हाल ही में 'श्रमिक मित्र' योजना शुरू की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुँचे। ध्यातव्य है कि श्रमिकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा कई योजनाएँ विकसित की जाती हैं, लेकिन अधिकांश श्रमिकों को इनके विषय में ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे में इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को इन योजनाओं के लाभों से अवगत कराना है। 'श्रमिक मित्र' योजना के तहत सरकार निर्माण श्रमिकों तक पहुँचकर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इस कार्य के लिये कुल 800 'श्रमिक मित्रों' की नियुक्ति की जाएगी।

शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस

हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्त्व और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने तथा शांति व विकास के लिये प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका और वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में आम जनता को संलग्न करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास से अवगत किया जाए। साथ ही यह दिवस पृथ्वी को लेकर हमारी समझ को व्यापक बनाने में विज्ञान की भूमिका को भी रेखांकित करता है। शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस सर्वप्रथम 10 नवंबर, 2002 को यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में दुनिया भर में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में आयोजित विज्ञान विषय पर विश्व सम्मेलन का परिणाम है। यह दिवस आम जनता को उनके जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता दर्शाने और इसे वार्ता में शामिल करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'बिल्डिंग क्लाइमेट-रेडी कम्युनिटीज़' रखी गई है।

नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय जनरल की मानद रैंक

वर्ष 1950 में शुरू हुई परंपरा के हिस्से के तौर पर नेपाल के सेना प्रमुख जनरल 'प्रभु राम शर्मा' को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 'भारतीय सेना के जनरल' की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। जनरल प्रभु राम शर्मा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार के तरीकों का पता लगाने हेतु भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया था। नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में है और

उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति एवं मित्रता संधि' दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है।

'टेली-लॉ ऑन व्हील्स' अभियान

विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर, 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले 'टेली-लॉ ऑन व्हील्स' अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में सही तरीके से दावा करने और मुकदमे से पूर्व दी जाने वाली सलाह के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। इस अभियान के संदेश को प्रदर्शित करने वाली विशेष मोबाइल वैन भी चलाई गई है। ये वैन प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, टेली-लॉ से संबंधित सूचना-पत्रक वितरित करेंगी, टेली-लॉ सेवाओं के बारे में फिल्मों एवं रेडियो जिंगल आदि का भी प्रसारण करेंगी।

स्टार्टअप्स व एमएसएमई हेतु भारत-इज़रायल समझौता

स्टार्टअप्स व एमएसएमई में नवाचार एवं त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) तथा इज़रायल के 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय' (DDR&D) ने एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप्स और उद्योग अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों व उत्पादों को कई क्षेत्रों में लाने के लिये एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन क्षेत्रों में ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायो सेंसिंग, ब्रेन-मशीन इंटरफेस, ऊर्जा भंडारण और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। उत्पाद व प्रौद्योगिकियों को दोनों देशों की अद्वितीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अनुकूलित किया जाएगा। इन प्रोद्योगिकियों को संयुक्त रूप से 'DRDO' और 'DDR&D' द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

एंटी-ओपन बर्निंग कैंपेन

दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 11 नवंबर से 11 दिसंबर, 2021 तक दिल्ली में 'एंटी-ओपन बर्निंग कैंपेन' शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'खतरनाक' स्तर पर पहुँचने के बाद की गई। ज्ञात हो कि बीते दिनों दीपावली के अवसर पर राजधानी में 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' 503 के गंभीर स्तर पर पहुँच गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के हिस्से के रूप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी, जहाँ खुले में अपशिष्ट जलाने संबंधी घटनाएँ होती हैं और साथ ही इन घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को एक विशिष्ट 'एंटी डस्ट सेल' बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा 'ग्रीन दिल्ली एप' भी शुरू किया जाएगा, जो कि आम लोगों को खुले में अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि संबंधित टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।

ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स

'हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम' द्वारा हाल ही में जारी पहले 'ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स' में नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य-संचालित दवा नीतियों पर पाँच प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में पाँच सबसे कम रैंकिंग वाले देश ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको हैं। भारत 30 देशों की सूची में 18वें स्थान पर है। यह सूचकांक ड्रग नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा-संचालित वैश्विक विश्लेषण प्रदान करता है। यह दवा नीति के पाँच व्यापक आयामों में संचालित 75 संकेतकों से बना है, इन पाँच आयामों में शामिल हैं- आपराधिक न्याय, अत्यधिक प्रतिक्रियाएँ, स्वास्थ्य एवं नुकसान में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुँच एवं विकास। यह 'हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम' संगठन की एक परियोजना है, जिसमें सहयोगी के तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष पर रहने के बावजूद नॉर्वे केवल 74/100 स्कोर ही प्राप्त कर सका और सभी 30 देशों एवं आयामों में औसत स्कोर केवल 48/100 रहा, जो कि स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति की विफलता को दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन हेतु अमेरिका-चीन समझौता

कार्बन डाइऑक्साइड के दुनिया के दो सबसे बड़े उत्सर्जक चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहयोग बढ़ाने के लिये एक समझौता किया है, जिसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करना, जंगलों की रक्षा करना और कोयले का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। ग्लासगो में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' (COP26) के दौरान इस समझौते की घोषणा की गई। दो सबसे बड़े कार्बन-प्रदूषणकर्त्ताओं ने कहा कि यह समझौता वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए '2020

के दशक में उन्नत जलवायु कार्रवाई' पर ज़ोर देगा, जिसमें वर्ष 2025 में एक नया मज़बूत उत्सर्जन कटौती लक्ष्य भी शामिल है। यह समझौता डीकार्बोनाइज़ेशन में 'ठोस और व्यावहारिक' नियमों के निर्माण का भी आह्वान करता है, साथ ही इसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करना और वनों की कटाई का मुकाबला करना भी शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 का समझौता सभी देशों को व्यापक उत्सर्जन कटौती के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5oC और 2oC के बीच सीमित करने की दिशा में काम करने हेतु प्रतिबद्ध करता है।

विश्व निमोनिया दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस (World Pneumonia Day) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 2009 में 'ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया' द्वारा निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। निमोनिया फेफड़ों में एक गंभीर संक्रमण की स्थिति है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। चूँकि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, इसलिये इसके सबसे आम लक्षण खाँसी, साँस लेने में परेशानी और बुखार हैं। निमोनिया से पीड़ित बच्चों में तेज़ साँस लेने जैसे लक्षण पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में आधे से अधिक का कारण निमोनिया है। वहीं भारत में निमोनिया से सालाना अनुमानित 71% मौतें होती हैं और गंभीर निमोनिया के 57% मामले देखे जाते हैं।

लोक सेवा प्रसारण दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो (दिल्ली) के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा को चिह्नित करने हेतु आयोजित किया जाता है। 12 नवंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। इस दिवस की अवधारणा जन प्रसार के संयोजक सुहास बोरकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और वर्ष 2000 में इस दिवस को 'लोक सेवा प्रसारण दिवस' अथवा 'जन प्रसार दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ज्ञात हो कि प्रसार भारती को सार्वजनिक सेवा प्रसारण, लोकतांत्रिक परंपराओं की मज़बूती और सभी विविध समुदायों एवं संस्कृतियों को अवसर प्रदान करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। एक माध्यम के रूप में प्रसारण (Broadcasting) भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक सशक्त उदाहरण है। प्रसारण ने बीते कई दशकों में भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मिस्र में होगा 'COP-27' अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन

'ग्लासगो' में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान घोषणा की गई है कि वर्ष 2022 के सम्मेलन (COP-27) का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन के वर्ष 2023 के संस्करण की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा की जाएगी। ध्यातव्य है कि 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़' UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। इसके सत्र प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP), सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। वहीं UNFCCC वर्ष 1992 में ब्राज़ील में आयोजित 'रियो अर्थ समिट' में पर्यावरण पर प्रस्तावित तीन समझौतों में से एक है।

सत्य नारायण प्रधान

वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सत्य नारायण प्रधान को 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' (NCB) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्य नारायण प्रधान वर्तमान में 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) के महानिदेशक का दायित्व संभालने के साथ-साथ एनसीबी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एनसीबी के पूर्व प्रमुख राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किये जाने के बाद उन्हें एनसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, हालाँकि अब उनकी नियुक्ति स्थायी तौर पर कर दी गई है। वहीं वर्ष 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल को NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' गृह मंत्रालय के अधीन भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले संबंधी एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 17 मार्च, 1986 को की गई थी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू

देश भर में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को चिह्नित करने के उद्देश्य से 'बाल दिवस' मनाया जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1912 में वे भारत लौटे और राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित जवाहर लाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी जी से काफी अधिक प्रभावित हुए। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 27 मई, 1964 को उनकी मृत्यु हो गई।

बिरसा मुंडा

15 नवंबर, 2021 को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दु:ख दूर करने के लिये भेजा है, इसलिये वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर 'धरती अब्बा' (Dharti Abba) या 'जगत पिता' के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे 'मुंडा उलगुलान' (विद्रोह) भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया और ज़मींदारों एवं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को करों और साहूकारों को ऋण/ब्याज का भुगतान न करने के लिये जनता को संगठित किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन (तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी क्षेत्र) की स्थापना के लिये विद्रोह का नेतृत्त्व किया। उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया और एक राजनीतिक-सैन्य संगठन बनाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए गाँवों की यात्रा की। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर राँची ज़ेल में डाल दिया गया जहाँ जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई।

'टेम्स' नदी

एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक, लंदन की मशहूर नदी- 'टेम्स' में सीहॉर्स, ईल, सील और शार्क की उपस्थिति पाई गई है। यह सर्वेक्षण इस नदी के बेहतर स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, गौरतलब है कि वर्ष 1975 में इस नदी को 'जैविक रूप से मृत' घोषित कर दिया गया था। सर्वेक्षण के दौरान 115 प्रजातियों की मछलियों और वन्यजीवों के अलावा इस 346 किलोमीटर लंबी नदी में तीन प्रकार की शार्क पाई गईं। 'टेम्स' नदी अपने आसपास रहने वाले समुदायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह उन्हें पीने हेतु पानी तथा भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ तटीय बाढ़ से उनकी सुरक्षा भी करती है। 'टेम्स' नदी को 'आइसिस' नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है, जो लंदन सहित दक्षिणी इंग्लैंड से होकर बहती है। यह 'सेवर्न नदी' के बाद ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है।

विश्व मधुमेह दिवस

वर्ष 1922 में 'इंसुलिन' की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिवस को चिह्नित करने हेतु प्रतिवर्ष 14 नवंबर को 'विश्व मधुमेह दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'विश्व मधुमेह दिवस' 2021-23 का विषय 'मधुमेह देखभाल तक पहुँच' है। जब मानव शरीर में अग्न्याशय (पैंक्रियाज) द्वारा इंसुलिन नामक हॉर्मोन स्रावित करना कम हो जाता है अथवा इंसुलिन की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है तो मधुमेह (Diabetes) रोग हो जाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें मानव रक्त में ग्लूकोज़ (रक्त शर्करा) का स्तर बढ़ने लगता है। ग्लूकोज़ का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुँचाता है। टाइप-2 और टाइप-1 मधुमेह के सामान्य रूप हैं। मधुमेह के कुल मामलों में 90 से 95% टाइप-2 मधुमेह से संबंधित होते हैं। टाइप-2 मधुमेह आमतौर पर वयस्कों को प्रभावित करता है। इस स्थिति में ज़्यादा गंभीर स्थिति के अलावा हाइपर ग्लाइसीमिया (रक्त में ग्लूकोज़ का उच्च स्तर) के नियंत्रण के लिये इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमेह का एक आनुवंशिक रूप भी है जो जीन में दोष के कारण होता है। इसलिये इसे 'मोनोजीनिक मधुमेह' कहा जाता है।